छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 05 जुलाई, 2018

की

अशोधित कार्यवाही

अग्रवाल\05-07-2018\a10\11.00-11.5

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 5 जुलाई, 2018

(आषाढ़ 14, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्री भोलाराम साहू ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- भोलाराम जी, क्या प्रश्न, किसलिए प्रश्न ? पूरा फूल सेटिंग तो है ।

श्री भोलाराम साहू :- किसानों से संबंधित प्रश्न है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फूल सेटिंग है, इधर आ जाओ ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग किसानों के प्रति चिन्ता नहीं करते इसलिए प्रश्न लगाना पड़ता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी यहां फूल सेटिंग है, प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आने वाले समय में हम लोग उधर बैठेंगे, आप लोग इधर आएंगे ।

श्री अरूण वोरा :- संसदीय कार्यमंत्री जी, कल कौन बाबा आ गया था, यहां आये तो घबराहट हो रही है, क्या बांधकर चले गया है, विधान सभा को बांध दिया।

श्री मोहन मरकाम :- विधान सभा को बांधकर चला गया, अब जनता में विश्वास नहीं रह गया, विधान सभा में अब बाबा भी आने लगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल को चलने दें, उसके बाद आपको खूब अवसर मिलेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भोलाराम जी, राजनांदगांव लोकसभा या कवर्धा विधान सभा मतलब फूल सेटिंग ।

जल संसाधन मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तो 90 बाबा हैं, कोई विधान सभा को बांध नहीं सकता । सब अपने-अपने प्रकृति के अलग-अलग प्रकार के बाबा हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- भोलाराम जी, प्रश्न करिए ।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कृषकों को फसल बीमा का लाभ

1. (*क्र. 665) श्री भोलाराम साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है ? (ख) कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया, एवं कितनी प्रीमियम राशि जमा कराई गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) फसल बीमा योजनाओं की विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु तहसीलवार संधारित की जाती है. बीमित फसलों हेतु राशि का निर्धारण प्रति एकड़वार नहीं अपितु प्रति हेक्टेयरवार किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की संख्या एवं प्रति हेक्टेयर बीमित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर है । (ख) जानकारी परिशिष्ट-1[1] एवं 2 पर है ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के कृषकों के बीमा राशि के संबंध में प्रश्न पूछा था । खरीफ 2017 में प्रदेश के 113 तहसील सूखा ग्रसित घोषित किया गया था, ऐसी स्थिति में खुज्जी विधान सभा के चौकी विकासखण्ड में मात्र 1 किसान बीमा कराया था, उसको भी अपात्र घोषित कर दिया गया एवं छुरिया तहसील में 1653 किसान दावा भुगतान हेतु अपात्र पाये गए । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अपात्र करने का क्या कारण है ?

[1] परिशिष्ट-एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीमा कम्पनी तय करती है, हम तय नहीं करते हैं और अपात्र होने का कारण इसमें इस बात का निर्णय होता है कि जितनी उपज, थ्रेस होल्ड उपज होनी चाहिए, उससे अगर 33 प्रतिशत से ज्यादा कम उपज, जितनी कम उपज होगी, उतनी बीमे की राशि उसको मिलेगी। अगर वहां पर फसल कम नहीं हुई है तो अपात्र पाए गए ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनांदगांव जिले को आप ले लीजिए, सबसे घोर अकाल चौकी तहसील में पड़ा था । वहां किसान धान भी नहीं काटे हैं, उसके बाद भी एक किसान बीमा कराया था और छुरिया तहसील में बीमा कराया था, लेकिन दोनों जगह अपात्र हो गए हैं । इतने बड़े घोर अकाल के बाद जब किसानों ने बड़ी उम्मीद से बीमा कराया तो उनको बीमा की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस किसान को नहीं मिला । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके बताए आंकड़े अनुसार खरीफ 2017 में 25319 किसानों ने बीमा कराया और रबी में 2016 और 2017 में 2159 किसानों ने बीमा कराया, कुल 27478 किसान दावा भुगतान हेतु पात्र पाए गए तो इसमें से कितने किसानों को कितनी राशि का दावा भुगतान उनके खाते में जमा करा दिया गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खरीफ 2017 में छुरिया में 24,992 किसानों के खाते में राशि जमा कराई गई है और अम्बागढ़ चौकी में भी लगभग 372 और 5674 किसानों के खाते में राशि जमा कराई गई ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से किसान हैं, जिनके खाते में अभी तक पैसा जमा नहीं किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा बताए आंकड़े के अनुसार बीमित कृषकों की संख्या खरीफ 2017 में 26973 और रबी में 2016-17 में 5404 कुल 32377 बीमित किसान हैं । इसमें से कितने ऋणी और कितने अऋणी हैं...

जारी...श्री देवांगन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देवांगन\05-07-2018\a11\11.05-11.10

जारी.. श्री भोलाराम साहू :- इसमें से कितने ऋणी और कितने अऋणी हैं ? माननीय मंत्री जी संख्या बता दीजिए कि कितने बीमित हैं और कितने ऋणी तथा कितने अऋणी हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुल बीमित कृषक हैं, वे 37 हजार 719 किसान हैं। जो बीमित किसान हैं, इनमें से 31 हजार 191 किसानों को अंबागढ़ चौकी और छुरिया दोनों मिलाकर उनको बीमे की राशि उनके खाते में पहुंची है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋणी और अऋणी को किस हिसाब से दिया है, कितने परसेंट के हिसाब से बीमा राशि दी गयी है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, उनका ऑटोमेटिक बीमा हो जाता है और जिन लोगों ने लोन नहीं लिया है, वे अगर बीमा करवाना चाहें तो वे अपनी मर्जी से बीमा करवा सकते हैं।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आखिरी प्रश्न पूछता हूं। रबी 2016 से 2017-18 तक दावा भुगतान हेतु पात्र सभी किसानों का बीमा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रबी 2016-2017 का भुगतान हो गया है और 2017-2018 का परीक्षण चल रहा है। बीमा कंपनियां अभी इसको कैलकुलेट कर रही हैं। परीक्षण होने के बाद में बीमा भुगतान हो जायेगा।

चित्रकोट वि.स .क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग के बजट में सम्मिलित

कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

2. (*क्र .689) **श्री दीपक बैज :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने कार्यों को शामिल किया गया है ? कार्य का नाम व लागत सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) बजट में सम्मिलित कार्यों में से कितने व कौन-कौन से कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग को प्राप्त हुई है? कितने व कौन-कौन से कार्यों की

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ? उक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बस्तर जिले में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 03 एवं वर्ष 2018-19 में 04, इस प्रकार कुल 07 कार्यों को बजट में शामिल किया गया है. कार्य का नाम व लागत सहित विकासखण्डवार जानकारी †संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) बजट में शामिल उक्त सभी 07 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है. उक्त योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से विधान सभा क्षेत्रांतर्गत बजट में सम्मिलित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में पूछा है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 2017-2018 में 3 कार्य और 2018-2019 में 4 कार्य हैं। मैं इसमें माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 2017-2018 में एक मांढ़ेर जलाशय (नरीपानी) है। इसमें अभी डीपीआर तैयार हो रहा है। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी ऊंचाई निर्धारित की है, मंत्री जी जरा इसमें स्पष्ट कर दें?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो इसका सर्वे का काम होना है और सर्वे का काम होने के बाद ही यह बात तय होगी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है माननीय मंत्री जी, सर्वे का काम हो रहा है। दरअसल यह दोनों पहाड़ियों के बीच बनने वाली जलाशय है। बीच में गांव वाले मेरे पास आये थे। वे दहशत में थे कि कहीं हमारा खेत और घर न डूब जाए। माननीय मंत्री जी, आप सर्वे करा लें, लेकिन इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि उसकी हाईट ज्यादा ना हो, यह मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा गढ़िया मुण्डीगुड़ा व्यपवर्तन योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बजट में शामिल तो कर लिया गया है, इसमें लगभग 7 सौ किसानों के खेत हैं और लगभग 2 हजार हेक्टेयर से ऊपर का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। पिछले दो वर्षों से वहां नाले से पानी आ रहा है। जहां गांव वाले अपनी मेहनत से डॉयवर्सन कर के पानी ले जाते हैं, लेकिन नाला से पहले बाढ़ तोड़ दिया गया है, जिसके कारण वहां विगत दो वर्षों से खेती हो ही नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मेरा गृहग्राम भी है। मैंने माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूप से अवगत भी करा दिया था। माननीय मंत्री जी, इसको आप अगर प्रशासकीय स्वीकृति दे देते हैं तो निश्चित रूप से 2 हजार हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसकी स्वीकृति कब तक दे देंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी सर्वे के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। सर्वे के लिए एजेंसी जिस दिन अनुबंधित हो जायेगी और उनका डीपीआर प्राप्त हो जायेगा, उसके बाद हम प्रशासकीय स्वीकृति के लिए उसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सातों कार्यों का डीपीआर तैयार हो रहा है। लगभग 2 साल से डीपीआर तैयार हो रहा है। 2017-2018 का भी और 2018-2019 का भी है। यह गढ़िया मुण्डीगुड़ा व्यपवर्तन योजना मेरी प्राथमिकता में से एक है। बाकी सात कार्य तो बजट में शामिल हैं, लेकिन यह मेरी प्राथमिकता में है। माननीय मंत्री जी आप ऐसी कोई प्राथमिकता वाली घोषणा कर दें ताकि वहां की जनता को भी लगे कि कम से कम एक गांव वाला काम तो हो गया। आप घोषणा कर दें ताकि हम गांव में जाकर बता सकें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़िया मुण्डीगुड़ा व्यपवर्तन योजना, जिसके बारे में माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उसका काम जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। माननीय मंत्री जी धन्यवाद ।

श्रीमती सविता

सविता\05-07-2018\a12\11.10-11.15

जिला बालोद के स्कूलों में अहाता निर्माण की स्वीकृति

3. (*क्र .91) **श्री राजेन्द्र कुमार राय :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कितने स्कूलों के लिए अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? नाम सहित बतावें ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्य में से कितने ऐसे कार्य है, जहां पर संबंधित स्कूल न होने या स्कूल में पूर्व से अहाता होने के उपरांत भी अहाता निर्माण की स्वीकृति दी गई है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बालोद जिले अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 47 एवं 2018-19 में निरंक स्कूलों के लिए अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. नाम सहित जानकारी † संलग्न प्रपत्र (अ) पर दर्शित है. (ख) उक्त स्वीकृत कार्य में से 05 ऐसे कार्य हैं, जहां पर संबंधित स्कूल न होने या स्कूल में पूर्व से अहाता होने के उपरांत भी अहाता निर्माण की स्वीकृति दी गई है .शालावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र (ब) पर दर्शित है.

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री केदार कश्यप जी से बालोद जिले अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-2019 में अहाता निर्माण के संबंध में पूछा था। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि केवल 05 कार्य ऐसे हैं, जो जानकारी गलत है। लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसमें 07 है, विभाग द्वारा जो भी गलती हुई होगी, उसके बारे में मंत्री बतायेंगे। 02 और कौन से काम हैं जो छूट गये हैं जो गलती से स्वीकृत हुआ, माननीय मंत्री जी बतायें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो स्वीकृत कार्य हैं उसमें से केवल 05 कार्य ही ऐसे हैं जो या तो वह संस्था नहीं है या फिर उस संस्था का हाईस्कूल की जगह में हायरसेकेण्डरी हो गया है और माननीय सदस्य के पास में और ऐसी जानकारी है तो वह भी उपलब्ध करवा दें तो मैं उसको दिखवा लूँगा।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पूर्व में आहाता पहले से बना हुआ है, उन्हीं स्कूलों में पुन: आहाता का आदेश दिया गया।

मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि इसमें चिर्राभाटा, मटिया में कुछ ज्यादा उपयोग न करते हुए, लाभ के पद लेने के हिसाब से उन्होंने जो सूची दी है, क्या ये सूची विभाग द्वारा प्राप्त हुई है ? या ऐसे लोग जो मैं बोल रहा हूँ उनने सूची दी है किस आधार पर इनकी स्वीकृति की गई है, माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाह रहा हूँ ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी हमारे पास में सभी जनप्रतिनिधियों, जनपद अध्यक्ष, सरपंच और विधायक की मांग आती रहती है और उसके आधार पर हम इन कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। कभी-कभी टंकण त्रुटि हो जाती है। यदि कोई पूर्व माध्यमिक लिखना चाहता है तो हो सकता है कि वह हाई स्कूल लिख ले या फिर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माध्यमिक शाला लिख लें। उनको ये मालूम नहीं रहता, इसलिए वे लिखकर दे देते हैं, उसके आधार पर स्वीकृत हो जाता है पर उसको भी हम जिला स्तर पर इस बात को परीक्षण करा लेते हैं कि वास्तव में उस संस्था में वहां पर बाउण्ड्री वॉल है या नहीं ? और उसकी आवश्यकता कितनी है ? उस आवश्यकता के आधार पर उसकी स्वीकृति और पूर्णता का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमरजीत भगत।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न बच गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मैं कुछ मांग दूंगा। चूंकि अंतिम वर्ष है, अंतिम सत्र है तो पूर्ति कर देंगे, यह माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं पूरे विधान की बात करूं, तो मात्र 12 ही स्कूल ऐसे हैं जहां पर बाउण्ड्री वॉल नहीं है, जानकारी के आधार पर। माननीय सदस्य देंगे तो हम उसको दिखवा कर, करवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमरजीत भगत।

प्रश्न संख्या :- 04 XX XX

बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हरित क्रांति योजना के तहत

बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान

5. (*क्र .48) **श्री जनकराम वर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत हरित क्रांति योजना में बीज उत्पादक किसानों से कितना धान क्रय किया गया ? (ख) क्या बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है यदि हां तो कितनी राशि कितने किसानों को प्रदाय की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बलौदाबाजार जिले में हरित क्रांति विस्तार योजना संचालित नहीं है. अत: जानकारी निरंक है (ख) हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत 10 साल के अंदर रिलीज हायब्रिड धान बीज उत्पादन पर प्रति कृषक 75 प्रतिशत एवं उत्पादक संस्था को 25 प्रतिशत अधिकतम रु .5000 प्रति क्विंटल तथा विपुल उत्पादनशील किस्मों के

प्रमाणित धान बीज उत्पादन पर वास्तविक कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु .1000 प्रति क्विंटल अनुदान दिये जाने का प्रावधान है .बलौदाबाजार जिले में हरित क्रांति विस्तार योजना संचालित नहीं होने के कारण किसी भी कृषक को योजनांतर्गत धान बीज उत्पादन पर अनुदान नहीं दिया गया है.

श्री जनकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न था कि हरित क्रांति के अंतर्गत बलौदा बाजार विधान सभा में कितने किसानों को लाभांवित किया गया है माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आया है कि बलौदाबाजार विधान सभा को हरित क्रांति के अंतर्गत नहीं लिया गया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि बलौदा बाजार विधान सभा को भी हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत लाने की घोषणा करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बीज के मामले में 3 प्रकार की योजनाएं चलती हैं। एक हरित क्रांति योजना चलती है, दूसरी खाद्य सुरक्षा योजना चलती है तीसरा अक्तिबीज संवर्धन चलती है। तो आपके बलौदाबाजार जिले में हरित क्रांति योजना नहीं है परंतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत और अक्तिबीज संवर्धन के तहत बलौदाबाजार में बीज का उत्पादन होता है।

श्री जनकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं निवेदन करना चाह रहा था कि बलौदा बाजार को भी इसमें शामिल कर लेते तो किसानों को लाभ होता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शामिल हम नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार के द्वारा हमको 14 जिले हरित क्रांति में और 13 जिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और अक्तिबीज संवर्धन में दिये गये हैं। उसके अंतर्गत हम जो बाकी सुविधाएं अन्य जिलों में किसानों को देते हैं, जिसके अंतर्गत हम उपलब्ध करवाते हैं।

श्री जनकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। वही मेरा निवेदन था कि यदि आप उसको भी शामिल कर लेते तो बहुत ज्यादा किसानों को फायदा होता और चूंकि सभी बलौदा बाजार विधान सभा के सभी कृषक हैं और सभी अच्छे ढंग से खेती करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसमें बलौदा बाजार विधान सभा को शामिल कर लेते तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होती ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम केन्द्र सरकार को लिखकर भेजेंगे। अगर वहां से सहमति मिलेगी तो हम शामिल कर लेंगे।

श्री चौधरी

चौधरी\05-07-2018\a13\11.15-11.20

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत नहर निर्माण के अपूर्ण कार्य

6. (*क्र. 612) **श्री केशव चन्द्रा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत कितने गांव सिंचित श्रेणी में आते हैं, एवं कितने गांव में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच रहा है ? (ख) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के नहर निर्माण के कितने कार्य अधूरे हैं ? कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत 165 ग्राम सिंचित श्रेणी में आते हैं जिनमें से 05 ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच रहा है. (ख) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में कुल 04 नहर निर्माण का कार्य अधूरा है, जिसमें से एक नहर का कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है तथा शेष तीन नहरें जो वन प्रभावित हैं के निराकरण पश्चात् कार्य पूर्ण किया जायेगा.

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि 5 ग्राम सिंचाई से वंचित हैं और 4 नहर अपूर्ण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये 5 गांव कौन-कौन से हैं और ये 4 अपूर्ण नहर कौन सी हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेराडीह, डोंगिया, भातमाहुल, भूतहा और देवगांव, ये 5 गांव हैं, अभी यहां पर सिंचाई नहीं हो पाती है।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 4 नहर जो अपूर्ण हैं, वह कौन सी हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 4 नहर हैं, इन 4 नहरों में क्योंकि यहां पर 3 नहरों में वन भूमि की आपत्ति है और वन भूमि की आपत्ति के कारण 3 नहर नहीं बन पा रही हैं और जो एक नहर है उसकी हम रिमाडलिंग के काम की कार्यवाही कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो 5 गांव का नाम बताये हैं इन 5 गावों के अलावा डोमादेवगांव, अचरितपाली, जिसमें अचरितपाली उनकी सूची में है, बरपाली, भूथा, अमेराडीह, बरभाठा, जोगीडीपा, लालमाटी, भनेतरा, रींवाडीह, अमलीडीह, सनली, मलनी, हरठीकुर्द, भोड़ाडीपा, मिरौनी, नरियरा, करमनडीह, मुरलीडीह, करवाडींह, भातमाहुल, ये ऐसे गांव हैं जहां नहर तो पहुंची है, लेकिन पानी नहीं पहुंचता। पानी नहीं पहुंचने का एक मात्र कारण नहर की सफाई नहीं होना है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस खरीफ फसल में वहां जो भी मरम्मत की आवश्यकता है उसको करके इन गावों में भी पानी देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय केशव जी आप नीला पट्टी लगाये हो, हाथी जो फसलों को परेशान कर रहा है, उसके बारे में बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रही है, यह बताईये?

श्री केशव चन्द्रा :- आप हाथी की सरकार बनाईये, हम सब हाथी को शांत कर देंगे।

श्री देवजी भाई पटेल :- आज इनका गठबंधन भी हो गया है, ऐसा बता रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, गुलाबी कैसे दिख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी वित्तीय स्थिति के आधार पर जो भी संभव होगा, निश्चित रूप से सब गावों में पानी पहुंचे, ये सिंचाई विभाग की प्राथमिकता है और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए विभाग को जो भी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, वह हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अशोक साहू।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 4 नहरों में जिसमें वन भूमि की बात किये हैं, मैं इसमें 17-12-2014 और 10-03-2015 को ध्यानाकर्षण भी लगाया था, माननीय मंत्री जी से आश्वासन भी मिला कि हम उसमें अनुमति ले करके नहर को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पूर्ण कर देंगे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये वन भूमि है, उसके लिए अनुमति की कोई समय-सीमा है ताकि वह नहरें बन जायें और लोगों को पानी मिल जाये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी दो दिन पहले ही वहां के कलेक्टर को फोन कर के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये प्रश्न आने के बाद मैंने भी बात की है, हमारी ये कोशिश होगी, वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। केन्द्रीय सरकार के वन विभाग के द्वारा विभिन्न औपचारिकतों की पूर्ति के बाद ही अनापत्ति दी जाती है। हम ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उसकी अनापत्ति मिल जाये। परन्तु वहां पर आज के समय पर भी पानी जाता है, कच्ची नाली खुदी हुई है, उससे थोड़ा-थोड़ा पानी जाता है और सिंचाई होती है और हम उसको रोकते नहीं हैं, पानी वहां भेजते हैं।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूं पानी जा रहा है, लेकिन संपूर्ण सिंचाई नहीं हो रही है। सिंचाई विभाग के रिकार्ड में पानी उस गांव में पहुंच रहा है, लेकिन सभी खेतों में नहीं पहुंच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यही आश्वासन चाहता हूं कि एक समय-सीमा तय कर दें। ये तो दायित्व सरकार का है कि उसके लिए अनुमति लें, अनापत्ति लें, एक समय-सीमा तय कर लें, क्योंकि वह नहर 20 साल से ज्यादा समय से पेण्डिंग है, मैं माननीय मंत्री जी से इसके लिए आश्वासन चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमको वन विभाग की तरफ से अनुमति मिल जायेगी, उसके एक साल के अंदर में वह नहरें बन जायेंगी।

श्री अरविन्द

अरविंद\05-07-2018\a14\11.20-11.25

कवर्धा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत तथा रिक्त पद

7. (*क्र. 156) श्री अशोक साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में मई, 2018 तक विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कितने पद रिक्त हैं ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मई, 2018 तक विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के स्वीकृत तथा रिक्त पदों की जानकारी विकासखण्डवार परिशिष्ट पर †[2] संलग्न है. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री अशोक साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कवर्धा विधान सभा के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कुल कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पूरी जानकारी दी हुई है। यदि आप कहें तो मैं एक-एक पढ़कर बता देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- काफी लंबी सूची है, वह आपको प्राप्त हो गया है।

श्री अशोक साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुल पूछ रहा हूँ। आप टोटल फिगर बता दें कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप इसको जोड़कर कैलकुलेट कर सकते हैं।

श्री अशोक साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए टोटल अलग-अलग जानकारी चाह रहा हूँ क्योंकि वहां शिक्षकों की कमी है। माननीय मंत्री जी का यही कहना है कि कब तक भर्ती होगा, बता पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं टोटल पूछ रहा हूँ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शाला के 505 पद हैं, जिसमें 120 पद भरे हुए हैं और 385 पद रिक्त हैं। पूर्व माध्यमिक के लगभग 1058 पद हैं जिसमें से 860 भरे हुए हैं और 198 पद रिक्त हैं। हाईस्कूल में 266 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 204 पद

---

[2] **†परिशिष्ट-पांच**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भरे हुए हैं और 62 पद रिक्त हैं। हायर सेकेण्डरी में 529 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 448 पद पर कार्यरत हैं और 81 पद रिक्त हैं।

श्री अशोक साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बोड़ला ब्लाक में प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के 290 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 240 पद रिक्त बताए गए हैं। बोड़ला ब्लाक में केवल प्रधान पाठक का है। ऐसे अलग-अलग फिगर देखें तो बहुत समय लगेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि शिक्षकों की कमी है, मैं आपसे आग्रह के साथ पूछना चाहता हूँ कि कब तक इसकी भर्ती कर लेंगे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके वहां के बच्चों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, वास्तव में जो प्रधान पाठक, हेड मास्टर के पद हैं, वह बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर स्वीकृत है। यदि डेढ़ सौ से ऊपर बच्चें होंगे तब प्रधान पाठकों के पद जीवित रहेंगे और उसके आधार पर हम लोग करेंगे। उसके आधार पर हम लोग बहुत सारे पदों को रिवाईज भी कर रहे हैं। अभी हमारे यहां शिक्षाकर्मियों का संविलियन भी हो गया है। अब प्रशासनिक पदों पर भी हमारे शिक्षाकर्मी के टीचर्स हैं, वे भी इन पदों पर जा सकेंगे और उसके माध्यम से शिक्षा की स्थिति बेहतर हो सकेगी। आपको तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि शिक्षाकर्मियों के लिए इतना बड़ा निर्णय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह जी ने लिया है। जिसके कारण शिक्षा की व्यवस्था एक छत के नीचे आये, एक अंब्रेला के नीचे आये। ये सारे जो मामलें हैं उसके कारण से भर्ती, पदोन्नति या अन्य प्रशासनिक मामलों में दिक्कतें होती थीं, अब वे मामले खत्म होंगे। अब हमारी शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी। आपको इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, ध्यान दीजिये।

श्री अशोक साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल। शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षामंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन फिर भी पूछता हूँ कि कवर्धा विधान सभा में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में वहां की जो आवश्यकता है, उसके आधार पर हम लोगों ने वहां पर टीचर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रायमरी में 26 पर एक टीचर है। अपर प्रायमरी में 28 पर एक टीचर है। उसके साथ-साथ चूंकि बोड़ला क्षेत्र पूरा ट्रायबल क्षेत्र है और उसमें जो सुदूर क्षेत्र है, वहां पर हमारे शिक्षक नहीं जा पाते, उसमें भी हम लोगों ने विद्या मितान के माध्यम से 15 शिक्षकों की नियुक्ति की है। यदि वहां पर आवश्यकता होगी तो शिक्षकों की पूर्ति की जायेगी।

<u>पलारी विधानसभा क्षेत्र के शिकारीपाली डायवर्सन निर्माण की लागत</u>

8. (*क्र. 413) श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :- क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माण होने वाली शिकारीपाली डायवर्सन की लागत कितनी है ? (ख) उक्त डायवर्सन को कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन शिकारीपाली डायवर्सन योजना, पल्लारी नहीं, अपितु खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित है. योजना की अनुमानित लागत रु. 2803.16 लाख है. (ख) उक्त योजना के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत दो वर्ष में निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है.

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिकारीपाली डायवर्सन के बारे में पूछा था। अनुमानित लागत की जानकारी मिल चुकी है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तेन्दूकोना के सामूहिक कार्यक्रम में घोषणा हुई थी। इसलिए माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, वह शिकारीपाली डायवर्सन का इसी सत्र में पूर्ण हो जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे।

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

.....श्री श्रीवास

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

कृषकों को फसल बीमा का भुगतान

9. (*क्र .693) **श्री टी .एस .सिंहदेव :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17, व 2017-18 में खरीफ वर्ष में कौन सी फसल बीमा योजना लागू थी ? कितने किसानों में बीमा कराया ? उक्त फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को दी गई ? प्रीमियम में किसानों एवं राज्य सरकार का अंश कितना था ? किन-किन कंपनी से फसल बीमा कराया गया था ? (ख) प्रश्नांश-क की अवधि में योजनान्तर्गत फसल क्षति की स्थिति में कितने किसानों द्वारा बीमा क्लेम किया गया? प्रभावित हितग्राही किसान को प्रति एकड़ कितनी बीमा राशि का भुगतान किया गया ? कितनी शेष है? वर्षवार, जिलेवार प्रभावित किसानों की संख्या, उन्हें बीमा भुगतान की राशि की जानकारी देवें ? (ग) क्या प्रभावित किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान अनावरी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया ? यदि नहीं तो किस आधार पर दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि फसलों एवं उद्यानिकी फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजना, योजनावार बीमित कृषक, देय प्रीमियम (कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश) तथा क्रियान्वयक बीमा कंपनी की जानकारी परिशिष्ट-1एवं दो पर है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में संचालित फसल बीमा योजनाओं में कृषकों द्वारा बीमा क्लेम करने का प्रावधान नहीं है अपितु कृषि फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजनाओं के प्रावधान अनुसार अधिसूचित फसलों की फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज तथा उद्यानिकी फसलों में संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अधिसूचित स्व-चलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त मौसमी आकड़ों के आधार पर दावा भुगतान एवं पात्रता का निर्धारण किया जाता है. उक्त योजनाओं में दावा भुगतान की गणना बीमित कृषकवार नहीं करते हुए अधिसूचित बीमा इकाईवार (ग्राम पंचायत एवं राजस्व निरीक्षक मंडल) किया जाता है .प्रश्नाधीन अवधि में योजना प्रावधान अंतर्गत दावा भुगतान हेतु पात्र पाये गये कृषकों की संख्या, दावा भुगतान की गई राशि व शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर है. (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा इकाई क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त वास्तविक औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर निम्न सूत्र के अनुसार दावा गणना की जाती है:-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज--वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \text{ X बीमाधन}$$

(थ्रेसहोल्ड उपज = 5 वर्ष की औसयत उपज X क्षतिपूर्ति स्तर)

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अधिसूचित स्व-चलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त मौसमी आंकड़ों के आधार निम्न सूत्र के अनुसार दावा भुगतान एवं पात्रता का निर्धारिण किया जाता है -

क्लेम पर युनिट = (डिफरेंस बिटविन आर्ब्सवड एण्ड नोटिफाईड इण्डेक्स वैल्यूज) X नेशनल पे-आउट

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय जी बतायेंगे कि मौसम आधारित फसल बीमा के अन्तर्गत निजी कंपनियों को लगभग 13-5 करोड़ रूपया का लाभ हुआ, जो उन्होंने प्रीमियम लिया और उन्होंने भुगतान किया, इसमें क्या लगभग 13.5 करोड़ रूपया का लाभ हुआ ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग कंपनी की बैलेंश शीट नहीं देखते हैं। उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी हमको नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, प्रीमियम जो आपने लिया है, किसानों से राज्य का अंश, केन्द्र सरकार का अंश, यह 19 करोड़ 13 लाख 49 हजार आपने जवाब में खुद दर्शाया है और प्रीमियम दावा भुगतान आपने जो बताया है, 5 करोड़ 65 लाख 20 हजार 959 रूपया है । क्या यह लाभ भी आपको उनके बैलेंश शीट में देखकर बताना पड़ेगा कि अतिरिक्त राशि है, इसका जवाब आप यहां दे सकते हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को कितना लाभ हुआ है या नहीं हुआ है या तो स्वयं बता सकता है या इंकम टैक्स डिपार्टमेंट बता सकता है । यह सरकार उनके खर्चे कैसे फील्ड में हुये, क्या हुये हैं, कितना उनका एक्सट्रा बर्डन है, हम नहीं बता सकते।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ये किश्त उन्होंने जितनी ली, उससे कम बीमे की राशि दी है । इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह हमने उत्तर में बताया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- क्या अध्यक्ष महोदय, इस बात को जानते हुये आप भविष्य में प्रीमियम की राशि को कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रीमियम की जो राशि है, वह टेण्डर के माध्यम से तय होती है और टेण्डर के माध्यम से तय होने में जो सबसे कम राशि का टेण्डर डालता है, उसी को हम टेण्डर देते हैं । अगर और कोई कम राशि का आयेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है । उसको कम करने की कोशिश करेंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे भी मालूम है कि टेण्डर की राशि से होता है, लेकिन जब आपको मालूम है कि टेण्डर हाई आ रहा है तो क्या पहले राऊण्ड में आप टेण्डर एक्सेप्ट करेंगे या निगोशियेट भी करेंगे, दोबारा टेण्डर बुलायेंगे ? 15 साल के अनुभव के इतने वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं, जब यह स्पष्ट दिख रहा है कि प्रीमियम की राशि तुलनात्मक इतना ज्यादा आप ले रहे हो और इसी बात पर यह बात आती है कि निजी कंपनियों को लाभ मिल रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है, ऐसा बचने का जवाब नहीं देना चाहिये, टालने का जवाब नहीं देना चाहिये । प्रीमियम हाई दिख रहा है तो आपको कहना चाहिये कि हॉ हम निगोशियेट भी कर सकते हैं, निगोशियेट करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में हम सही निर्णय ले सकें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निगोशियेट करते हैं, इस वर्ष हमने बीमा के जो टेण्डर बुलाये हैं, टेण्डर हमने निरस्त भी किये हैं और जहां तक बात है, इस वर्ष 129 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ के किसानों ने किश्त पटाई है और 1294 करोड़ से ज्यादा बीमे की राशि किसानों के खाते में चली गई है । उसका भी नेता जी को उल्लेख करना चाहिये । हम जो काम करते हैं तो उन कामों में बीमे का जो एमाउन्ट है, वह जिस साल नुकसान होगा, इसके पहले वर्ष 2015 में 66 करोड़ रूपये किसानों ने पटाया था और किसानों के खाते में 666 करोड़ रूपया गया था । इसलिए बीमा है, इस बीमे के मामले में बाजार के रेट पर और टेण्डर करके हम व्यवस्था करते हैं । कोई यह हमारे स्तर पर नहीं होता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से जानकारी इसलिए रखना चाह रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर यह जानकारी है कि फसल बीमा में बीमा कंपनियों को 20,400 करोड़ रूपये का बीमा प्रीमियम उपलब्ध कराया गया है, उसमें से उन्होंने किसानों को जो इंश्योरेंस का क्लेम दिया है, वह लगभग 5600 करोड़ का है । अर्थात करीब-करीब 14 हजार 600 करोड़ रूपया बीमा कंपनियों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है या अंतर की राशि हो रही है । मंत्री जी कहेंगे कि नहीं उनका खर्चा कितना होता है, सेलरी कितनी होती है, हम नहीं जानते । किन्तु इतना अंतर राष्ट्रीय स्तर पर है । क्या एक कंपनी जिसने बीमा के प्रीमियम को खरीफ 2017 का अभी तक नहीं पटाया । आपके कार्यप्रणाली में या एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रावधान है कि उनको दंडित करेंगे, पेनाल्टी करेंगे ? इफको टोकियो की जानकारी आई है कि 81 करोड़ 24 लाख 339 हजार रूपये का प्रीमियम इन्होंने अभी तक नहीं पटाया है । बाकी कंपनियों का निरंक जानकारी आपने दी है । कोई प्रावधान ऐसा है क्या कि निश्चित समय, 30 दिन के अंदर यह दावे भुगतान नहीं होते हैं तो कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार इनके साथ में मीटिंग, पत्राचार, बैठक, क्योंकि इसमें बहुत स्थानों पर विवाद होता है......

श्रीमती यादव

नीरमणी\05-07-2018\a16\11.30-11.35

जारी..........श्री टी.एस. सिंहदेव :- बाकी कंपनियों की निरंक आपने जानकारी दी है तो कोई प्रावधान ऐसा है क्या कि एक निश्चित समय 30 दिन के अंदर अगर यह दावे भुगतान नहीं होते हैं तो कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार इनके साथ में मीटिंग, पत्राचार, बैठक क्योंकि इसमें बहुत स्थानों पर विवाद होता है । फसल के उत्पादन को लेकर, दावे को लेकर, किश्त को लेकर, बैंक में किश्त जमा होने को लेकर तो यह लगातार चर्चा चलती रहती है परंतु हमने जो कंपनी किसानों के साथ में न्याय नहीं करेगी, किसानों के पैसे को खाने की कोशिश करेगी उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और ब्लेक लिस्टेड करने की आवश्यकता पड़ी तो हम ब्लेक लिस्टेड भी करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या लेट पेमेंट का ब्याज का प्रावधान है? इसमें किसी तरह से किसानों को जिनको भुगतान देर से मिला है, क्या एग्रीमेंट में कोई ऐसा प्रावधान है क्या कि कंपनी को इस प्रक्रिया के अतिरिक्त भी चूंकि यही कंपनी है बाकी सारी कंपनियों का आपने निरंक दिया है । एक कंपनी का बकाया है, 21 जिलों में एक कंपनी की राशि 81 करोड़ रूपये बकाया के रूप में है तो क्या उस पर कोई प्रावधान किसानों को ब्याज देने का भी रहेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वह 81 करोड़ रूपये कम होकर केवल 34 करोड़ रूपये बचा है क्योंकि लगातार इनके द्वारा बैंकों में किसानों के खाते में पैसा जमा किया जा रहा है और इसमें अगर आवश्यकता होगी और कंपनी की बदमाशी के कारण यदि यह किश्त रूकी होगी तो निश्चित रूप से जो भी उनको दण्ड दिया जा सकता है उसकी हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यदि एग्रीमेंट में ब्याज देने का प्रावधान न हो तो क्या भविष्य में आप एग्रीमेंट में ऐसे प्रावधान करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से करेंगे ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम यह करीब 07 लाख 70,395 किसानों का इनको अपात्र घोषित किया गया । क्या कारण बता पायेंगे सूक्ष्म में चूंकि बहुत डिटेल है कि मुख्य कारण क्या रहा कि 07 लाख 70,395 किसानों को अपात्र पाया गया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 12 लाख किसानों ने बीमा करवाया है । उन 12 लाख किसानों में से 05 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा की राशि मिल गयी जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई उनको बीमा की राशि नहीं मिली तो इसमें अपात्रता का जो सबसे बड़ा कारण है वह फसल में किसी प्रकार का कोई थ्रेसकोल्ड उपज जो है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयी है तो उनको बीमा की राशि नहीं मिलेगी इसलिये उनको अपात्र पाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धनेंद्र साहू ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है एक तरफ जहां 12 लाख 98,000 किसानों का फसल बीमा किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या है कि श्री धनेंद्र जी किसानों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं ।

श्री धनेंद्र साहू :- धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, 128 करोड़ रूपये किसानों ने प्रीमियम दिया है । राज्यांश और केंद्रांश और किसानों का मिलाकर के लगभग 294 करोड़ रूपया आपका प्रीमियम पटा है । सरकार ने भी जो पैसा पटाया है वह भी जनता का ही है, प्रीमियम के रूप में ही है । इतने प्रीमियम के बावजूद भी आपके लगभग 5 लाख किसानों को मिला है और उन 5 लाख किसानों का आपने सर्वे भी नहीं किया है जबकि 12 लाख 98,000 किसानों ने बीमा किया है तो क्या आपने 12 लाख 98,000 किसानों का सर्वे किया ? जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, उनकी फसल का आंकलन नहीं करेंगे तो बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कैसे तय होगा ? और साथ ही मैं आपसे आग्रह करते हुए यह पूछना भी चाहूंगा कि यह जो हम बैंक से ऋण लेते हैं आप अनिवार्य बीमा करवाते हैं इसको ऐच्छिक बीमा करेंगे क्या ? जो किसान बीमा कराना चाहते हैं, जो किसान नहीं चाहते कि हम बीमा न करायें तो उसके लिये ऐच्छिक करेंगे क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐच्छिक करने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार को नहीं है । हमने केंद्र सरकार को इसके लिये लिखा है अगर केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है हम इसको ऐच्छिक कर सकते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता के (ख) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्रश्नाधीन अवधि में संचालित फसल बीमा योजनाओं में कृषकों द्वारा बीमा क्लेम करने का प्रावधान नहीं है । एक-तरफ अनिवार्य रूप से कृषकों से बीमा करवाया जा रहा है जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया दूसरी तरफ उसे क्लेम करने का अधिकार नहीं है । यह तो मतलब बीमा कंपनी और सरकार के रहमोकरम पर किसान हैं । मान लो किसी किसान के साथ अन्याय होता है तो उसे क्लेम करने का अधिकार क्यों नहीं है, यह शर्त में क्यों नहीं लिखा गया है और नहीं लिखा गया है तो उसका कारण क्या है, क्या उसको भविष्य में सुधार करेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

............श्री यादव

यादव\05-07-2018\a17\11.35-11.40

.............(श्री भूपेश बघेल) :- यह शर्त में क्यों नहीं लिखा गया है ? नहीं लिखा गया है तो उसका कारण क्या है, क्या उसमें भविष्य में सुधार करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सामूहिक बीमा है और इसको फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर इसका सर्वे करके उसके आधार पर भुगतान किया जाता है । इसलिए कोई सामूहिक दावा नहीं होता । अगर कोई किसान इंडिव्यूज़ुअल चाहे और उस ग्राम पंचायत की थ्रेस होल्ड उपज कम है, वह कम होने के कारण यदि वह चाहता है कि मेरी ग्राम पंचायत में थ्रेस होल्ड उपज से मेरी उपज कम हुई है, मुझे बीमा दिया जाए । यदि यह दावा करना चाहे तो वह कर सकता है । क्योंकि जब सामूहिक सूखा पड़ता है तो सामूहिक दावा होता है और सामूहिकता के कारण सरकार का बीमा कंपनियों के साथ जो सिस्टम बना है, उसके आधार पर दिया जाता है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में प्राय: प्राय: इस प्रकार की स्थिति है । जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि 07 लाख किसानों को नहीं मिल पाया है और किसानों में असंतोष है । क्या अभी क्लेम करेंग तो उसके साथ न्याय होगा गया नहीं होगा ?

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किसी गांव में एक ग्राम पंचायत में 300 किसान हैं । आपके सर्वे करने का जो तरीका है, उसमें 300 किसानों में से 30 किसानों को कैसे मिल रहा है ? जब आपकी यूनिट ग्राम पंचायत है तो एक ग्राम पंचायत में जितने किसान हैं या तो सबको मिले या नहीं मिले तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए । यह आपका कौन सा मापदण्ड है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह वही मापदण्ड है, जो आपके समय था । कोई अलग मापदण्ड नहीं हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त हो गया है । सभी माननीय वरिष्ठ लोगों ने प्रश्न कर लिये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी किसान हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कहां इंकार कर रहा हूं । यह कोई चर्चाकाल नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, एकदम संक्षिप्त में करता हूं, पाईंटेंड प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- पूछ लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय पूरा प्रदेश सूखे की चपेट को झेल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- कल क्या बोलोगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की स्थिति बहुत खराब है ।

अध्यक्ष महोदय :- भाषण मत कीजिए, प्रश्न करिए ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, किसान लोग जो प्रीमियम का पससेंटेज पटा रहे थे, सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि किसानों के शत प्रतिशत बीमे का प्रीमियम सरकार पटाये ? क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ? इस समय किसान बहुत परेशान हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के खाते में हमारी सरकार ने 1700 करोड़ रूपए बोनस के रूप में जमा कराएं हैं । हमारी सरकार ने किसानों के खाते में 565 करोड़ रूपए आरबीसी 6-4 के तहत जमा कराया है । बीमे के रूप में पूरे देश में सर्वाधिक बीमे की राशि यदि कहीं मिली है तो वह 465 परसेंट छत्तीसगढ़ में मिली है । (मेजों की थपथपाहट) मेरे पास बाकी राज्यों के भ आंकड़े हैं । मध्य प्रदेश में 165 परसेंट मिली है । उड़ीसा में 129 परसेंट मिली है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, यह घुमाने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान) नांदगांव में पैसा मिलता है, बाकी जगह क्यों नहीं मिलता है ? (व्यवधान)

मुद्रित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत खराब है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह तो वही हाल है कि अंधा बाटे रेबड़ी, चीन्ह चीन्ह के दे । (व्यवधान) पूरे प्रदेश में असंतोष है । सभी को बीमा मिलना चाहिए । किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । (व्यवधान) किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

समय :
11:38 बजे **बहिर्गमन**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में शासन के उत्तर के विरोध में सदन से नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया गया)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई विषय ही नहीं है, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं तो उसके बाद किसानों के नाम पर मगरमच्छी आंसू बहाने वाले लोग जिन्होंने किसानों के लिए इतने सालों में कुछ नहीं किया । आज वह इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे तो पूरे देश का किसान देख रहा है । आज यदि किसानों के धान का सपोर्ट मूल्य 200 रूपए बढ़ाया तो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है । (मेजों की थपथपाहट) मैं तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ के किसानों को हम जितनी सुविधाएं दे रहे हैं, उतनी सुविधाएं और कहीं नहीं मिल रही हैं ।

श्री देवजी भाई पटेल :- यह तो कल भी ऐसे ही बहिर्गमन करके भागेंगे क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है । नो कांफिडेंस मोशन में क्या बोलेंगे, समझ में ही नहीं आ रहा है ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरजीत जी भी मोदी जी को 200 रूपए प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राईज बढ़ाने के लिए बधाई दे रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्कूली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान

10. (*क्र. 633) श्रीमती केराबाई मनहर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्कूली छात्र-छात्राओं को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक देय छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ? (ख) यदि नहीं तो भुगतान कब तक किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं. सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति हेतु पंजीकृत 39590 स्कूल छात्र-छात्राओं में से 38550 छात्र-छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है, 1040 विद्यार्थियों का भुगतान शेष है. वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति हेतु पंजीकृत 40066 स्कूली छात्र-छात्राओं में से 30833 छात्र-छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है, 9233 विद्यार्थियों का भुगतान शेष है. वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति हेतु पंजीकृत 39043 स्कूली छात्र-छात्राओं में से 28731 छात्र-छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है, 10312 विद्यार्थियों का भुगतान शेष है. (ख) शेष विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्रीमती केराबाई मनहर :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने आदिम जाति विकास मंत्री जी से सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के स्कूली छात्र, छात्राओं को वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2017 - 2018 तक देय छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में जानना चाहात था । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में ....(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\05-07-2018\a18\.-.5

जारी.. श्रीमती केराबाई मनहर :- मंत्री जी उत्तर में दिये हैं। वर्ष 2015-16 में 38550 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है, शेष 1040 छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति भुगतान शेष है। इसी तरह वर्ष 2016-2017 में 30833 छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है एवं 9233 छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति भुगतान शेष है। वर्ष 2017-2018 में 28731 छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है और इसमें 10312 छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भुगतान शेष है। इस प्रकार से तीन वर्षों में 20589 गरीब छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति भुगतान ऑनलाईन होने के बाद भी नहीं होने का कारण क्या है?

श्री भूपेश बघेल :- बहन जी, आप उत्तर दे रही हैं या प्रश्न कर रही हैं?

श्रीमती केराबाई मनहर :- मैं उन्हीं के उत्तर को पढ़ी हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न के उत्तर में जो लिखा है उसमें जिनका भुगतान नहीं हुआ है उसके बारे में वह जानना चाह रही हैं।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं उसमें वर्ष 2015-16 के लगभग 1040, वर्ष 2016-2017 के लगभग 9233 एवं वर्ष 2017-18 के लगभग 10312 विद्यार्थियों को इसमें लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि उनका एकाउंट नंबर गलत आ गया था। उसको सुधारने की प्रक्रिया की गई है। आने वाले समय में इन सबको जल्द से जल्द छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

श्रीमती केराबाई मनहर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, कृपया शेष छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति भुगतान 30 जुलाई तक करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करेंगे क्या?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, जैसे ही एकाउंट नंबर आ जायेगा हम लोग वैसे ही उसमें पैसा ट्रांसफर कर देंगे।

सरगुजा संभाग अंतर्गत एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत राशि

11. (*क्र. 262) श्री अमरजीत भगत:- क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग क्षेत्र अंतर्गत एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 से मई 18 तक स्टापडेम निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस स्थान के लिये स्वीकृत की गई? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत स्टाप डेम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी †[3] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) स्टापडेम कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में कार्यालय में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अत: कार्यवाही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन के तहत वर्ष 2016-2017 में मई, 2018 तक स्टाप डेम में कितनी राशि कितने स्थानों के लिए स्वीकृत की गई है क्योंकि जो सूची आपने दी है उसमें अधिकांश जगह पर खाली स्टाप डेम बना है, बोर्ड जरूर लगे हैं लेकिन पानी कहीं नहीं रूकता है। तो क्या निर्माण कराने से पहले उसके स्थल निरीक्षण करने का प्रावधान है या नहीं और है तो इन जगहों पर पानी क्यों नहीं है और इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जलग्रहण मिशन के तहत ये छोटे-छोटे काम होते हैं। ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक और अधिकतम 25 लाख तक के काम इसमें होते हैं और ये किसानों की मांग के आधार पर है और जलग्रहण मिशन के तहत जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वृष्टिछाया छात्र है वहां पर ऐसे स्थान जहां पर पानी रोका जा सकता है उन स्थानों पर पानी रोकने के लिए इस प्रकार की गतिविधि चलाई जाती है और उसका सर्वे भी किया जाता है कि पानी कहां पर रूकेगा। जहां पर पानी रूकता है वहीं पर ये स्टाप डेम बनाये जाते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि आखिर स्टाप डेम का निर्माण क्यों कराते हैं, पानी रोकने के लिए।

अध्यक्ष महोदय :- अभी सत्यनारायण शर्मा जी नहीं है नहीं तो पूछते कि पानी कहां रूका हुआ है। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि निर्माण से पहले, उचित जगह पर निर्माण हो और शासकीय राशि का सदुपयोग हो, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे क्या? क्योंकि अधिकांश जगह जहां पर स्टाप डेम निर्माण हो रहा है, लागत से ज्यादा का तो बोर्ड लग जाता है लेकिन उसमें एक बूंद पानी रहता नहीं है। तो

[3] **परिशिष्ट सात**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसके लिए कोई निर्देश जारी करेंगे क्या कि निर्माण से पूर्व स्थल का निरीक्षण हो और उचित जगह पर स्टाप डेम बने ताकि किसानों को उसका लाभ मिले?

समय: 11.44 बजे (सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उचित स्थान पर ही वह बनाया जाता है और राशि का भी दुरूपयोग नहीं होता, सदुपयोग ही होता है। परंतु निश्चित रूप से आपका सुझाव है क्योंकि छोटे-छोटे काम होते हैं, नहीं तो जितने का काम नहीं है उससे ज्यादा सर्वे में पैसा खर्च हो जायेगा। ये तो किसानों के अनुभव के आधार पर कि यहां पर बनना चाहिए, वहां पर बनना चाहिए, यहां पर पानी रूकेगा, नजरी देखकर और उसके आधार पर बनता है। आपका सुझाव अच्छा है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे।

श्री कुरैशी

कुरैशी\05-07-2018\a19\11.40-11.45

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, इसमें निर्माण कार्य स्वीकृत करने की क्या प्रक्रिया है मंत्री जी ? क्योंकि हम लोग कलेक्टर के माध्यम से विभाग को देते हैं तो कहीं स्वीकृत नहीं होता है, जबकि हमें पता ही नहीं चलता है कहां से स्वीकृत होकर आ जाता है । आपको देने से स्वीकृत होता है या कलेक्टर को देने से स्वीकृत होता है या विभाग में देने से स्वीकृत होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, जैसे बाकी कामों की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया इसमें भी है । चूंकि इसमें पहले से केन्द्र सरकार के द्वारा अलग-अलग क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उन्हीं क्षेत्रों में क्या-क्या काम करवाया जा सकता है, यह भी तय है । केन्द्र सरकार की ओर से एक नॉमीनेटेड एजेंसी के द्वारा पूरे एरिये का सर्वे करके, कहां पर परकोलेशन टैंक बनना चाहिए, कहां पर चेक डेम बनना चाहिए, कहां पर स्टॉपडेम बनना चाहिए, कहां पर कुंए खोजे जाने चाहिए, इसके लिए लोगों का जो आवेदन आता है, वहां हमारा जिले का कृषि अधिकारी होता है, उसके पास आवेदन आते हैं और उसके आधार पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसके लिए पैसा सेंक्शन होता है, राज्य स्तर पर सेंक्शन होकर वहां जाता है और उनके द्वारा ही स्थानीय स्तर पर काम करवाया जाता है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत पूरे प्रदेश में काम स्वीकृत हुए, लेकिन सरगुजा में इसका काम नहीं हुआ । इसकी कार्ययोजना बननी थी, कार्ययोजना बनकर गई, लेकिन एक भी काम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत नहीं हुआ । इसके क्या कारण हैं, इसके लिए कौन दोषी है, इसमें कब तक स्वीकृति मिलेगी ?

समय
11.47 बजे **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज जानकारी में ला रहे हैं, देखेंगे सरगुजा में काम क्यों नहीं हुआ ?

श्री अमरजीत भगत :- जी, जी, नहीं हुआ है । हम लोगों ने बहुत प्रस्ताव दिये हैं और लम्बी लम्बी कार्ययोजना बनी, लेकिन एक भी काम संचालित नहीं है, यानी स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिए, हम निश्चित रूप से इसको दिखवाएंगे ।

बस्तर वि.स. क्षेत्र में लघुत्तम एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्य

12. (*क्र. 681) श्री लखेश्वर बघेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लघुत्तम सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत कितने तालाब, हेचरी, स्टॉप डैम, चेकडैम, एनीकट स्वीकृत किए गए ? कितने पूर्ण हुए व कितने निर्माणाधीन है ? कितने कार्य प्रारंभ नहीं हुए ? स्वीकृत राशि, व्यय राशि कार्य का नाम सहित वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार योजनाओं के पूर्ण होने पर कितने हेक्टयेर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है ? वर्षवार विकासखण्डवार बतावें ?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में लघुत्तम सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत तालाब, हेचरी, स्टापडेम चेकडेम, एनीकट में स्वीकृत कार्यों की जानकारी विभिन्न विभागों से प्राप्त कर †[4]संलग्न प्रपत्र (अ), (ब), (स) एवं (द) में दर्शित है. स्वीकृत कार्यों में पूर्ण, निर्माणाधीन एवं अप्रारंभ कार्य तथा कार्यों की स्वीकृति राशि, कार्यवार व्यय राशि सहित वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र (अ), (ब), (स) एवं (द) में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन "क" के अनुसार योजनाओं के पूर्ण होने पर निर्मित सिंचाई क्षमता एवं वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र (अ), (ब), (स) एवं (द) में दर्शित है.

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लघु सिंचाई योजना से संबंधित था । मंत्री महोदय ने विस्तृत जानकारी दी है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विभिन्न प्रकार के काम लघु सिंचाई, तालाब निर्माण, चेकडेम, एनीकट आदि के कार्य हुए हैं, ये कार्य किस-किस योजना के हैं और किस-किस ग्राम में ये तालाब निर्माण हुए हैं, बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 अब ये काम अगर मैं बताउंगा तो इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा भी लघु सिंचाई तालाब, चेकडेम बनाए गए हैं, मनरेगा मद से भी बनाए गए हैं। लघु सिंचाई तालाब 3, कुल स्वीकृत कार्य 61, तालाब का निर्माण 48, चेकडेम का निर्माण 10, इस प्रकार से लगभग 61 कामों का, 349 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए, 331 लाख खर्च करके पिछले 4 सालों में कृषि विभाग के द्वारा ये निर्माण किये गये हैं । लघु सिंचाई तालाब और चेकडेम के मनरेगा मद से तालाब के 17 तालाबों का निर्माण किया गया है, 2 चेकडेम का निर्माण किया गया है, 733 डबरी का निर्माण किया गया है, 66 जगहों पर कच्ची नाली का निर्माण किया गया है, 463 जगहों पर कुंए का निर्माण किया गया है, 108 जगहों पर बोरी बंधान किया गया है, 10 जगह परकोलेशन टैंक बनाए गए हैं, 4 जगहों पर जलग्रहण का काम हुआ है, 16 स्थानों पर तालाब गहरीकरण का काम किया गया है । इसके लिए लगभग 772.75 हेक्टेयर में इसके माध्यम से सिंचाई होगी । इसके लिए 983 लाख रूपए अभी तक खर्च किए गए हैं । 30 करोड़, 44 लाख, 79 हजार स्वीकृत हुए हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

4 † परिशिष्ट "आठ"

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने ग्राम के बारे में भी पूछा था कि किस-किस ग्राम में हुआ है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये जो टोटल काम हैं, ये एक हजार से ज्यादा काम हैं । अगर आपको ग्रामों का नाम चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- 2017-18 में दुबेउमरगांव एनीकट बामनगुडा पारा इच्छापुर स्टापडेम सेंक्शन हुए हैं और एक साल व्यतीत होने के बाद भी कार्य अप्रारंभ है और निविदा स्वीकृत नहीं हुई है । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसा बताया गया है । एक-एक साल हो गया और अभी भी निविदा की कार्यवाही चल रही है, यह कब तक हो जाएगा ? बताने का कष्ट करें ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\05-07-2018\b10\11.50-55

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, दुबेउमरगांव एनीकट का एग्रीमेंट भी हो गया है, निविदा भी हो गई है और मुझे लगता है कि बरसात के पहले या बाद में उसका काम प्रारंभ हो जाएगा । दूसरा, जो वामनगुड़ा इच्छापुर है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निविदा की जा सके और उसकी प्रक्रिया की जाए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2017-18 और 2018-19 में इतने सारे काम किये हैं, उन कामों में अनियमितता की किसी प्रकार की शिकायत हुई है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं है और आपने ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं पूछा है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, शिकायत करने से इसकी जांच होगी क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये तो काल्पनिक प्रश्न है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काल्पनिक नहीं है, आप सबके पास शिकायत हुई है और जैसे आदरणीय विधायक महोदय ने कहा था कि ऐसे स्थलों में चैक डेम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बनाए गए हैं, ऐसी जगहों में तालाब बनाए गए हैं, बरसात में पानी नहीं रहता । इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था कि किस-किस गांव में हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- किसी गांव में गलत जगह बन गया है, ऐसे कोई गांव का नाम बता दीजिए तो वे दिखवा लेंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 परसेंट काम लघु सिंचाई के नाम से तालाब बने हैं । किसी भी तालाब में बरसात में भी पानी नहीं रहता है, ऐसी जगहों में भी बनाए जाते हैं और इसकी शिकायत करने से जांच होगी क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 30 करोड़ रूपये सेंशन हैं, 9 करोड़, 83 लाख रूपये मनरेगा में खर्च हुए और उससे कामों की संख्या आप देखेंगे तो डबरी निर्माण 733....

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई तालाब की बात कर रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 433 कुंआ निर्माण, 108 बोरी बंधान का काम । अगर 30 करोड़ रूपए में एक हजार से ज्यादा काम हो रहे हैं तो उनकी लागत कितनी होगी और इतनी नॉमीनल लागत में अगर कोई काम हो रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि वहां के अधिकारी-कर्मचारी को बधाई देना चाहिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बधाई के पात्र होते तो शिकायत नहीं होती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तालाब निर्माण के मामले में भी 61 काम हुए हैं और 61 काम के लिए साढ़े तीन करोड़ रूपये सेंशन हुए हैं और उसमें 3 करोड़, 31 लाख रूपए खर्च हुए हैं । मतलब औसतन पांच लाख रूपए एक काम के पीछे खर्च आया है । छोटे-छोटे काम जो वहां के हमारे जनप्रतिनिधि, साथ में किसान और आवश्यकता के अनुरूप इनकी स्वीकृति की जाती है । आपने जो प्रश्न किया है, आप तो विधायक हैं, कोई सामान्य आदमी भी शिकायत करेगा तो उसकी जांच होती है । आप निश्चित रूप से शिकायत दीजिए तो जो आप गड़बड़ी बताएंगे, उस पर कार्यवाही करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखेश्वर बघेल :- धन्यवाद ।

सरगुजा जिले से गुजरने वाली कनहर नदी पर झारखंड शासन द्वारा प्रस्तावित बांध निर्माण

13. (*क्र. 558) श्री अमित अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरगुजा की कनहर नदी पर झारखंड शासन द्वारा बाँध बनाना प्रस्तावित है? यदि हां तो इस बाँध में छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा प्रभावित होगा ? (ख) उपरोक्त प्रस्तावित बाँध से छत्तीसगढ़ को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? (ग) कनहर नदी पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गए बाँध से छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है ? क्या छत्तीसगढ़ को इस नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) सरगुजा की कन्हर नदी पर झारखंड राज्य द्वारा गढ़वा जिले के ग्राम खुर्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम अनिरूद्धपुर के बीच कन्हर (खुर्री) बैराज का निर्माण प्रस्तावित है. इस बैराज के निर्माण से छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का 01 गांव अनिरूद्धपुर का 79.55 हे. हिस्सा प्रभावित होगा. (ख) उपरोक्त प्रस्तावित बैराज से छत्तीसगढ़ को होने वाले नुकसान के एवज में राज्य सरकार ने प्रभावित भूमि एवं परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति हेतु राशि रु. 1740.64 लाख की मांग झारखण्ड राज्य से की है. इसके अतिरिक्त उद्वहन सिंचाई एवं मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त रु. 500.00 लाख की मांग किया जाना भी प्रस्तावित है. (ग) कन्हर नदी पर उत्तरप्रदेश शासन द्वारा बनाये जा रहे बांध से छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में विकास खण्ड रामचन्दरपुर के 6 ग्राम यथा झारा, कुशफर, सेमरवा, धौली, त्रिशुली एवं कामेश्वरनगर डूबान में चिन्हांकित किये गये हैं, जिसमें राजस्व भूमि 111.43 हेक्टेयर, निजी भूमि 57.23 हेक्टेयर एवं वन भूमि 191.41 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 360.07 हेक्टेयर भूमि डूबान में संभावित है. छत्तीसगढ़ शासन को इस नुकसान से मुआवजे के एवज में राशि रु. 6794.30 लाख प्राप्त हो चुकी है. इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण कार्य, भू-अर्जन प्रकरण, वन प्रकरण एवं पुनर्वास प्रकरण तैयार करने के लिए भी रु. 240.00 लाख पृथक से प्राप्त हुआ है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सरगुजा जिले से गुजरने वाली कनहर नदी पर झारखंड शासन द्वारा प्रस्तावित बांध के संबंध में था । मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि झारखण्ड सरकार से मुआवजा राशि कब तक मिलने का अनुमान है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उनसे लगभग 19 करोड़ रूपए तक की मांग की है और उसकी राशि अभी नहीं मिली है, सर्वे के लिए राशि मिली है । हम उम्मीद करते हैं कि वहां से जल्द ही राशि मिलेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड सरकार द्वारा बांध बनाने पर समाचार-पत्रों के अनुसार में, मेरी जानकारी के अनुसार 28 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं, जबकि मंत्री जी केवल एक ग्राम प्रभावित होने की बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में जो जानकारी दी है, वह सच्चाई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- ये प्रश्न करने वाले का तेवर नहीं दिख रहा है आपका । (हंसी) ये प्रश्न अमित जी का था और आप पूछ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी, उसी रंग का कुर्ता पहनकर आये हैं, जिस रंग ही इनकी पार्टी का झंडा है । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है... श्री देवांगन

देवांगन\05-07-2018\b11\11.55-11.60

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है और जो हमने कहा है कि उनके क्षेत्र का एक गांव डूबान में आ रहा है, वह हमने एकदम सही कहा है। माननीय राय जी, आपको चिंता करने की जरूरत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं है। छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करने में हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है और छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ की रक्षा करने वाले दिख नहीं रहे हैं ?

प्रश्न संख्या - 14 XX XX

कोण्डागांव जिले के चयनित हितग्राहियों की कृषि भूमि में तालाबों की खुदाई

15. (*क्र .685) **श्री मोहन मरकाम :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से 15 जून, 2018 की स्थिति में कोण्डागांव जिले में चयनित क्लस्टर मयुरडोंगर व चारगांव में कितने हितग्राहियों की कृषि भूमि में तालाबों की खुदाई की गई ? तालाब खुदाई का रकबा व लागत का ब्यौरा देवें ? (ख) क्या उक्त तालाबों की खुदाई जेसीबी अथवा ट्रेक्टर के माध्यम से करायी गयी ? यदि हां तो किस एजेंसी को किस दर पर कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ.आर.ए.) अंतर्गत कोण्डागांव जिले के चयनित क्लस्टर मयूरडोंगर एवं चारगांव में जिला खनिज न्यास मद से 37 कृषकों की भूमि में निर्मित किये गये तालाबों की लागत, अद्यतन व्यय राशि एवं रकबा की क्लस्टरवार जानकारी निम्नानुसार है:

राशि रु .लाख में

क्र.	**क्लस्टर का नाम**	**कृषकों के खेत में निर्मित तालाब (संख्या)**	**प्रस्तावित रकबा (हे.)**	**स्वीकृत लागत राशि**	**प्राप्त राशि**	**व्यय राशि**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मयूरडोंगर	20	4.052	147.270	44.181	44.150
2.	चारगांव	17	2.797	131.250	39.375	39.350

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योग	**37**	**6.849**	**278.520**	**83.556**	**83.500**

(ख) जी हां. तालाबों की खुदाई मशीन (ट्रेक्टर, जेसीबी आदि) द्वारा करवाई गई है. विभिन्न कार्यों हेतु अनुमोदित दर एवं एजेंसियों को किये गये भुगतान का क्लस्टरवार विवरण † संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' पर है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था, जो कोण्डागांव जिले में चयनित क्लस्टर चारगांव और मयूरडोंगर में तालाबों की खुदाई से संबंधित था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तालाब खुदाई के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी क्योंकि ट्रेक्टर और जेसीबी से खुदाई की गई है क्योंकि यह बड़ी राशि का मामला है। क्या उसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी डोजर, बुलडोजर, स्ट्रेपर, रोलर के लिए अपना एक रेट तय करती है और उस रेट के आधार पर कमेटी के अनुमोदन से ही इसमें पेमेंट होता है। उस कमेटी ने जो रेट तय किये हैं, उसी के आधार पर यह काम हुआ है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मयूरडोंगर में 55 फर्मों को, चारगांव में 33 फर्मों को मतलब सभी के रेट अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि अगर निविदा होती तो कहीं न कहीं किसानों को उसका ज्यादा लाभ मिलता। आपने मयूरडोंगर में 55 फर्मों को भुगतान किया है तथा चारगांव में 33 फर्मों को भुगतान किया हैं तो कहीं न कहीं विरोधाभास है। अगर कोई एक फर्म करता तो कम रेट में भुगतान होता। आपने अलग-अलग फर्मों को भुगतान किया है तो कहीं न कहीं इससे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ नहीं मिला। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ की कोई शिकायत नहीं है, जब कोई शिकायत नहीं है तो मुझे लगता है कि जांच करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अलग-अलग दूरी की दृष्टि से, अलग-अलग काम की दृष्टि से खेत की परिस्थितियों के आधार पर क्योंकि मैंने इसको पूरा देखा तो कहीं छोटे-छोटे खेत हैं, कहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टेड़ा है, कहीं लंबा है, कहीं चौड़ा है तो उन परिस्थितियों के आधार पर उसको पेमेंट किया गया है इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं सिंचाई की सुविधा के लिए तालाब निर्माण यदि है तो कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा होगी, किस उद्देश्य से उस तालाब का निर्माण किया गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो निर्माण है, ये हमारे वनवासी भाइयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये निर्माण के काम किये गये हैं। इन निर्माण कामों के माध्यम से वह तालाब अगर उनके खेत में बनेगा तो वे अपने खेत में सिंचाई भी करेंगे, निस्तारी के लिए भी पानी होगा, उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, जानवरों को भी पानी पिला सकते हैं तो अगर कोई एक डबरी या कोई एक तालाब किसी एक किसान के खेत में बनता है तो उससे विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा, वाटर कंजर्वेशन भी होगा, वाटर रिचार्जिंग भी होगा। बहुत सारे उद्देश्य हैं तो कुल मिलाकर हमारे वनवासी भाइयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उनके खेतों में तालाब खुदवाए गये।

जिला राजनांदगांव में कृषकों को फसल बीमा का प्रदत्त लाभ

16. (*क्र .546) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कितने कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है ? (ख) उपरोक्त कृषकों में से कितने कृषकों को फसल बीमा का लाभ प्राप्त हुआ ? (ग) फसल बीमा की राशि का भुगतान दिनांक 1 जून 2018 की स्थिति में कितना लंबित है ? लंबित प्रकरणों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की फसल मौसमवार की संख्या †संलग्न प्रपत्र (अ) एवं (ब) पर है. (ख) जानकारी †संलग्न प्रपत्र (अ) एवं (ब) पर है (ग) जानकारी †संलग्न प्रपत्र (अ) एव (ब) पर है.

श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जिला राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कितने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है ? जून 2018 की स्थिति में कितना लंबित है ? लंबित प्रकरणों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में अभी तक जितने किसानों ने बीमा करवाया था और जो इसमें पात्र पाये गये हैं, उनमें से 99 परसेंट किसानों के बीमे का भुगतान हो गया है। 1 परसेंट जो डिसपुटेड है, वह बचा है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में 5 लाख 44 हजार से ज्यादा किसानों को बीमे की राशि उनके खाते में जमा की गयी है और लगभग 9-10 हजार किसान बचे हैं, जिनके खाते में 33 करोड़ रुपये की राशि जमा होनी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त।)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सविता\05-07-2018\b12\12.00-12.5

अध्यक्ष महोदय :- पहले पटर पर रखने वाला ले लेते हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किनको पटल पर रखेंगे ? मंत्री जी को ? मंत्री जी आप सीधे-सीधे पटल पर आ जाईये।

समय
12.00 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना।</u>**

(1) <u>छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005)</u>

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2017-2018 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूँ।

(2) <u>छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.</u>

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखता हूँ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में एक और किडनी पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई और सुपेबेड़ा के साथ-साथ निष्ठीगुड़ा, सेमगुड़ा, परेवापाली, मोटरापाली, सागोनबाड़ी आसपास के एक दर्जन से अधिक गॉवों में किडनी से पीड़ित लोगों की मौत हो रही है। सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है और इस असफलता के कारण से उसे ग्रामीणजन भुगत रहे हैं। हम लोगों ने इसमें स्थगन लगाया है कृपया स्वीकार करके चर्चा करायें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है। न स्वास्थ्य मंत्री जी को चिन्ता है, न लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी को चिन्ता है। सुपेबेड़ा में निरंतर मौतें हो रही हैं। इतने समाचार पत्र रंगे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन का ध्यान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है आज कृपा हो जाए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है और लगभग 1560 की आबादी वाले सुपेबेड़ा में सरकारी आंकड़ा 65 मौतों का है जबकि गॉव वालों का कहना है कि 106 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां आज भी मेरे ख्याल से रामकृष्ण हॉस्पिटल में 3 पेसेंट गंभीर रूप से भर्ती किये गये हैं। एक की हालत बहुत गंभीर है अभी दो लोग गॉव में पड़े हुए हैं उनके लिए कोई सुध नहीं ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- बात ध्यान में आ गई ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 47 परिवार ऐसे हैं, जिनके लोग नहीं है और 45 परिवार ऐसे हैं जहां पर विधवाएं हैं, 45 प्रतिशत।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में हो रही लगातार मौतें हमारे इस प्रदेश के लिए बहुत कलंक का विषय है। लगातार ये विषय उठने के बावजूद भी आज तक उसका निदान नहीं हो रहा है लोगों की रोज मौतें हो रही हैं कृपया स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुपेबेड़ा उड़ीसा का बार्डर है पूरे छत्तीसगढ़ में इसका मैसेज गलत जा रहा है क्योंकि एक गॉव में लगातार इतनी मौतें होने के बाद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, उनका ईलाज नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में आदिवासी लोगों के ऊपर, सुपेबेड़ा का मामला गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने शून्यकाल में ध्यान में ला दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,ये आदिवासी अंचल की बात है और यहां स्वास्थय व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार मौतें हो रही है और इस पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसमें स्थगन लगा हुआ है कृपया इसमें चर्चा करायी जाए।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागॉव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है । पी.एच.ई. मंत्री का बयान दूसरा आता है हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान दूसरा आता है। कहीं न कहीं सरकार गंभीर नहीं है। इसमें चर्चा होनी चाहिए।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में लगातार घटनाएं होने से मेरा आपसे निवेदन है कि स्थगन को तो ग्राहय किया जाए। वहां पर राजकीय आपदा भी घोषित की जाए क्योंकि वहां पर किसी की शादी नहीं हो रही है।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुंजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिले सुपेबेड़ा जो गांव है वहां किडनी रोग से बहुत लोग पीड़ित है यह रोज टी.वी. में आ रहा है सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और 87 हजार करोड़ का बजट पास करने के बाद पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ये गंभीर बात है इसमें स्थगन लाया गया है, इस पर रोककर चर्चा करायी जाए।

डॉ. विमल चोपड़ा (महासमुंद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में बहुत चर्चा हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी, माननीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी, राजेश मूणत जी, भईयालाल राजवाड़े जी, नेता प्रतिपक्ष श्री सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और जिन साथियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ ही एक व्यवस्था का प्रश्न कल आपने कहा था कि विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चौधरी

चौधरी\05-07-2018\b13\12.05-12.10

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं ऐसा नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि वक्तव्य के लिए सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए। आपके द्वारा सदन में कोई वक्तव्य दिया जायेगा, इसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई, विशेषाधिकार के बारे में मैंने नहीं बोला।

डॉ. विमल चोपड़ा :- मैंने सूचना सचिव महोदय के कार्यालय में दे दी है।

अध्यक्ष महोदय :- क्योंकि यहां पर माननीय किसी भी विधायक को वक्तव्य देना होता है तो पूर्व में सूचित कर देता है।

डॉ. विमल चोपड़ा :- जी, बाकी मैंने सूचना दी है। मेरा अनुरोध है कि विशेषाधिकार की सूचना ग्राह्य की जाये।

श्री केशव चन्द्रा (जैजैपुर) :- खरीफ का महत्वपूर्ण समय है और पूरे प्रदेश के सेवा सहकारी समिति के लोग आंदोलन कर रहे हैं जिसके कारण प्रदेश के किसानों को बीज, खाद नहीं मिल पा रही है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं इस पर विचार करें ताकि किसान लोगों को इस महत्वपूर्ण समय पर खाद-बीज मिल सके।

श्री राजेन्द्र कुमार राय (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरे क्षेत्र में कचान्दुर से सकरौद कानाकोट, गोरगान चौक से भाटागांव चौक तक जो मार्ग स्वीकृत हुआ है उसमें मात्र 2 सेन्टीमीटर डामरीकरण का प्रावधान किया गया है, उसमें बजट बढ़ा करके उसमें कम से कम एक इंच किय जाये। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री गिरवर जंघेल (खैरागढ) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा के तहत ऐसे गांव हैं जहां पूर्ण रूप से फसल खराब हो गई थी, उन लोगों को न ही सोयाबीन और न ही धान का फसल बीमा मिला है। मैं ऐसे ग्रामों के नाम बताना चाहूंगा- छुईखदान विकासखंड में बेलगांव, खैरानवापारा, गुमानपुर, खैरबाना, धोढ़िया, मुरई, पुरैना, धोंधा, बुंदेली, जोम, उदान, तेंदूभाठा, विचारपुर, पंडरिया, ओटेवन और खैरागढ़ तहसील में अमलीडीहकला, कुलीकसा, भुलाटोला, टेकापाल, चालबांधा, सलौनी, पवनतरा, करमतरा, अवेली, सेरगांठ, रंगकठा, इस प्रकार से बहुत सारे गांव हैं, जिनको बीमा का लाभ नहीं मिला है और वहां की फसल पूर्ण रूप से खराब थी। मैं इसके संबंध में ध्यानाकर्षण भी लगाया हूं। मैं माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इनका पुन: जांच कराकर पीड़ित किसानों को बीमा राहत राशि दी जाये।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। वहां न लोगों की शादी हो पा रही है, न ही ईलाज हो पा रहा है। उड़ीसा, तेलंगाना में जाकर ईलाज करा रहे हैं। लोग जमीन बेच रहे हैं। वह वो ईलाका है जो हीराधारी क्षेत्र है और वहां उस प्रकार से औने-पौने दाम मे लोग जमीन बेचकर अपना ईलाज करा रहे हैं और ईलाज हो नहीं रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दा को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। हम चाहते हैं कि यहां पर पेयजल की व्यवस्था करा दें।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो चर्चा के लिए कोई..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बहुत गंभीर विषय है, उससे अभी तक सैकड़ों लोग पीड़ित हो चुके हैं। सरपंच ने लिख कर दिया है कि उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मैं गांव में खुद गया था, वहां 170 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मामला बहुत गंभीर है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इनके पास अपडेटेड आंकड़ा है। अभी एक हफ्ते पहले आप गये हैं। आपका आंकड़ा ज्यादा सही माना जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आंकड़ा?

श्री भूपेश बघेल :- हां सरपंच ने जो लिख कर दिया है, वही बात बता रहा हूं। मैंने कहा है कि सरपंच ने लिखकर दिया है, वह 106 का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह आंकड़ा में आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई।

.. (व्यवधान)..

श्री भूपेश बघेल :- जो लिखित है वह 106 का है। .. (व्यवधान)..

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी 106 था .. (व्यवधान)..

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।.. (व्यवधान)..

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आंकड़ा सुधार कर दिया जाये, 106 की जगह 160 अंकित कर दिया जाये। उसको सुधार करवाना चाह रहा हूं। मैंने सुधार करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा बयान 160 लिखा जाये।

.. (व्यवधान)..

श्री भूपेश बघेल :- आपके आंकड़ें 59 और सरपंच ने 106 लिखकर दिया है, यह कौन सा आंकड़ा सही है, आप बता दीजिए। गांव वालों ने 170 बताया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री संतराम नेताम :- अगर एक भी मौत हो तो क्यों हो? यह सरकार की नाकामी है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चन्द्राकर जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कुछ तो ध्यान दीजिए। आपका इस तरह से जवाब देना उचित लगता है।

श्री भूपेश बघेल :- उनके पेयजल की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। सदन में ग्राहय करवाईये और अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करिये। अब मुंह क्यों बंद हो गया ? आप खड़े होकर बोलिये कि ग्राहय करके चर्चा करायें।

.. (व्यवधान)..

श्री अरविन्द

अरविंद\05-07-2018\b14\12.10-12.15

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन में ग्राहय कराईये। आपके आकड़े हैं, वह खड़े होकर बोलिये। एक में 106 और दूसरे में 170, किस की बात सही है। कोई तालमेल नहीं है। ....(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप सदन से निवेदन करिये कि इसको ग्राहय करे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ग्राहय कराना चाहते हैं। ट्रेजरी बैंच इसको ग्राहय कराना चाहती है। चलिये ग्राहय कराईये, चर्चा कराईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आदेश होगा तो 106 वाले पर ....(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, क्या दो लोग मरते तो क्या मामला गंभीर नहीं होता। यह 106 और 106 का चर्चा में क्या औचित्य है। सरकार को तो कहना चाहिए कि बहुत गंभीर स्थिति है और हम सक्षम नहीं रहे। हम वहां से एडमिट तक नहीं करा पाये।

श्री भूपेश बघेल :- आप आसंदी से निवेदन करिये कि ग्राह्य किया जाए।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्थिति बहुत गंभीर है। इसमें चर्चा कराई जाए।

श्री अमरजीत भगत :- यदि एक की भी मौत हो तो भी स्थिति गंभीर है। आदिवासियों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी, एक मिनट।

श्री धनेन्द्र साहू :- हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस पर चर्चा कराये, आप कम से कम ग्राह्यता पर चर्चा करा लें। यह बहुत गंभीर विषय है। आपको स्वयं होकर कहना चाहिए कि इस पर चर्चा करा दिया जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इतने गंभीर विषय पर मजाक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, हंस-हंसकर मजाक कर रहे हैं। 106 लोगों की मौत हो गई है और आप मजाक उड़ा रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, हम हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है। लेकिन यह बात वास्तव में बहुत गंभीर है कि सदन के नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में जो आकड़ा रखा गया है वह 106 है। एक और प्रमुख नेता जो प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष और यहां के वरिष्ठ सदस्य हैं ..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय पाण्डेय जी, अगर एक व्यक्ति की भी मौत होगी तो वह क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मेरी अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 170. दो प्रमुख नेता अलग-अलग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आकड़ें रख रहे हैं। शून्यकाल में ये आकड़े प्रदेश में जाता है। पूरे प्रदेश में यह घटना हुई है, उससे यहां सब दु:खी हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति बताने की कोशिश की जो कोशिश है, यह निंदनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में सदन में कह रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- हम कह रहे हैं कि जांच कराये। ये पंचायत के आकड़ें हैं। ......(व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- आप जांच कराईये, सब मालूम हो जायेगा। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। (....व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- क्षेत्र खाली कराना चाहते हैं, इसलिए वे गंदा पानी, दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं।

श्री गोवर्धन मांझी :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय :- श्री गोवर्धन मांझी। आप बोलिये।

श्री गोवर्धन मांझी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। (....व्यवधान) मुझे बोलने दीजिये न। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ। मुझे बोलने दीजिये न। (....व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग जरा बैठिये। एक मिनट बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- हंसकर मजा ले रहे हैं। सौ-सौ लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी हंस-हंस कर मजाक उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप बैठिये। आप सबने विश्वास के साथ अध्यक्ष को निर्वाचित करके यहां बैठाया है और उनकी अनुमति से कोई भी, कभी भी खड़ा होकर बोल सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर किसी को अनुमति दिया हूं तो उसके लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, कि वह क्यों बोल रहे हैं।

.....जारी श्री श्रीवास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीवास\04-07-2018\b15\12.15-12.20

अध्यक्ष महोदय :- आप सब ने विश्वास के साथ अध्यक्ष को निर्वाचित करके यहां बिठाया है और उनकी अनुमति से कोई भी कभी भी खड़ा होकर बोल सकता है । इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर किसी को अनुमति दिये हैं तो उसके लिये प्रश्न नहीं होना चाहिये कि वह क्यों बोल रहे हैं । चूँकि आप सब लोगों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, आप लोगों ने काफी इसका आग्रह किया है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव को पढ़कर सुनाता हूँ ।

समय

12.15 बजे **स्थगन प्रस्ताव**

गरियाबंद जिले के ग्राम सूपेबेड़ा में किडनी रोग के कारण

ग्रामीणों की हो रही निरंतर मौत

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास गरियाबंद जिले के ग्राम सुपेबेड़ा में किडनी रोग के कारण ग्रामीणों की हो रही निरंतर मौत के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :-

प्रथम सूचना - श्री भूपेश बघेल, सदस्य

दूसरी सूचना - श्री धर्मेन्द्र साहू, सदस्य

तीसरी सूचना - श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

चौथी सूचना - श्री अमरजीत भगत, सदस्य

पांचवी सूचना - श्री कवासी लखमा, सदस्य

छठवी सूचना - श्री भोलाराम साहू, सदस्य

सातवीं सूचना - श्री रामदयाल उइके, सदस्य

आठवीं सूचना - श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नौवीं सूचना - श्री खेलसाय सिंह, सदस्य

दसवीं सूचना - श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य

ग्यारहवीं सूचना - श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

बारहवीं सूचना - श्री उमेश पटेल, सदस्य

तेरहवीं सूचना - श्री बृहस्पत सिंह सदस्य

चौदहवीं सूचना - श्री मोहन मरकाम, सदस्य

पंद्रहवीं सूचना - श्री गिरवर जंघेल, सदस्य

सोलहवीं सूचना - श्री चुन्नीलाल साहू, (अकलतरा) सदस्य

सत्रहवीं सूचना - श्री जनकराम वर्मा, सदस्य

अटठारहवीं सूचना - श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य

उन्नीसवीं सूचना - श्री अरूण वोरा, सदस्य

बीसवीं सूचना - डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य

इक्कीसवीं सूचना - श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य

बाईसवीं सूचना - श्रीमती अनिला भेडिंया, सदस्य

तेईसवीं सूचना - श्री संतराम नेताम, सदस्य

चौबीसवीं सूचना - श्रीमती तेजकुंवर नेताम, सदस्य

पच्चीसवीं सूचना - श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

छब्बीसवीं सूचना - श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य

सत्ताईसवीं सूचना - श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अठठाईसवीं सूचना - श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

उन्तीसवीं सूचना - डॉ. प्रीतम राम, सदस्य

तीसवीं सूचना - श्री दिलीप लहरिया, सदस्य

इकत्तीसवीं सूचना - श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य

बत्तीसवीं सूचना - श्री शंकर घ्रुवा, सदस्य

तैंतीसवीं सूचना - श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य

चौंतीसवी सूचना - श्री दीपक बैज, सदस्य

पैंतीसवीं सूचना - श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य

चूंकि श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, उसे मैं पढ़कर सुनाता हूॅ:-

प्रदेश के गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत ग्राम सूपेबेड़ा में किडनी रोग के कारण ग्रामवासियों की लगातार मौतें गंभीर चिंता का विषय है । सूपेबेड़ा में अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह सिलसिला जारी है । दिनांक 30.06.2018 को किडनी की बीमारी से पीड़ित गांव के 54 वर्षीय तपेश्वर नागेश ने दम तोड़ दिया । 1500 लगभग की कुल आबादी वाले इस गांव में सैकड़ों लोग अभी भी किडनी रोग से पीड़ित है । लगभग हर घर में एक विधवा है एवं विगम कई वर्षों से वहां लड़कों की शादी रूकी हुई है, क्योंकि वहां कोई लड़की नहीं देना चाहता । गांव के स्कूलों के नलकूपों की जांच में आयरन फलोराईड जैसे विषैले तत्व पाये गये हैं । गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर डर है । पानी में फलोराईड, आयरन और दूसरे भारी तत्वों की अधिकता के कारण ग्रामीणों की हडिडयां कमजोर हो गई है । दांत पीले और कई लोगों के पैर टेड़-मेड़े हो गये हैं । कमर झुक गई है । कई लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते । सूपेबेड़ा के आस-पास के गांव निष्ठिगुड़ा, सेंदमुड़ा, परेवापाली, मोटरापारा, सागौनबाड़ी, खोक्सरा, खम्हारगुड़ा, बिरलीगुडा और झिरिपानी जैसे दर्जनभर गांव की स्थिति भी सूपेबेड़ा जैसी है । पूरे गरियाबंद ब्लॉक में पानी में हैवी मेटल्स की उपस्थिति खतरनाक स्तर पर पाई गई है । जिन ग्रामीणों के पास जमीने थी, वह भी किडनी के मंहगे ईलाज में बिक गई, क्योंकि परिवार में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसी न किसी सदस्य को किडनी की बीमारी है । लगातार गांव की हालत बदतर होती जा रही है । देवभोग सामुदायिक अस्पताल में चिकित्सकों एवं चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में आये दिन पीड़ितों की मौत हो रही है । मरीजों के परिजन सहायता के लिए मुख्यमंत्री आवास एवं संजीवनी कोष व स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा रहे हैं । गरियाबंद जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा भी जिले के मरीज भुगत रहे हैं । सरकार की जांच में पानी के प्रदूशित होने के खुलासे के बाद भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की जा सकी है । प्रभावितों के ईलाज के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है । सूपेबेड़ा में लगातार हो रही मौतों के बावजूद भी सरकार चिकित्सक, अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाएं एवं ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलबध कराने में नाकाम रही है । इस मामले में निरंतर ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन-प्रशासन स्तर पर कई बार इस समस्या को उठाया जा रहा है । किन्तु प्रशासन व विभागीय उदासनीता व लापरवाही के कारण किडनी रोग की बीमारी ने विकराल रूप ले लिया तथा इतने व्यापक पैमाने पर ग्रामीणों के असामयिक मौत के रूप में परिणित हुई । ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि हीरा धारित क्षेत्र के गांवो को सरकार जान-बूझकर खाली करवा कर उद्योगपतियो को आबंटित करना चाहती है । एक ओर राज्य सरकार विकासयात्रा निकालकर विकास का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर शुद्ध पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में सैकड़ों लोग मर रहे हैं ....

श्रीमती यादव

नीरमणी\05-07-2018\b16\12.20-12.25

जारी.........अध्यक्ष महोदय :- वहीं दूसरी ओर शुद्ध पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में सैकड़ों लोग मर रहे हैं । राज्य सरकार को इस क्षेत्र में फैली इस गंभीर जानलेवा समस्या को राजकीय आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को ईलाज एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चत किया जाना चाहिए किंतु शासन-प्रशासन की घोर उदासीनता और लापरवाही के कारण किडनी की बीमारी से पीड़ित ग्रामीणजनों एवं मृतकों के परिजनों सहित क्षेत्रवासियों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है । अतएव इस संवेदनशील विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करेंगे चूंकि विषय बहुत गंभीर है । आपने वाचन भी किया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन ट्रेजरी बेंच से निवेदन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब उत्तर तो आ जाने दीजिये । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ग्राह्य कर लें और उसके बाद चर्चा करायें । आखिरी में उत्तर आता रहेगा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आखिरी में तो मंत्री जी का उत्तर आयेगा ही ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आखिरी में आ जायेगा । पहले चर्चा करा लें । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उत्तर आखिरी में आ जायेगा, इतना गंभीर मसला है और मुझे बड़ा दुख है कि श्री पाण्डे जी इसमें किस ढंग से क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान) राजस्व मंत्री जी आपको जरा सी पीड़ा नहीं है ? इतनी मौतें हो गयी हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट बैठ जाईये ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तो यही है कि जब आप कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और पढ़ेंगे उसके तत्काल बाद शासन का उत्तर आयेगा, शासन के उत्तर के बाद आप निर्णय करेंगे कि इस पर क्या करना है और क्या नहीं करना है । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- तो आप एक-साथ उत्तर दे देना न । (व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- जो आप निर्णय करेंगे उसके लिये शासन तैयार है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर बाद में आयेगा पहले ग्राह्य करके चर्चा करायें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- सरकार का उत्तर आने के पहले ही तो मंत्री जी बोल चुके। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, इतनी-इतनी मौतें हो गयीं आपको कुछ तो एहसास होना चाहिए । इतनी मौतों पर आपको तकलीफ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शर्मा जी, आप संसदीय कार्यों के विशेषज्ञ हैं और आपको मालूम है कि कोई विषय पर अगर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उसके बाद अध्यक्ष अगर उसको पढ़कर के सुनाता है तो यह आवश्यक रूप से मंत्री के उत्तर का इंतजार किया जाता है और माननीय मंत्री जी जब उत्तर देते हैं ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल ऐसे ज्ञाता लोगों के कारण ही परेशानी हो रही है । जानबूझकर मामले को ट्विस्ट करने की आदत हो गयी है, सब जान रहे हैं कि क्या परंपरा है, क्या प्रक्रिया है उसके बाद घूमा रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की क्षमता पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है । (हंसी)

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- मैंने क्षमता पर नहीं कहा, मैंने नीयत पर कहा । क्षमता तो है, क्षमता पूरी है । (व्यवधान)

श्री धनेंद्र साहू :- यह तो और ज्यादा गंभीर है आप नीयत के ऊपर शक कर रहे हैं । (हंसी)

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- इधर जो है थोड़ा-थोड़ा आजू-बाजू के संगत में बिगड़ गये हैं नहीं तो मध्यप्रदेश में तो बहुत अच्छा काम करते थे लेकिन छत्तीसगढ़ में ही गड़बड़ हो गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निकाल के दिखवा लीजिये कि आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इसे स्वीकार कर ले और चर्चा करायें । स्वीकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर लें, चर्चा करें फिर उसके आखिरी में मंत्री जी उत्तर दे दें । (व्यवधान) अनेक बार ऐसा हुआ है कि यह स्वीकार हुआ है, चर्चा हुई है और आखिरी में मंत्री जी ने उत्तर दिया है ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि या तो आप उसे निरस्त कर देते हैं या कक्ष में निरस्त कर सकते हैं लेकिन जब एक-बार आपने कोई प्रस्ताव का वाचन कर लिया वह भी स्थगन प्रस्ताव का तो उस पर शासन का जवाब आने के बाद ही आपके निर्णय पर ही होगा । यह न तो सरकार के निर्णय पर है, न आपके निर्णय पर है, हम सब निर्णयों के अधीन कार्य करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सत्यनारायण सिंह जी, माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय सभी नेता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उसके बाद भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग....

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि आप निर्णय लेंगे लेकिन यदि सत्तापक्ष पहले से स्वीकार कर ले तो फिर दिक्कत कहां होती है तो स्वीकार कर लें और स्थगन पर चर्चा करायें ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न यहां दायें न बायें बैठने वाले, निर्णय तो आपका चलता है और जो निर्णय आप लेंगे उसको दोनों को मानना है और इसीलिये जब आपने वाचन कर दिया है तो पहले जवाब आयेगा जवाब के बाद में आपका जो निर्णय होगा हम सब तैयार हैं तो इनका जवाब और इनके निर्णय पर आपको भरोसा नहीं है क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदन की जो राय होती है उसमें अध्यक्ष जी अपनी सहमति देते हैं । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ग्राह्य कर भी चर्चा करा सकते हैं और ग्राह्यता पर भी चर्चा करा सकते हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो कह रहा हूं ट्रेजरी बेंच से कि आप सहमति दे दें और चर्चा करा लें । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- हमें कोई आपत्ति नहीं है । सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । जो निर्णय माननीय अध्यक्ष जी का होगा सरकार तैयार है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- तो आप स्वीकर कर लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे लगता है सारे नियमों-कानूनों को आप सब समझते हुए भी जब स्थगन प्रस्ताव को आसंदी से................जारी

...............श्री यादव

यादव\05-07-2018\b17\12.25-12.30

अध्यक्ष महोदय :- मुझे लगता है कि आप सब सारे नियमों, कानूनों को समझते हुए भी, जब स्थगन प्रस्ताव को आसंदी से पढ़ दिया गया है तो इतना अधीर क्यों हो रहे हैं कि उत्तर भी नहीं सुनना चाहते हैं ? शासन का उत्तर तो सुन लीजिए ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, शासन ने तो स्वीकार कर ही लिया है। शासन की ओर से वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं । तो अब क्या बचा है ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ओ व्‍यवस्था जी, मैं भी तो बोल रहा हूं । आपसे पहले मेरी बात सुन लेने दीजिए । आप मंत्री हो भाई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी क्षमता और (अस्पष्ट) दोनों पर प्रश्न हो गया है । (हंसी) क्षमता के बारे में भाभी जी से पूछना पड़ेगा । (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चलो अभी, पैसा मैं जमा करवाता हूं, सिविल सर्जन से टेस्ट करवाते हैं, चलो । पैसा मैं जमा करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन की ग्राह्यता पर शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् ही किसी प्रकार से निर्णय किया जाएगा । माननीय मंत्री जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि गरियाबंद जिले के विकासखंड देवभोग के अंतर्गत सुपेबेड़ा में किडनी रोग के कारण मौतें हो रही हैं । वस्तुस्थिति यह है कि सुपेबेड़ा में ग्रामवासियों के रक्त में यूरिया एवं क्रिएटनिन की मात्रा अधिक मिल रही है और यह चिंता का विषय है । छत्तीसगढ़ शासन इसके ठोस कारण पता करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है । दिनांक 30.06.2018 को बीमार 54 वर्षीय तपेश्वर नागेश ने दम तोड़ दिया, जिसकी मृत्यु का कारण किडनी रोग है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है । गांव में दहशत/भ्रांति को भी दूर करने के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से कर गांव वालों को जागरूक भी किया जा रहा है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सुपेबेड़ा का पानी इनको पिलाओ भाई ।

श्री अजय चंद्राकर :- गांव के कुछ नलकूपों में फ्लोराईड की मात्रा निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाई गई है, जिसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप किया गया है । फ्लोराईड जांच के लिए जिला अस्पताल में लैब की स्थापना की जा चुकी है तथा सर्वे, प्रचार, प्रसार एवं स्वास्थ्य शिक्षा हेतु आवश्यक धनराशि भी दी जा चुकी है । गरियाबंद जिले में दंत चिकित्सक की स्थापना की गई जिनके द्वारा लगातार मरीजों के दांतों का परीक्षण कर उपचार भी किया जा रहा है । साथ ही कोई ढेड़े मेड़े विकृतधारी मरीज पाए जाते हैं और वे ईलाज कराने की सहमति देते हैं तो चिरायु योजना तथा चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ के माध्यम से उनके ईलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है ।

यह कथन सत्य नहीं है कि गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के सुपेबेड़ा गांव में शासन ईलाज की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा ग्राम, उसके आसपास के क्षेत्रों में 22.05.2107 से 11.07.2017 तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर क्षेत्र के 2400 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है । 2106 मरीजों के ब्लड सेंपल का परीक्षण किया गया, जिसमें 239 मरीजों में यूरिया एवं क्रिएटनिन की मात्रा अधिक पाई गई । जिसमें 15 मरीजों को मेडिकल कॉलेज रायपुर रिफर किया गया, किंतु 13 मरीजों ने उपचार कराने की सहमति नहीं दी । इनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग में ही किया गया । इसके अतिरिक्त 1 मरीज बुरला मेडिकल कॉलेज संबलपुर, 2 मरीज भवानीपट्नम तथा 2 मरीज धरमगढ़ ईलाज के लिये स्वयं होकर गये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसके साथ ही 12.07.2017 तक दिनांक 12.06.2017 से 15.06.2017 तक विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग एवं पीएसएम विषय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभावित ग्राम का दौरा किया गया ।

यह भी सही नहीं है कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसका कारण पता करने में नाकाम रही है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सुपेबेड़ा के आसपास के गांव से जल एवं मिट्टी का सेंपल एकत्रित किया । इसके साथ ही रोग के कारण की जानकारी के लिए रक्त, मूत्र के नमूने लेकर जांच की गई । सुपेबेड़ा में निरंतर कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है ।

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के विशेषज्ञों के दल द्वारा वृहत शिविर का आयोजन कर मरीजों की जांच एवं उपचार किया गया । निजी प्रमाणिकता प्राप्त चिकित्सालय से दो बार क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप में अपनी सेवाये दे चुके हैं । मेडिकल कॉलेज से पीएसएम विभाग के रायपुर, आईसीएमआर (मेडिकल रिसर्च संस्था) तथा एनसीडीसी (नेशनल सेंटर फॉर डिसीस कंट्रोल) जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र में बीमारी के कारण का पता लगाने हेतु निरीक्षण किया गया तथा उनके द्वारा संभावित कारक कारण बताये गये, किंतु कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलने की वजह से पुन: विस्तृत जांच की आवश्यकता भी बताई । इस क्षेत्र में हो रही समस्या का ठोस कारण ज्ञात करने हेतु मेरे द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार को पुन: देश के आईसीएमआर जैसी उत्कृष्ट संस्था से विस्तृत जांच करने हेत अनुरोध किया गया है ।

संजीवनी कोष के माध्यम से 19 लोगों का ईलाज प्रदेश के बड़े चिकित्सालयों में कराया गया । सरकार द्वारा सुपेबेड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर ......(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\05-07-2018\b18\.-.5

जारी.. श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार द्वारा सुपेबेड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों में व्याप्त बीमारी का निदान तथा उपचार किया गया है। जिला अस्पताल गरियाबंद हेतु डायलिसिस यूनिट की स्वीकृति कर दी गई है जिसकी स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह कहना सही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सुपेबेड़ा के 16 बोरवेल में से जलस्रोत दूषित थे, उनको बंद कराया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पी.एच.ई. द्वारा निष्ठीगुड़ा खार में दो नवीन बोर कर स्वच्छ पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही प्लास्टिक टैंक में नल लगाये गये हैं, जिसमें बोर का पानी उपयोग किया जा रहा है वहां साप्ताहिक क्लोरीन दिया जा रहा है। सुपेबेड़ा में ग्राम हेतु 2 किलोमीटर की दूरी में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र निष्ठीगुड़ा को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित किए जाने के लिए शासन से आदेश जारी कर दिये गये हैं। राज्य शासन के चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से निरंतर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अत: माननीय सदन से आग्रह है कि इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। माननीय भूपेश बघेल जी ने या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने या सदन ने जो भी चिन्ता जाहिर की है, जहां पर भी मानव क्षति होती है निश्चित रूप से वह गंभीर है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कहना है वह तो चर्चा स्वीकार करके करायें।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर आने के बाद उसमें फिर चर्चा शुरू नहीं हो रही है। शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार आदिवासियों को सुरक्षा देने में, उनका इलाज कराने में अक्षम साबित हुई है। आखिर सरकार की जवाबदारी क्या है?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लोगों को मार रही है।

श्री कवासी लखमा :- हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी घटना हुई है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार कर लें। अध्यक्ष महोदय, आप देखें की मंत्री जी का जवाब क्या आया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इसके पूर्व भी चर्चा हो गई है और कल आपको बोलने का मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री नवीन मारकंडेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के नाम पर 55 साल तक राज किया है लेकिन आदिवासियों की स्थिति में कहीं कोई सुधार नहीं आया है। इनकी नीयत खराब होने के कारण आदिवासियों की हालत हमेशा गंभीर रही है।

समय: 12.32 बजे

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

श्री कुरैशी

कुरैशी\05-07-2018\b19\12.35-12.40

अध्यक्ष महोदय :- इस सदन की कुछ मान्य परम्पराएं हैं, कम से कम उनका पालन तो होना चाहिए । जब अध्यक्ष खड़े हैं और कुछ व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो कम से कम उस समय शांत रहना चाहिए ।

समय

12.35 बजे **नियम 250(1) के अंतर्गत गर्भगृह में प्रवेश पर निलम्बन की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के तहत् निम्नांकित माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलम्बित हो गए हैं :-

1. श्री टी.एस.सिंहदेव (नेता प्रतिपक्ष)
2. श्री खेलसाय सिंह,
3. श्री बघेल लखेश्वर,
4. श्री मोहन मरकाम,
5. श्री श्यामलाल कंवर,
6. श्री सत्यनारायण शर्मा,
7. श्री अमरजीत भगत,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

8. श्री जयसिंह अग्रवाल,
9. श्री दिलीप लहरिया,
10. श्री दलेश्वर साहू,
11. श्री पारसनाथ राजवाड़े,
12. श्री बृहस्पत सिंह,
13. श्री भूपेश बघेल,
14. श्री धनेन्द्र साहू,
15. श्री गुरूमुख सिंह होरा,
16. श्री अरूण वोरा,
17. श्रीमती अनिला भेंडिया,
18. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम,
19. श्रीमती देवती कर्मा,
20. श्री दीपक बैज,
21. श्री शंकर ध्रुवा,
22. डॉ. प्रीतम राम,
23. श्री कवासी लखमा,
24. श्री भोलाराम साहू,
25. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
26. श्री जनकराम वर्मा,
27. श्री गिरवर जंघेल.

कृपया माननीय सदस्य सदन से बाहर जाएं । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर गए)

डॉ. विमल चोपड़ा (महासमुंद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज श्रीमती रूपकुमारी चौधरी जी का जन्म दिन है, हमारी संसदीय सचिव और हमारे जिले से विधायक हैं, मैं सदन की तरफ से उनको बधाई देता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निलम्बन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलम्बन समाप्त करता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, यदि गर्भगृह में आने और निलंबित होने और निलंबन वापसी का रिकॉर्ड अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि वर्तमान कांग्रेस विधायक दल सर्वाधिक रिकार्ड के साथ नम्बर वन आएगा । हिंदुस्तान की तमाम सभाओं में नम्बर वन का स्थान अगर किसी को मिलेगा और अगर इसका भी तोहफा होगा तो वह शायद कांग्रेस विधायक दल को मिलेगा ।

जन्म दिवस की बधाई

अध्यक्ष महोदय :- आज हमारी विधान सभा के माननीय 2 सदस्यों का जन्मदिवस है । संसदीय सचिव श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (मेजो की थपथपाहट) और श्री मोतीलाल देवांगन जो आज उपस्थित नहीं है (मेजो की थपथपाहट) । मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\05-07-2018\c10\12.40-45

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- रात की पार्टी इनकी तरफ से विधान सभा में ।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :- **ध्यानाकर्षण सूचना**

12:41 बजे

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लूंगा । श्री बृहस्पत सिंह, अमरजीत भगत, गिरवर जंघेल सदस्य । श्री बृहस्पत सिंह।

(श्री बृहस्पत सिंह के खड़े होने पर)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- बृहस्पत सिंह जी, आपकी संवेदना सुपाबेड़ा के लिए बस दरवाजे खुलने तक थी, छपने तक । वेरी गुड ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह भी सब लोगों ने देखा है कि 106 की मौंत में आप हंसकर कैसा मजाक उड़ा रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़ो, नहीं तो वह भी आपके ध्यानाकर्षण में नोट हो जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना उत्तर आये बाहर चले जाओ, फिर अंदर आ जाओ। (हंसी)

(1) राजधानी रायपुर में परिवहन विभाग द्वारा कंडम वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाना.

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज), श्री अमरजीत भगत, श्री गिरवर जंघेल :- मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दिनांक 10.05.2018 को परिवहन विभाग फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा प्रदेश के राजधानी रायपुर में रेण्डम जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया अत्यधिक पुराने एवं जीर्ण वाहनों को सामग्री परिवहन, कृषि एवं अन्य कार्यों में उपयोग होना पाया गया, परन्तु जांच में वाहनों के चालकों द्वारा वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा नवीनीकृत पाया गया । मामले की शिकायत होने पर जांच में पाया गया कि रायपुर परिवहन कार्यालय में पदस्थ अमले की फर्जी आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर परिवहन मुख्यालय में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों द्वारा विभागीय अफसरों की शह पर प्रदेश के कंडम वाहनों को पिछले ढाई वर्षों से फर्जी सर्टिफिकेट का गोरखधंधा चल रहा है । विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कंडम वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं टैक्स की राशि का गबन किया गया है ।

समय :-

12:43 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए)**

क्षेत्रीय परिवहन विभाग रायपुर एवं विभागीय एन.आई.सी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से वाहन क्रमांक सी.जी. 04 जेड डी 2727 का लाईफ टाईम टैक्स 96400/- रूपये जमा करना था, जिसमें मात्र 115/- रूपये आर.टी.ओ. कोषालय में जमा किया गया है एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि का भी गबन किया गया है । इसी प्रकार 09 वाहनों के टैक्स की राशि रूपये 4,03,502/- कोषालय में बिना जमा किये राशि की चोरी कर वाहनों का अनुज्ञा दिया गया है । अपर परिवहन आयुक्त द्वारा अपने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1137 एवं 1138/आई.टी./टी.सी./2018 नया रायपुर दिनांक 11.05.2018 के अनुसार दो कर्मचारियों क्रमश: श्री राजेश गुप्ता एवं श्री रवि सोनी को कार्य संतोषप्रद नहीं होने का आरोप लगाते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया । कार्यालय में उपयोग किये गए साफ्टवेयर की जांच उच्च सायबर क्राईम जांच एजेंसी से कराई जाये तो करोड़ों रूपये के गबन एवं फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है । परिवहन मुख्यालय नया रायपुर स्थिति कार्यालय का कार्य विभाग से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं विभागीय गतिविधियों का नियंत्रण करना होता है, परन्तु विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में उक्त कार्यालय एन.आई.सी. सेक्शन से छत्तीसगढ़ के सभी 30 परिवहन कार्यालयों के मास्टर आई.डी. का फर्जी तरीके से व्यापक पैमाने पर उपयोग वाहनों के ड्राईविंग लायसेंस, फीस, टैक्स जमा, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का कार्य गलत तरीके से किया जाकर करोड़ों रूपये का फर्जीवाड़ा एवं राशि गबन किया गया है । विभाग द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने हेतु मात्र संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है तथा उनके विरूद्ध राशि गबन की एफ.आई.आर. भी नहीं की गई है । इससे प्रदेश के आम लोगों में विभाग के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्री देवांगन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देवांगन\05-07-2018\c11\12.45-12.50

परिवहन मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- सभापति महोदय, परिवहन विभाग के स्टाफ द्वारा पूरे प्रदेश में नियमित रूप से यातायात तथा परिवहन नियमों एवं कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने तथा विशेष रूप से ओव्हरलोडिंग, बिना समुचित परमिट, टैक्स, फिटनेस एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर संचालित वाहनों तथा विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गए वाहनों के विरूद्ध जांच एवं कानूनी कार्यवाही की जाती है। परिवहन यानों की प्रति वर्ष फिटनेस निरीक्षण एवं प्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा आंतरिक ऑडिट तथा जांच एवं सत्यापन नियमित रूप से किया जाता है तथा इसी क्रम में मई 2018 में तन ट्रेक्टरों के वास्तविक फिटनेस तिथि तथा तिमाही रिकार्ड में दर्ज फिटनेस तिथि में विसंगति प्रकाश में आयी थी, जिसमें एक ट्रेक्टर का नामांतरण हो चुका है। प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए नामांतरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण को वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया है एवं इसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तथा जांच में आए तथ्यों के आधार पर समुचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विभाग में फिटनेस जारी करने का जिला परिवहन कार्यालय में किया जाता है वाहनों के फिटनेस हेतु फोटो आधारित व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें फिटनेस हेतु आए वाहन का फोटो टैबलेट के माध्यम से खींचकर उसे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तथा फिटनेस सर्टिफिकेट को स्थानीय कार्यालय से प्रदान किया जाता है। गाड़ी पर यदि टैक्स बकाया है तब वाहन का फिटनेस किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है यह व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत है। यदि इस व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप किया जाए तो इसे छुपाया नहीं जा सकता है। यह आरोप कि फर्जी आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर वर्षों से फर्जी सर्टिफिकेट जारी किये गए हैं सही नहीं है।

वाहनों हेतु टैक्स तथा शुल्क की राशि जमा करने हेतु परिवहन विभाग में ऑनलाइन माध्यम ही एकमात्र भुगतान पद्धति के रूप में वर्ष 2015 से स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है, जहां 100 प्रतिशत फीस एवं टैक्स का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होता है। ऑनलाइन भुगतान के उपरांत सॉफटवेयर के माध्यम से स्वत: रिकार्ड अद्यतन हो जाता है। यदि मानवीय हस्तक्षेप किया जाए तो यह पकड़ में आ जाता है। कम्प्यूटरीकृत भुगतान व्यवस्था में किसी प्रकार के हेर-फेर या गबन की संभावना नहीं रहती। वर्ष 2014 में ई-चालान के माध्यम से भुगतान में गड़बड़ी की घटना प्रकाश में आने पर थाना खमतराई जिला-

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

रायपुर में अपराध क्रमांक 252/14 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.वि. दर्ज कराया गया था, जिसका माननीय न्यायालय द्वारा निराकरण किया गया है। जून 2015 से ई-चालान के माध्यम से परिवहन विभाग में समस्त भुगतान बन्द कर दिया गया है। जिस वाहन क्रमांक सीजी04/जेडडी-2727 का उल्लेख किया गया है, उस वाहन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है वरन सीजी04/जेडडी-2727 रजिस्ट्रेशन नंबर का वाहन एक शिवम ट्रेव्हल्स नामक संस्था की वाहन है। इस संस्था के 10 गाड़ियों के ई-चालान के माध्यम से टैक्स भुगतान में 2012-13 में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके आधार पर सभी गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करते हुए इसके विरूद्ध टैक्स, शास्ति एवं ब्याज की राशि की गणना कर टैक्स निर्धारण आदेश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा पारित किया गया है तथा एक वाहन को जब्त कर पुलिस थाना में रखा गया है। इन वाहनों के ब्लैक लिस्ट होने के कारण कोई भी फिटनेस या अनुज्ञा पत्र प्रदान नहीं किये गये हैं। अत: वाहनों में टैक्स/शुल्क की राशि का गबन कर अनुज्ञा प्रदान करने संबंधित बिंदु सहीं नहीं है।

परिवहन मुख्यालय में एन.आई.सी. से संविदा पर नियुक्त दो कर्मचारियों की सेवाएं असंतोषप्रद कार्य हेतु समाप्त की गई है। यदि पुलिस द्वारा जांच किये जा रहे प्रकरण में इनकी अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति की भूमिका पायी जाती है तो पुलिस विभाग द्वारा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन कार्यालय में कम्प्यूटर संबंधी कार्यों हेतु जिला परिवहन अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार अपने कार्य विभाजन अनुसार स्टाफ को एन.आई.सी. द्वारा आई.डी. तथा पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं तथा स्टाफ द्वारा स्वयं का पासवर्ड रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों में त्रुटि होने पर परिवहन अधिकारी के अनुरोध पर यदि एन.आई.सी. को किसी त्रुटि आदि के सुधार हेतु कार्यवाही की आवश्यकता होती है तब एन.आई.सी. के माध्यम से उक्त त्रुटि को ठीक किया जाता है। अत: विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में सभी कार्यालयों मास्टर आई.डी. के फर्जी तरीके से व्यापक पैमाने पर उपयोग गलत तरीके से करते हुए फर्जीवाड़ा, गबन आदि की शिकायत सही नहीं है। विभाग में प्रकाश में आई प्रत्येक गड़बड़ी या संदिग्ध प्रकरण पर समुचित कार्यवाही की जाती है तथा ऐसे प्रकरणों को आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस को भेजा जाता है। अत: मामले में पर्दा डालने का कार्य करना तथा इससे आम लोगों में विभाग के प्रति रोष एवं आक्रोश होने की शिकायत सही नहीं है।

श्रीमती सविता

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

सविता\05-07-2018\c12\11.50-11.55

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं अभी तक कितने लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. की गई ? उनके नाम और पदनाम सहित बतायें ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है जो व्यक्ति दोषी है विवेचना में जो भी होगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वही तो जानना चाहते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. हुआ, उसका नाम, सिर्फ 2-3 लोगों की खानापूर्ति के लिए संविदा वालों का करके, ये सरकार ने पूर्ति की है दूसरे कितने लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई ? करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ और एक नहीं, 30-30 कार्यालयों का फर्जी आई.डी. बनाया गया और इसके बाद अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और आपने कितनी राशि की वसूली की कार्रवाई की ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है अगर आप उत्तर की कॉपी नहीं हैं तो एक बार पढ़ लें। जिन फर्जी संज्ञान व्यक्तियों के खिलाफ में केस आया, मैंने पुलिस को दिया, पुलिस ने उसका केस प्रस्तुत किया, न्यायालयाधीन के अंदर वे छूट कर आये हैं। मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट बताया, कहीं किसी चीज का विषय ही नहीं छूटता।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, नहीं-नहीं। एक-दो कार्यालय की बात नहीं है। पूरे राज्य के 30-30 कार्यालय में, ये बहुत गंभीर मामला है। करोड़ों रूपये का टैक्स चोरी हो जाए, फर्जी बन जाए, अधिकारियों के फर्जी दस्तखत हो जाए, फर्जी आई.डी. से लाईसेंस जारी हो जाए, बिना टैक्स पटाये दस्तावेज बन जाए, ये हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सब कितने पहुंच वाले हैं, सरकार का भी संरक्षण है, सरकार ऐसे आरोपियों को बचाने का काम कर रही है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2015 से ऑनलाईन टैक्स पेड था, जीरो परसेंट भी आदमी कैश पेमेण्ट नहीं कर सकता। पूरा ऑनलाईन पेमेंट है। आई.डी. का पासवर्ड एन.आई.सी. के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके पास रहता है। अगर उसमें किसी व्यक्ति ने आर.टी. ओ. को आवेदन दिया है तो उसके बाद में अगर आई.बी. अगर लिखता है तो एन.आई.सी. का कर्मचारी और हमारा कर्मचारी उसके बाद में उस पासवर्ड का उल्लेख करता है और उसके आधार पर ही उसमें कोई संशोधन करता है, तब करने की पात्रता उसमें है और उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है, करोड़ों रूपये की हेराफेरी हुई है और 30-30 कार्यालयों में ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। माननीय मंत्री जी, क्या उच्च स्तरीय साईबर क्राईम के वरिष्ठ अधिकारियों से गंभीर रूप से जांच करायेंगे ? और इसकी पूरी छानबीन करायेंगे कि हमारे राज्य के कितने करोड़ रूपयों का गड़बड़ हुआ ? कितने फर्जी आई.डी. से लाईसेंस जारी हुए, हमारे कितने करोड़ की चोरी हुई ? साईबर क्राईम के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करायेंगे ? और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्न ही नहीं उठता। हम किस चीज की जांच कराएं। आपके पास कोई दस्तावेज हैं ? मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि सम्माननीय सदस्य के पास कोई दस्तावेज हैं, यदि वे प्रस्तुत हाऊस में करें। जिससे कहेंगे, मैं उनकी अध्यक्षता में जांच करवा दूंगा, लेकिन केवल असत्य आरोप लगाकर के, मनगढ़त आरोप लगाकर के ....(व्यवधान)।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, असत्य आरोप नहीं है। ये करोड़ो रूपये का घोटाला हुआ। 1 नहीं, 30-30 कार्यालयों का फर्जी टोकन मिलना, फर्जी आई.डी. प्रूफ लेना और करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ। माननीय मंत्री जी, साईबर क्राईम से जांच करायेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2015 से एक आदमी, सिंगल आदमी कोई पैसा जमा नहीं कर सकता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय सभापति महोदय, जब वे जांच कराऊँगा बोल रहे हैं तो भाषण की क्या जरूरत है, आप दस्तावेज रखिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषण देने के बजाए दस्तावेज रखिए। इतनी बड़ी घोषणा हुई है कि आपकी अध्यक्षता में जांच कराऊंगा करके। फिर इधर-उधर की क्या बात है।

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी, एक मिनट। जो स्वमोटो वर्ष 2015 से बताया है उत्तर में विस्तृत बताया है कि वर्ष 2015 से ऑनलाईन हो रहा है, उसके बाद कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता और जो भी आपके फर्जीवाड़ा पर विभाग के द्वारा उस पर सक्षम कार्रवाई की गई, एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया, जांच के बिन्दु में जो आएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके पास कोई और सूचना है तो आप मंत्री जी को बताईये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, गंभीर बात ये है कि एक नहीं, 30-30 कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों की आई.डी. से कोई फर्जी करे और सिर्फ दो-तीन छोटे कर्मचारी, जो कर्मचारी संविदा में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके 30-30 कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों की आई.डी गायब हो जाए, ये गंभीर मामला है क्या इसकी साईबर क्राईम से जांच करवायेंगे, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ ? हमारी आई.डी. कोई कैसे ले गया? कैसे जारी हो गए?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, क्या है, विधायक जी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए।

सभापति महोदय :- आप सुन लीजिए। आप बैठिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आप पूरी बात को सुन लीजिए। मैंने अपने उत्तर में कह दिया कि पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी, एफ.आई.आर. के आधार पर चालान प्रस्तुत हुआ, जो दोषी हुआ कोर्ट उसके खिलाफ में कार्रवाई करे, वह अपनी जगह करे। अगर आपके पास कोई ऐसे एक्स्ट्रा दस्तावेज हों, वर्ष 2015 के बाद जीरो परसेंट भी आदमी केस पेमेण्ट नहीं कर सकता...

जारी श्री चौधरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौधरी\05-07-2018\c13\12.55-12.60

पूर्व जारी.. श्री राजेश मूणत :- 2015 के बाद जीरो परसेन्ट भी आदमी केस पेमेन्ट नहीं कर सकता। मैंने अपने उत्तर में ये भी स्पष्ट कहा है एन.आई.सी. के जो मेरे वहां कर्मचारी हैं, जो मेरे अधिकारी हैं जिनको उसका पासवर्ड मालूम है, जब तक वहां का जिला अधिकारी लिखित में नहीं देता तब तक वह एन.आई.सी. की बिना स्वीकृति के उस पर जीरो परसेन्ट भी उसको खोल करके कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी चीज है, पुन: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई चीज है, ऐसे दस्तावेज हैं तो आप प्रस्तुत करें, मैं 100 परसेन्ट उसके खिलाफ में कार्यवाही करूंगा, इस बात की घोषणा करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में इस बात को स्वीकार कर लिया 2015 तक के तो ये बता रहे हैं और वह भी अगर वरिष्ठ अधिकारियों की आई.डी. गड़बड़ हुई, उन अधिकरियों से लिखित में लेकर सरकार साइबर क्राईम से क्यों जांच नहीं कराती? नंबर वन। नंबर टू हम इस बात को चाहते हैं इसका मतलब 2015 से पहले का कोई लेखा जोखा नहीं है, 2015 से सारी गड़बड़ियां माफ हैं।

श्री राजेश मूणत :- वह भी है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2015 के पहले की जो करोड़ों रुपये की गड़बडी है, आप उसकी कोई जांच नहीं करायेंगे? जो कई करोड़ की टोकन गड़बड़ी हुई, उसकी कोई जांच नहीं करायेंगे?

सभापति महोदय :- केवल आपके कहने से पूरे विभाग की जांच करायें, ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपके पास कोई एथेंटिक मुद्दा, गड़बड़ी की जानकारी है तो माननीय मंत्री जी को दीजिए। इसमें विस्तृत जवाब दिया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, मैंने 2015 से जो कम्पयूटरीकृत हुआ, उसके बारे में जानकारी दी। उसके बारे में फिर कह रहा हूं तथ्यविहीन आरोप लगाना, खाली राजनीतिक सुर्खियों में रहने का काम अगर करते हो, मैं हाउस में फिर कह रहा हूं अगर आपके पास कोई कागज प्रस्तुत करें, मैं आपकी अध्यक्षता में जांच करा दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर सुर्खियो में रहने की बात होती तो टोकन की बात पहले मैं करता।

श्री राजेश मूणत :- हाउस को गलत जानकारी मत दो, हाउस को गुमराह मत करो, हाउस का समय व्यर्थ मत करो। मैं नेता जी से कहता हूं अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप रख दें मैं आपकी अध्यक्षता में जांच करा दूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी जोर-जोर से बोल देने से नहीं छुप जाता।

श्री राजेश मूणत :- कोई कागज हो तो दे दो।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने जो आपका ध्यानाकर्षण है, उसका पर्याप्त जवाब दिया है। श्री गिरवर जंघेल।

श्री गिरवर जंघेल (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या सवारी वाहनों एवं मालवाहक वाहनों का फिटनेश प्रमाण पत्र बिना फीस पटाये या वाहन के भौतिक सत्यापन के बिना दिया जा सकता है ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि कोई व्यक्ति, कोई वाहन अगर उसका किसी भी प्रकार से टैक्स बाकी है तो उसका साफ्टवेयर किसी प्रकार की उसकी फिटनेश ले ही नहीं सकता।

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास कुछ वाहनों के नंबर हैं, मैं उनको पढ़कर बता देता हूं। रायपुर आर.टी.ओ. के द्वारा न तो फीस पटाया है और न ही वाहनों का भौतिक सत्यापन हुआ है और जिसका फिटनेश प्रमाण पत्र जारी हो गया है। मैं गाड़ी का नंबर बताना चाहूंगा- CG-04 LE 3664, CG-04 DM 8521, CG-04 6906 ।

सभापति महोदय :- गिरवर जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आपके पास जो भी जानकारी है, आप दीजिए, उसमें निश्चित रूप से जांच कराकर अगर दोषी होगा तो कार्यवाही करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय सभापति महोदय, गाड़ी नंबर बताया हूं क्या इसमें जांच करा कर दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

सभापति महोदय :- आप नंबर दे दीजिए। आप जो नंबर सदन में बता रहे हैं, वह पूरा लिख कर दे दीजिए, उस पर मंत्री जी ने आश्‍वस्त किया है कि कि पूरी जांच करायेंगे और उसमें अगर दोषी होगा तो कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने प्वाईन्टेड प्रश्न किया है, नंबर सहित बता रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, खाली रायपुर में ही लगभग 15 लाख वाहन पंजीयन हैं। अब किस वाहन का पंजीयन कब हुआ, इसकी डिटेल तो मैं यहां नहीं दे सकता। आपके संज्ञान में कोई ऐसे वाहन के नंबर हैं, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, कोई तकलीफ नहीं है... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\05-07-2018\c14\1.00-1.05

__________जारी श्री राजेश मूणत कोई तकलीफ नहीं है, आप दे दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने किया हो, मैं आपको उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराऊंगा और गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच भी नहीं करूंगा। उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय :- आप लिखकर दे दीजिये।

श्री गिरवर जंघेल :- जी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी, क्या है कि सच्चाई कड़वा होता है। कोई भी जब आपसे पूछते हैं तो आप एकदम झल्ला जाते हैं।

श्री राजेश मूणत :- पूछो तो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- पहले तो चाहेंगे कि आप शांतिपूर्वक, माननीय मंत्री जी आप यह बताईये कि आप ही के विभाग में यह सब गड़बड़-सड़बड़ क्यों होता है ? मैं एक घटना के बारे में बता रहा हूँ। परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक- 1137 और 1138 आई0टी0सी2018 नया रायपुर दिनांक 11.05.2018 के अनुसाद कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है क्या ? इनके ऊपर क्या आरोप थे ? रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं टैक्स राशि के गबन का मामला था क्या ? क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है ? आप यही बता दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- एक उत्तर की कापी उपलब्ध करा दें तो अच्छा रहेगा। सम्माननीय सदस्य भी पढ़ लेंगे। आपका नाम पहले भी पुकारा, फिर अभी आप वापस आये। मैंने अपने उत्तर में ही बताया कि जिन दो कर्मचारियों ने गड़बड़ी की, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। यह मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, हम वही तो जानना चाहते हैं कि कार्रवाई किस स्तर तक हुई है। आपने अभी अपने उत्तर में यह चीज स्वीकार किया है कि 15 लाख वाहन का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- मेरे दादा, फर्जी नहीं है। क्या है कि आप साथ में रहते-रहते फर्जी हो गये हो यार।

श्री अमरजीत भगत :- आपने कहा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन है तो मैं कहां-कहां खोजूंगा।

सभापति महोदय :- आपने सुना नहीं, मंत्री जी ने कहा कि रायपुर कार्यालय में ही 15 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। अब एक-एक चीज बोल नहीं सकते हैं।

श्री राजेश मूणत :- रात में लेट सोये हो तो फर्जी दिख रहा है यार।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको थोड़ा सा ठीक करिये। ये गड़बड़ा गए हैं।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, रात में दादी के साथ में थे क्या ? रात में दादी के साथ थे क्या ?

श्री नवीन मारकण्डेय :- अमरजीत जी, क्या है कि अमरजीत जी का शरीर तो यहां है...।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- कल जो बाबा आये थे न, मूणत जी को उनके तंत्र-मंत्र का असर हो रहा है।

सभापति महोदय :- अरूण जी, आप बैठिये।

श्री नवीन मारकण्डेय :- अमरजीत जी, क्या है कि अमरजीत जी का शरीर तो यहां है इनका दिल और दिमाग और कहीं है।

सभापति महोदय :- नवीन जी बैठिये। आपका एकाध प्रश्न है तो पूछ लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, फर्जी रजिस्ट्रेशन के कितने मामले पकड़ में आये हैं और उस पर क्या-क्या कार्रवाई किए हैं ? आप जिलेवार जानकारी दे दें ?

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय, उसमें स्पष्ट है कि जिन लोगों ने, दो सज्जन ने आई0डी0 का गलत उपयोग किया था, उनको सस्पेण्ड करने के बाद उनको हटा दिया और उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई। मैंने स्पष्ट बता दिया। जांच और विवेचना पुलिस वाले कर रहे हैं। उसमें कहां क्या है, सब चीज निकलकर आयेगी, कोर्ट में केस है। इसके आगे और क्या उत्तर दूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी वही तो पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी से वही तो पूछ रहे हैं कि यह तो प्रकाश में आया तो आपने कार्रवाई की। लेकिन और भी प्रकरण प्रदेश के अन्य जिलों में है, उसमें आप क्या जांच के निर्देश देंगे, उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रकरण है, आपके संज्ञान में है तो दे दीजिये, उसकी पूरी जांच कराई जायेगी। फिर और क्या बचता है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, फिर माननीय मंत्री जी को उस विभाग का मंत्री रहने का क्या है ? कह रहे हैं कि विभाग में कार्रवाई चल रहा है। आप अन्य जिले में जांच करायेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- भगत जी, भाषण बाजी है, आरोप लगाने के लिए नहीं, आपके पास कोई तथ्यात्मक प्रश्न है तो आप बताईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अम्बिकापुर परिवहन कार्यालय में भी इस प्रकार की शिकायत आई है, वहां की जांच करायेंगे क्या ?

श्री राजेश मूणत :- मेरे ख्याल से आज तक हाऊस में कभी नहीं कहा है, मैंने यहां तक बोल दिया कि अगर माननीय विधायक जी, आपके पास कुछ है तो मुझे दे दीजिये, मैं तो आपको भी लेकर चलूंगा, जांच क्या, जो भी कार्रवाई होगी, वह भी करूंगा। लेकिन दो तो। खाली आरोप लगाना, बिना तथ्यों के कुछ भी भाषण देना अपना उद्देश्य है तो फिर इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूँ।

सभापति महोदय :- अगला ध्यानाकर्षण श्री सत्यनारायण शर्मा, ध्यानाकर्षण।

श्री राजेश मूणत :- मैं आपको साथ में नहीं ले जाऊंगा, गुरूदेव।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप जी0पी0एल0 करते हैं या नहीं ?

सभापति महोदय :- श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ0 प्रीतम राम, पारसनाथ राजवाड़े।

.........श्री श्रीवास

श्रीवास\05-07-2018\c15\01.00-01.5

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप जी.पी.एल; करते हैं कभी ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आपका ध्यानाकर्षण ।

श्री अरूण वोरा :- जी.पी.एल. क्या होता है ।

सभापति महोदय :- श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ. प्रीतम राम, श्री पारसनाथ राजवाड़े सदस्य।

2. प्रदेश में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर उपलब्ध नहीं होना ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण), डॉ.प्रीतम राम (सदस्य) श्री पारसनाथ राजवाड़े (सदस्य) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलबध कराने के उद्येश्य से 25 जनवरी, 2011 से संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है तथा वर्तमान में प्रदेश के सभी 27 जिलों के 146 विकासखंडों में कुल 240 एम्बुलेंस के जरिये आपात कालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। संजीवनी 108 एम्बुलेंस का रखरखाव, परिचालन एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र की कार्य एजेंसी जी.वी.के. हैदराबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है । राज्य शासन की उदासीनता एवं प्रबंधन एजेंसी के लापरवाही के कारण इतनी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ने लगी है । प्रदेश के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई 108 वाहने ब्लाक मुख्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कंडम हालत में पड़ी है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- स्वास्थ्य मंत्री जी, सुन रहे हैं । कंडम हालत मतें पड़ी है ।

सभापति महोदय :- बोलिये, बोलिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर पढ़ूंगा ना महाराज अभी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- प्रारंभ के समय 108 एम्बुलेंस में जो भी चिकित्सा से संबंधित आपातकालीन सुविधाएं लगाई गई थी, शायद ही किसी 108 एम्बुलेंस में उक्त सुविधाएं समग्र रूप से चालू हो । (24x7) के मापदण्ड के अनुसार संचालित उक्त सेवाओं में पदस्थ वाहन चालक आपातकालीन फोन को महत्व नहीं देते, जिसके कारण मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण असामयिक मृत्यु हो गई । 27 जून की रात को बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम मोहतरा में एक ही परिवार के मुखिया, तिजउ यादव एवं उनकी दो पुत्रियों को सर्पदंश का शिकार होने के बाद मोहल्लेवासियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस को लगातार फोन करने के बाद भी उपलबध नहीं हो पाने के कारण उपचार में विलम्ब होने से मृत्यु हो गई । इसी प्रकार दिनांक 28.06.2018 को अंबिकापुर झारखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर पस्ता पुल के पास एक ट्रक एवं कार की टक्कर से कार में सवार राजेश एवं उनकी पत्नी आशा सिंह तथा कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गये । संजीवनी 108 एम्बुलेंसय को फोन लगाने पर एम्बुलेंस 108 के खराब होने की जानकारी देकर फोन काट दिया गया, जिसके कारण ग्रामीण आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्काजाम कर दिये । सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लम्बी कतार लगने पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एवं सामरी विधायक मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझाईश दी गई कि एक माह के अंदर पस्ता

अस्पताल में 108 संजीवनी एक्सप्रकेसय उपलबध कराया जायेगा तथा निजी वाहन से घायलों को बलरामपुर जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया । स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं चश्मा लगाकर नहीं पढ़ लेता हूँ । इनको चश्मा लगाने के बाद भी दिखने में नहीं आता । इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अभी जी.पी.एल. करना पड़ेगा।

श्री राजेश मूणत :- वह जब से स्वास्थ्य विभाग में आये हैं, चश्में की आवश्यकता पड़ रही है । आप आबकारी में रहे हो, आपको जरूरत पड़ी नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो महराज की हीरक जयंती होने वाली है, उसके बाद दूसरी पारी शुरू होगी ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- यह कहना सही है कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 25 जनवरी 2011 से संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ की गई है तथा वर्तमान में प्रदेश के सभी 27 जिलों के 146 विकासखण्डों में कुल 239 एम्बुलेंस के जरिये आपातकालीन स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है । यह भी सही है कि इस सेवा का संचालन जी.वी.के. ई.एम.आर.आई संस्था द्वारा किया जा रहा है । किन्तु यह कथन सत्य नहीं है कि 27 जून की रात को बेमेतरा जिले के साजा विकासखण्ड के ग्राम मोहतरा में तिजउ यादव एवं उनकी दो पुलित्रयों को सर्पदंश के दरम्यान 108 में कॉल किया गया था । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 26 जून 2018........

श्रीमती यादव

नीरमणी\05-07-2018\c16\01.00-01.15

जारी..........श्री अजय चंद्राकर :- जबकि वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 26 जून, 2018 को समय सुबह 03.00 बजकर 26 मिनट पर कॉल आया था किंतु इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन द्वारा कॉल रिसिव नहीं किया गया था । इस दौरान साजा लोकेशन के टेक्निशियन द्वारा समयावधि में कॉल रिसिव नहीं किये जाने को संस्था स्तर से संज्ञान में लेते हुए की गई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रारंभिक जांच पर जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. संस्था द्वारा दिये गये जानकारी अनुसार साजा लोकेशन के इमरजेन्सी मेडिकल टेक्निशियन को दोषी पाया गया तथा जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. संस्था द्वारा उक्त कार्यरत इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से पत्र क्रमांक GVKEMRI/CG/SS27 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है । श्री तिजउ राम यादव को बीमार होने की सूचना पर तत्काल 108 ऐम्बुलेंस के द्वारा ही मेकाहारा रायपुर पहुंचाया गया ।

जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. संस्था द्वारा जांच के दौरान जानकारी दी गई कि दिनांक 28.06.2018 को राजपुर व बलरामपुर के बीच पास्ता में जीप एवं कार का एक्सीडेंट होने से वहां के नागरिकों द्वारा 108 में कॉल किये जाने पर सेंटर में कॉल प्राप्त होते ही (शाम 3.21) कॉल सेंटर द्वारा तुरंत 108 एम्बुलेंस क्रमांक सी.जी.-02 5013 शंकरगढ़ लोकेशन की एम्बुलेंस जो कि उक्त दिनांक को राजपुर में शिफ्ट की गई थी, उसे घटना स्थल के लिए रवाना किया गया था जो शाम 3:55 बजे घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी परंतु एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही मरीजों को स्थानीय नागरिकों द्वारा वैकल्पिक साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पास्ता में भर्ती कराया जा चुका था इसके अलावा जिला बलरामपुर की एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी । सामान्यत: अनुसूचित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के घटनास्थल पर पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय मान्य किया गया है तथापि उक्त प्रकरण में एम्बुलेंस 34 मिनट में ही घटनास्थल में पहुंच गई थी । मार्च 2018 तक 108 संजीवनी एक्सप्रेस के द्वारा 53,940 व्यक्तियों की जान बचाई जा चुकी है । सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में इमरजेंसी व्यवस्थापन हेतु स्थापित की गई 108 तथा 102 एम्बुलेंस सेवाओं की सफलता के कारण लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि आपने एक टेक्निशियन को निलंबित किया । एक टेक्निशियन की लापरवाही से दो बेटियों और एक व्यक्ति की जान चली गयी और आप उसको केवल निलंबित कर रहे हैं । यह पर्याप्त कार्यवाही नहीं हुई है और दूसरा आप बताने की कृपा करें कि क्या इसमें और अधिक कार्यवाही करेंगे ? क्या निलंबित करने से उन दोनों बेटियों की और उस व्यक्ति की जान वापिस आ सकती है ? आप कंपनी के खिलाफ क्या कठोर कार्यवाही करेंगे यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बतायें और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि संजीवनी वाहन की कितनी कंडम गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियां अच्छी हालत में हैं ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह बात सत्य है कि 2 बच्चियों की मृत्यु एम्बुलेंस पहुंचने के पहले हो चुकी थी और उन्होंने रिसीव नहीं किया और एक व्यक्ति को मैंने उत्तर में बताया है कि हम अपने 108 से ही मैकाहारा लाये और ईलाज के दौरान जो बातें हुई उस लापरवाही में जो कार्यवाही हो सकती है वह करेंगे । कंपनी के ऊपर भी जो बन सकता है कार्यवाही वह करेंगे, एक। दूसरा मैंने उत्तर में कहा है कि 239 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश भर में हैं । अभी हमने उसमें 26 नयी गाड़ियां की हैं तो जैसे-जैसे उसकी अवधि पूरी होते जाती है हम निरंतरता में उसको बदलते रहते हैं । अभी एक हफ्ते पहले हमने नई गाड़ी दी थी फिर वह हमारे पास जब कंडम गाड़ी की सूचना दी फिर हम खरीदते हैं फिर उसको रिप्लेस करते रहते हैं यह निरंतर की प्रक्रिया है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा है कि आर.टी.ओ. के द्वारा संजीवनी में कितनी कंडम गाड़ियां हैं ? क्या उनकी जांच की गयी ? उनकी फिटनेस के बारे में पता लगाया तो मैं यह पूछ रहा हूं कि कितनी गाड़ियां कंडम हैं और कितनी अच्छी हालत में हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारी कोई भी गाड़ी कंडम नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, यह कार्यवाही देखिये लोगों की जानें जा रही हैं । आपके लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इस तरह से अंबिकापुर में एक्सीडेंट हुआ आपकी गाड़ी नहीं पहुंच पायी । फोन तक नहीं उठाया गया, दो लोग सीरियस घायल हुए आपने क्या कार्यवाही की और इसीलिये मैं अभी भी कहता हूं कि आप थोड़ा सा सख्ती से कार्यवाही करें आप कार्यवाही करते नहीं हैं और इसीलिये मैंने अभी कहा कि जी.पी.एल. करेंगे तो ठीक हो जायेगा ।

.............श्री यादव

यादव\05-07-2018\c17\1.15-1.20

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उत्तर में बताया, स्वास्थ्य का कोई भी विषय किसी के भी द्वारा उठाया जाए, वह बहुत संवेदनशील है और हम संवेदनशीलता से उसका लेते हैं । मैंने उत्तर में बताया कि बलरामपुर की घटना में दो, दो एम्बुलेंस पहुंच गईं थी और निर्धारित समय से पहले पहुंच गईं थीं ।

सभापति महोदय :- उत्तर में ही बताया है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, इसी में एक ध्यानाकर्षण है।

सभापति महोदय :- पहले इनका ध्यानाकर्षण तो पूरा हो जाए । आपको समय देंगे । डॉ.प्रीतम राम ।

डॉ.प्रीतम राम (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में 2011- 2012 में 108 की गाड़ियां 240 की संख्या में उपलब्ध कराई गई थी । आठ, नौ वर्षों के बाद अधिकांश एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि चार लाख, पांच लाख किलोमीटर वह चल चुकी हैं । उन्हीं गाड़ियों को इतने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाया जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं कि वहां पर कब तक नई एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी उत्तर में बताया कि कोई गाड़ी कंडम नहीं है । मैंने यह भी कहा कि उसके ऊपर कार्यवाही की गई और अधिक जो कार्यवाही हमारे एग्रीमेंट की शर्तों के तहत और बनती है, वह भी मैंने कहा । कोई गाड़ी कंडम नहीं है । कोई भी गाड़ी खराब होती है तो हम उसको तत्काल रिप्लेस करते हैं । अभी मैंने बताया कि आठ, दस दिन पहले हमने 26 गाड़ी रिप्लेस की थीं । गाड़ी प्रतिदिन कितनी चलेगी उसके टर्म, कंडीशन हैं । तो उसमें कहीं पर भी खराब, कंडम गाड़ी नहीं रहती । हम उसको तत्काल रिप्लेस करते हैं ।

डॉ.प्रीतम राम :- सभापति महोदय, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी सीएचसी की तमाम गाड़ी की स्थिति यह है कि अधिकांश चार, पांच लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और अधिकांश समय खराब ही रहती हैं । कभी भी इमरजेंसी में उसको कॉल किया जाता है तो दो, तीन घंटे में किसी एक गाड़ी को मैनेज करके वहां स्पॉट पर भेजा जाता है । इस तरह से बहुत ही लचर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वास्थ्य सेवा संचालित है । मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि जीव्हीके कंपनी के द्वारा 108 एम्बुलेंस का संचालन कराया जाता है, इसका अनुबंध कब तक के लिए है और इस अनुबंध के तहत केंद्र से और राज्य से कितनी कितनी राशियां इनको उपलब्ध कराई जाती हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जीव्हीके का कांट्रेक्ट 2019 तक है और वित्तीय प्रबंधन 80:20 है । 80 हजारा है और 20 परसेंट एनआरएचएम से हमको प्राप्त होता है।

डॉ.प्रीतम राम :- सभापति महोदय, एक अंतिम प्रश्न है । दिनांक 28.06.2018 को मैं क्षेत्र में भ्रमण पर निकला था । वहां पर लंबी कतार लगी हुई थी, वहां चक्काजाम था और लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है । तो मैं जैसे वहां पहुंचा, मैं हमेशा अपनी गाड़ी में इमरजेंसी मेडिसिन किट रखता हूं । वहां जाकर पता चला कि पूरे ग्रामीण...।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिए न ।

डॉ.प्रीतम राम :- पूरे ग्रामीण चक्काजाम किए हुए हैं और काफी आक्रोशित हैं। वहां पर पसता पीएचसी में 108 गाड़ी की मांग कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां पर चूंकि उस दिन चक्काजाम खत्म करने के लिए हमको बोलना पड़ा कि मैं इस बात को रखूंगा कि वहां 108 गाड़ी उपलब्ध कराई जाए । जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां पर अधिकांश एक्सीडेंट होते रहते हैं तो पीएचसी, सीएचसी जो नेशनल हाईवे पर हैं, वहां पर अच्छी कंडीशन की 108 गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी जो इसका कांसेप्ट है कि एक एम्बुलेंस एक सीएचसी के एरिए को कव्हर करता है । अनुसूचित क्षेत्रों में 45 मिनट में पहुंचने का उसका समय निर्धारण है । वह जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं दो गाड़ियां पहुंची और 34 मिनट में पहुंची । फिर मैंने कहा कि एक भी कंडम गाडी नहीं है । हम उसको रोटेशन में रिप्लेस करते रहते हैं । ....(जारी)

श्री मिश्रा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिश्रा\05-07-2018\c18\.-.5

जारी .. श्री अजय चन्द्राकर :- फिर मैंने कहा कि कंडम गाड़ी एक भी नहीं है उसको रोटेशन में रिप्लेस करते रहते हैं और जो सबसे महत्वूपूर्ण बात, जिसको मैंने कहा है, हम अपनी उपलब्धि जो आपकी भी है, जिस आदमी की किसी कारणों से जान बची वह प्रदेश का नागरिक है, वर्ष 2011 से आज तक 53 हजार से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है, इसका तो उल्लेख कर देते। यह सेवा लाने वाले डॉ. रमन सिंह जी सामने बैठे हैं। मैं उत्तर में दिया हूं, यह सेवा पहले नहीं थी और इसलिए हम सबकी उपलब्धि है। और व्यवस्थाओं में जो बातें आ रही हैं, निरंतर सुधार होता रहा, पहले संख्या कम थी, एरिया बड़ा था, एरिया छोटा किए, संख्या बढ़ाये, वित्त पोषण किए, उसमें लगने वाली सेवाओं को हमने जोड़ा, 102 जोड़ा, 1499 जोड़ा, इस प्रकार से कई तरह की सेवाएं हुईं। अब ये निरंतर सुधरेगा।

श्री पारसनाथ राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 146 विकासखंडों में 240 की संख्या में 108 एंबुलेंस हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र बिहारपुर है और बिहारपुर क्षेत्र में कहीं से भी गाड़ी जाती है तो लगभग डेढ़ से दो घंटे लगते हैं। क्या बिहारपुर क्षेत्र के लिए कोई अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इस बात में मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं हुई है जिसमें हमने कार्रवाई उसके छोड़कर कि अनुसूचित क्षेत्रों में उस कंपनी से हमारा निर्धारण है कि 45 मिनट में गाड़ी पहुंचेगी और गाड़ियों की संख्या भी उसी आधार पर निर्धारित है। डेढ़ घंटे-दो घंटे में पहुंचती है ये शिकायत मुझे वर्ष 2011 से आज तक नहीं मिली है कि गाड़ी लेट आई।

श्री पारसनाथ राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहारपुर क्षेत्र में सिंगल रास्ता है और उसी रास्ते से आना है और उसी रास्ते से जाना है। वहां पहुंचने में डेढ़ घंटा और वापस आने में डेढ़ घंटा इस प्रकार कम से कम तीन घंटे का आने जाने का रूटिन है और वहां से कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो वहां के लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यालय बनाकर अलग से एम्बुलेंस देंगे क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये विषय और मांग हमेशा बहुत संवेदनशील होते हैं और इसमें माननीय सदस्य ने मांग भी की है, कोई आरोप-प्रत्यारोप भी नहीं किया है। आपकी मांग को मैं दिखवाता हूं, मेरे साथी बाकी लोग मौजूद हैं, वह इस बात को नोट कर रहे हैं, परीक्षण करके यदि वहां समय लगता है तो उसको ठीक करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। सरगुजा से रायपुर की दूरी 450 किलोमीटर है। इसमें आपके पास जितने एंबुलेंस चल रहे हैं वह लगभग 5 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। आने के बाद उसको एक बार रिप्लेसमेंट में जाना पड़ता है और लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है।

अध्यक्ष महोदय :-अभी स्वास्थ्य विभाग की चर्चा है उसमें चर्चा करना। इसमें एकाध प्रश्न कर लो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश एम्बुलेंस जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, इसको आप शिकायत न समझें, लेकिन इसमें आप कुछ ऐसा निर्देश देंगे कि वहां पर सभी अच्छे कंडीशन की एंबुलेंस हों? किसी में टायर नहीं है, किसी में और भी फाल्ट है तो उसको ठीक करायेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- ये तो आप स्थानीय स्तर पर बोलकर करा सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह बताने की कोशिश की कि यह स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। वह प्रिंट है कि स्वास्थ्य विभाग का ही ध्यानाकर्षण है, आप फिर से प्रतिदिन उसको पढ़ लिया करें, यह आग्रह है। दूसरा, आपके वरिष्ठ सदस्य माननीय सत्यनारायण शर्मा जी इस विषय को पूछ चुके हैं कि कंडम होता है या क्या होता है तो मैंने कहा कि कंडम एक भी नहीं होता। सभी गाड़ियां हम समय के साथ रिप्लेस करते रहते हैं। आपने जो अंबिकापुर से रायपुर की दूरी की बात कही, इसी कारण हम अंबिकापुर में मेडिकल कालेज खोल रहे हैं ताकि वहां और बेहतर सुविधा हो।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- खोल रहे हैं नहीं, खोल चुके हैं। मंत्री जी भूल गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एग्री। एग्री।

डॉ. विमल चोपड़ा (महासमुंद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे कंपनी द्वारा 12-12 घंटे काम लिया जाता है। उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए पिछली बार मंत्री जी का आश्वासन भी था कि उनकी सेवा शर्तों में, तनख्वाह में सुधार करेंगे। क्या वह नया टेंडर होकर उनकी सेवा शर्तों में और उनके घंटे में कब तक सुधार हो जायेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमारा एक नया टेंडर इस विषय में लगने वाला है और उसमें इस तरह के जितने सुझाव और अनुभव हैं वह शामिल हैं।

श्री कुरैशी

कुरैशी\05-07-2018\c19\01.25-01.30

समय
1.25 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री देवजी भाई पटेल,
2. श्री मोहन मरकाम,
3. श्री मोतीलाल देवांगन.

समय
1.25 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री टी.एस.सिंहदेव (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का तिहत्तरवां, चौहत्तरवां, पचहत्तरवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, उठहत्तरवां, उनासीवां, अस्सीवां, इक्यासीवां, बयासीवां, तिरासीवां, चौरासीवां, पचासीवां, छियासीवां, सत्तासीवां, अट्ठासीवां, नवासीवां, नब्बेवा, इकनबेवां, बानबेवां, एवं तिरानबेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(2) **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

श्री देवजी भाई पटेल (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पंचम्, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम्, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अशासकीय प्रकाशन के लिए नहीं

(3) प्रश्न एवं संदर्भ समिति

श्री नवीन मारकण्डेय (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम एवं अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(4) प्रत्यायुक्त विधान समिति

डॉ. खिलावन साहू (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(5) **महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति**

श्रीमती सरोजनी बंजारे (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

(6) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

श्री चुन्नीलाल साहू(खल्लारी) (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 5(4) में अंकित कार्य के पूर्व पदक्रम 5(5) का कार्य लिया जाएगा । मैं समझता हूं कि सदन सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14, सन् 2018) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2018 (क्रमांक 14, सन् 2018) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया है । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक 2018 (क्रमांक 6, सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक 2018 (क्रमांक 6, सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\05-07-2018\d10\1.30-35

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग संशोधन, विधेयक 2018 में संशोधन की सूचना दी है । 24 साल बाद अचानक मुख्यमंत्री जी को लगा कि इसमें संशोधन होना चाहिए । क्या

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

आवश्यकता थी और इसमें किस बात का संशोधन है कि सदस्य अथवा अध्यक्ष के कार्यकाल में वृद्धि करना अथवा पुन: नियुक्ति देने का अधिकार आप राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं । इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले से ओपीनियन बना लिया है कि किसी व्यक्ति विशेष का कार्यकाल आप बढ़ाना चाहते हैं या उसको पुन: नियुक्ति देना चाहते हैं । अगर ऐसा नहीं थी तो इसकी जरूरत क्या थी ? जब आप 24 साल तक खामोश रहे, आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, संशोधन नहीं किया तो इसको करने की जरूरत क्या है ? इसमें आप राज्यपाल महोदय को अधिकार सम्पन्न बना रहे हैं । किसी भी अधिनियम को आप देख लें, अधिनियम में अयोग्यता का जिक्र जरूर रहता है । मान लीजिए कि कोई आदमी पागल हो गया तो क्या आप उसे पुन: नियुक्ति दे देंगे, क्या आप उसे सेवा वृद्धि कर देंगे क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आजतक मैंने जितने भी अधिनियम देखे हैं, उस अधिनियम का एक पार्ट होता है कि अयोग्यता का निर्धारण भी उसमें होता है । किन-किन कारणों से अयोग्य हो सकता है, उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया, केवल एक लाईन का संशोधन आपका इसमें है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसिंह जी बिल्कुल ऐसा-ऐसा करते बैठे हैं (हाथों से इशारा करते हुए) वे भगवान नीलकंठ हैं। दशहरा में जैसे नीलकंठ देखते हैं, वैसे ही विधान सभा में वे नीलकंठ की तरह कभी-कभी आते हैं । जयसिंह जी, आपका अभिनंदन है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपके समझ में नहीं आयेगा । मान लीजिए कि आप पागल हो गया तो क्या आप पुनर्नियुक्ति दे देंगे । मान लीजिए आप अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं और आपका दिमाग गड़बड़ हो गया और आप पागल हो गए तो क्या आप पुनर्नियुक्ति की उम्मीद करते हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- सत्तू भैया, ऐसा तो मत बोलो भई ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हमको ऐसे ही लगता है ।

श्री राजेश मूणत :- नहीं, नहीं, आप थोड़ा तो कम से कम...

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हमको तो उसके बराबर ही ये दिख रहे हैं, तभी तो मधुमक्खियों ने काटा, वरना मधुमक्खी क्यों काटती ?

श्री राजेश मूणत :- आप बोल रहे हैं तो अगल-बगल वाले थोड़े वो हो गए हैं, आप ही तो बाहर बोल रहे थे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि आप संशोधन लाईए, आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम इसमें अयोग्यता के बारे में जिक्र होना चाहिए । किसी भी व्यक्ति को आप पुन: नियुक्ति दे देंगे, किसी भी व्यक्ति को आप सेवा वृद्धि कर देंगे, ये उचित नहीं है । अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो अपने प्रतिउत्तर में कह सकते हैं कि इसमें अयोग्यता का जिक्र जरूर होना चाहिए, वरना ये कोर्ट में चैलेंज हो जायेगा और उस वक्त आपकी सारी नियुक्तियां, जो आप करवाना चाहते हैं, वह रूक जाएंगी, लोग न्यायालय में जाएंगे । अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी अधिनियम को उठाकर देखें, उसमें योग्यता, अयोग्यता के बारे में उसका जिक्र जरूर रहता है, प्रावधान रहता है । आप उनको अनदेखा करके करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्ति देना चाहते हैं, वह आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम नियम, कायदे कानून में कुछ राईडर तो लगाइए । अगर राईडर नहीं लगाएंगे तो ऐरे गैरे, नत्थू खैरे भी बच जाएंगे ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- महाराज, योग्यता कौन सी रखना चाहते हैं ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- योग्यता रखिए कि मैं पागल नहीं हूं, योग्यता रखिए कि मेरा दिवालिया नहीं निकला है, योग्यता रखिए कि मैं चरित्रवान हूं, दुष्चरित्रवान नहीं हूं और छेड़छाड़ में मेरा कोई आरोप नहीं है, मैं संबंधित नहीं हूं । इस तरह की अयोग्यता रखना चाहिए ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- इस उम्र में आप पर कौन आरोप लगायेगा ?

श्री कवासी लखमा :- मंत्री जी, पहले भी आरोप नहीं लगाया है, पहले से साफ-सुथरे आदमी हैं, आपके जैसे पंडित नहीं हैं ।

श्री देवजी भाई पटेल :- इसी उम्र में तो ज्यादा आरोप लगते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मुझे बनना नहीं हैं, जिनको आप बनाना चाहते हैं, कम से कम आई.बी. की रिपोर्ट बुलवा लीजिए, उनके चरित्र का सत्यापन करा लीजिए। मैंने ठीक समझा इसलिए मैंने सुझाव दिये हैं, बाकी मुख्यमंत्री जी की जो मर्जी होगी, वे तो कर ही लेंगे। संख्या बल के आधार पर इसे पारित भी कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सुझाव ठीक है, आप क्यों किसी को पुन: नियुक्ति देना चाहते हैं ? अच्छे, दूसरे आदमी को लाईए । आप क्यों सेवा वृद्धि करना चाहते हैं और अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष में अगर आपकी रूचि है तो एक अलग मसला है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है । इसमें पुनर्विचार करें, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, क्या इसके पहले अनहर्ता है कि जो अभी हैं, उनको दोबारा नहीं बना सकते ? जिनको आपने आयोग में बनाया, आप उनको दोबारा नहीं बना सकते, वर्तमान में ऐसा कोई बंधन है क्या ?

श्री देवांगन

देवांगन\05-07-2018\d11\01.35-01.40

श्री श्रीचंद सुंदरानी (रायपुर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक में संशोधन का समर्थन करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 की धारा की धारा 7 और स्पष्ट किये जाने के उद्देश्य से मूल अधिनियम की धारा 7 की जगह निम्नलिखित धारा प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3) छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018)

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार के संबंध में प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस दिशा में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है। यदि मैं गलत स्मरण न कर रहा हूं, याद न कर रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कुछ साल पहले कहा था कि नहीं, मेरे रहते आधार तो कभी लागू ही नहीं करने दूंगा, आधार लागू नहीं हो सकता। खैर, ये कुछ साल पहले की बातें । मुख्यमंत्री जी को भी शायद याद है या नहीं है, उन्होंने सदन में कहा था।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- उन्होंने पीडीएस के बारे में कहा था कि पीडीएस में लागू नहीं होगा।

श्रीमती सविता

सविता\05-07-2018\d12\01.40-01.45

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अच्छी बात कह दी। जिससे फिर से मेरी भावना को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। दिल्ली में बहस हो रही थी। उस समय वित्त आयोग था। माननीय मनमोहन सिंह जी और हम सब बैठे थे, एक बड़ा गंभीर डिस्कसन चल रहा था कि क्या आने वाले समय में पी.डी.एस. सिस्टम में कैसे ट्रांसफर की योजना को लागू किया जा सकता है ? या उनको नकद हस्तांतरण किया जाए, मैंने विरोध किया था कि जब तक छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री है हम उनको चावल, नमक और चना देंगे, हम कैश ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस विषय पर मेरी बात आयी थी और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि चावल, चना, नमक के बदले नकद नहीं दिया जा सकता, ये था, आपने मुझे याद दिलाया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैश बेनिफिट ट्रांसफर की बात अलग है मुझे याद है इसी सदन में राजस्थान के हावले से मैंने इस बात को कहा था कि वहां अगर मिट्टी तेल के वितरण में डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर में कोई दिक्कतें आ रही है, अगर हरियाणा में दिक्कतें आ रही हैं इन उल्लेखों का प्रकाशन हुआ था तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको सुधार नहीं किया जा सकता, सिस्टम में कमी नहीं है। आप कैश बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं, आप कैश में कर रहे हो, दूसरी चीजों में कर रहे हो, वह एक अलग बात है।

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

आप खुद ही कर रहे हो। आपने याद भी किया, आज आप गैस में कर रहे हो, आप कैश बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट हितग्राही को कर रहे हो, उनसे लेने के बाद। आप मिट्टी तेल में कर रहे हो, उसी चीज को आप लागू कर चुके हैं। प्रश्न उसका नहीं है। ये तो कैश बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो गई। आधार, इसमें जो निजता का सवाल आया है, उसको मद्देनजर रखते हुए, मेरा ये मत है कि बिल्कुल आधार में जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पष्ट फैसला न हो जाए और केन्द्र सरकार भी इसको लागू करने की तिथि बढ़ाती जा रही है। कुछ दिन पहले अखबारों में छपा था कि शायद 31 मार्च, 2019 तक केन्द्र सरकार ने भी इसमें शिथिलता घोषित कर दी है कि नहीं, अभी इसको हम कम्पलसरी लागू नहीं कर रहे हैं तो जब तक ये बुनियादी प्रश्न इनका हल नहीं हो जाता, हमको इसको जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि आधार पर, कितना भी कहने के बाद इसमें कहीं कोई लिक होने की बात नहीं है, निजता पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी तक ठोस निर्णय नहीं हुआ है तो उपबंधों इत्यादि की डिटेल में न जाकर, मेरा मत ये है कि इस संशोधन या अधिनियम को लाने के लिए सहमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फाईनल हो जाए, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है। एक बार उस पर निर्णय आ जाये, उसके बाद फिर आप अगर वहां ये फैसला हो गया कि इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि डाटा लिक हो सकता है, किसी भी माध्यम से डाटा का दुरूपयोग हो सकता है ये बहुत दुरगामी प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में लाने वाली बात हो सकती है। इस पर जल्दबाजी में विचार नहीं करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नवीन मारकण्डेय (आरंग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 का मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे देश में जो गलत कार्य होते थे और कई प्रकार की जो असुविधाएं होती थीं, उनको रोकने के लिए देश भर में एक आधार की व्यवस्था हुई और उस आधार पर एक व्यक्ति का आधार नंबर बनता है और उस नंबर के आधार पर उसके सारे सिस्टम लिंक करके, एक साथ सरंक्षित कर देते हैं और कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं तो इस तरह से जो आधार बना है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा रहता है कि उस आधार के नंबर या और ऐसी सुविधाओं, उनकी जानकारियों को कोई दूसरा व्यक्ति हासिल करके दुरूपयोग करता है तो इसमें गोपनियता बनाये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रखने और सरंक्षण करने और इन असुविधाओं से बचने के लिए इस पर वर्चुअल आई.डी. बनाकर, संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम लाया जा रहा है और वह हमारे देश या ....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\05-07-2018\d13\01.45-01.50

पूर्व जारी .. श्री नवीन मारकण्डेय :- वह हमारे देश के हर नागरिक और जो एक व्यक्ति को शासकीय सुविधायें मिल सकती हैं, वह सुविधायें उन तक सही सलामत पहुंचे, इन सारे विषयों को लेकर यह अधिनियम लागू करना मुझे लगता है कि सही है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम को पारित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पारित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आधार के बारे में चर्चा हो रही है, वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (Targeted delivery of financial and other subsidies benefits and services and protection of information bill 2018), माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कल्पना कब हुई और ये विचार में कब आया। वर्ष 2009 में योजना आयोग ने पूरे देश के अंदर एक अध्ययन किया और उस अध्ययन का निष्कर्ष ये निकला कि पूरे देश का पी.डी.एस. सिस्टम किस प्रकार काम कर रहा है, उससे ये पता चला कि पूरे पी.डी.एस. सिस्टम में जितना ज्यादा लीकेजेज है, ये कहा गया कि 60 से 70 प्रतिशत हिन्दुस्तान के अलग-अलग क्षेत्रों में पी.डी.एस. का दुरूपयोग हो रहा है। उसके लिए केन्द्र सरकार ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक का यूनिक आईडेन्टिटी नंबर, आधार नंबर प्रदान करने की योजना प्रारंभ की। इसका मूल उद्देश्य उस समय यही था। केन्द्र सरकार ने आधार नंबर का उपयोग सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में सही हितग्राहियों के चयन से प्रारंभ किया। ये देश की सबसे महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत हुई। कुछ संस्थाओं द्वारा आधार के उपयोग के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2015 में एक याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को पी.डी.एस. में उपयोग जारी रखने की सहमति दी। ये केन्द्र सरकार के निर्देश हैं। तत्पश्चात केन्द्र की दो अन्य योजनायें एल.पी.जी. गैस वितरण, मनरेगा में इसके उपयोग की सहमति दी गई, साथ ही साथ केन्द्र सरकार को इस संबंध में अधिनियम बनाने का सुझाव दिया गया। वर्तमान में आधार से सममित अंतिम आदेश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय आया, लोगों को लगता है कि इसका विस्तार कैसा है? केन्द्र सरकार की केन्द्रीय संचित निधि (consolidated fund of India) के तहत सभी केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में आधार का उपयोग करने के लिए 2016 में केन्द्रीय आधार पर एक्ट लाया गया। केन्द्र द्वारा आधार में सब्सिडी वितरण के लिए एल.पी.जी. वितरण में जब ये शुरूआत हुई तो इसमें देश को बेनीफिट क्या मिल रहा है? जैसे ही आधार आधारित सब्सिडी वितरण योजना एल.पी.जी. में शुरू की गई, 42 हजार करोड़ रुपया, पी.डी.एस. में 30 हजार करोड़ रुपया और मनरेगा में 16 हजार करोड़ रुपया, अन्य योजनाओं को मिलाकर 90 हजार करोड़ योजना के बचत हुई है। यह अपने आप में देश का सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है जिसमें ये तीनों योजनाओं का जो आर्थिक लीकेजेस होते थे उसको रोकने में एक बेनीफिट मिला है। राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड जैसे प्रदेशों को अपना राज्य आधार एक्ट तैयार कर राज्य आधारित योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य को अपनी विभिन्न योजनाओं में किसी हितग्राही को प्रदान करने वाली सेवा, उसके साथ-साथ अनुदान और उसके साथ सामाजिक लाभ का भुगतान करते समय सही हितग्राही की पहचान करना, इसका मूल उद्देश्य सही हितग्राही की पहचान करना है, दूसरी प्रमुख चीज है हितग्राहियों की पुनरावृत्ति, डूप्लीकेशन न हो। एक नाम से दो लोग, चार लोग, पांच लोग अभी तक इसका लाभ लेते थे, उसको रोकने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के लिए प्रत्येक नागरिक के डेटा को संरक्षण और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न कर रहे थे उसका स्पष्टीकरण इसके आगे लाईन में आता है। प्रत्येक नागरिक के डेटा का संरक्षण उसकी सहमति से ही आधार का उपयोग किये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आधार वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण विधेयक, 2018 आया है, इसमें मैं इन दोनों चीज का क्लीयर करना चाहता हूं जिसकी शंका आपने व्यक्त

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की कि क्या हो सकता है। ... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\05-07-2018\d14\1.50-1.55

........जारी डॉ0 रमन सिंह इसमें इन दोनों चीजों को क्लीयर करना चाहता हूँ, जिसकी आपने शंका व्यक्त की है कि क्या हो सकता है। पहला, हम आधार को राज्य संचित निधि से पोषित अनुदानों, सामाजिक लाभ में हितग्राही के सही पहचान में उपयोगा कर सके। मैं सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि यदि आप इस प्रस्तावित विधेयक की धारा -3 को पढ़ लें। हमने स्पष्ट किया है कि अगर किसी हितग्राही के पास आधार उपलब्ध नहीं है, जो एक शंका की जाती थी कि आधार के बिना उन हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखा जायेगा, धारा 3 में बहुत स्पष्ट किया है। अगर किसी हितग्राही के पास आधार नंबर नहीं है तो भी उसे स्कीम की सब्सिडी, सेवा वंचित नहीं रखा जा सकेगा। हितग्राही किसी अन्य पहचान-पत्र जैसे वोटर आई0डी0, राशनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस का उपयोग करके सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो एक शंका समाधान ये हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, इसका उद्देशय, आधार आधारित सूचना का अभिप्रमाणन, जो अथोराइजेशन करना है, दूसरा सूचना का सरंक्षण, प्रोटेक्शन आफ इनफारमेशन , इसके तहत हम किसी भी हितग्राही आधार सब्सिडी वितरण में उपयोग करने के पूर्व संबंधित से सहमति लेना अनिवार्य किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका आधार नंबर किसी अन्य योजनाओं में बिना उनकी सहमति के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। यह सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। साथ ही जो जानकारी आधार से संबंधित है, उसके सरंक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। मैं पुन: सम्माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आधार का उपयोग केवल हितग्राहियों के सही पहचान तक सीमित रखी गई है। आधार लिंकिंग के माध्यम केन्द्रीय योजनाओं में अमान्य, जाली, मिथ हितग्राहियों को लाभ से हटाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी अन्तर्गत आधार लिंकिंग से, इसका देश को क्या बेनीफिट हुआ है, आधार के आने के बाद कितना बड़ा इस देश के पी0डी0एस0 सिस्टम में परिवर्तन आया, खाद्य सब्सिडी के अन्तर्गत लिंकिंग से 02 करोड 75 लाख जाली राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। यह देश के लिए इतना बड़ा बेनीफिट है। इसके साथ-साथ मध्यान्ह भोजन में तीन राज्यों में ही 2

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लाख 72 हजार अमान्य छात्र-छात्राओं को आधार के माध्यम से हटाया गया है। राज्य के 93.1 प्रतिशत नागरिकों को आधार नंबर प्राप्त हो चुके हैं। 0 से 5 आयु के बच्चों में 57 प्रतिशत, 5 से 18 आयु में 86 प्रतिशत नागरिकों को आधार नंबर प्रदान किया जा चुका है। आधार सुशासन की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। यह हम जो गुड गर्वनेंस, रिफाम की ओर जा रहे हैं, सुशासन का यह सबसे बड़ा मूलमंत्र है कि किसी भी विभाग में किसी भी योजना में किसी भी हितग्राही को चिन्हांकित करने का काम, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। गरीबों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक का साधन बन गया है। इसमें मनरेगा के श्रमिकों के बारे में, जिन्हें मजदूरी लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था। बिचौलियों के चक्कर लगाते थे, आधार के माध्यम से डिजीटल भुगतान, जिस डिजीटल भुगतान की बात कर रहे थे, यह देखिये कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट है। बिचौलियों का चक्कर न काटकर डिजीटल भुगतान की प्रणाली, श्रमिकों के लाभार्थी के खाते में तुरन्त मानदेय हस्तान्तरण का लाभ सीधे मिलता है। राज्य शासन के अन्तर्गत समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन सीमित बजट में किया जाता है। आधार के क्रियान्वयन से अधिक से अधिक बचत की दिशा में जाकर इस राशि का उपयोग अन्य विभाग की ओर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यही इसका उपयोगा है। यही इसके कारण हैं और यही इसको प्रस्तुत करने की वजह है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, 50 लाख मोबाइल बंटने वाले हैं। सरकार ने यहां घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 50 लाख मोबाइल बाटंगे।

डॉ0 रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, क्या है कि मोबाइल के लिए ब्राण्ड अम्बेसडर माननीय नेता प्रतिपक्ष को बना लेंगे। उसका बार-बार जिक्र करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो और नेता जी उसमें बहुत रूचि ले रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें कण्डिका 1-ड में लिखा हुआ है कि ''सेवा'' से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपलब्ध कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जाये। यह किस हस्ती की सेवा है ....जारी श्री श्रीवास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीवास\05-07-2018\d15\01.55-01.60

जारी....श्री टी.एस.सिंहदेव

जैसा कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाये, किस हद तक की सेवाएं है । नंदन नीलकर्णी जी ने इस प्रस्ताव को रखा था तो इधर के पक्ष के साथियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था और नेशनल डाटा इत्यादि की बात आई थी कि इसको देना, कि उसको देना, ऐसा हो जायेगा, वैसा हो जायेगा । खैर उसकी उपयोगिता अगर समझ में आई या उचित लगी तो बाद में चिन्हांकित सर्विसेज को, जो कि गवर्नमेंट के ऐसे बेनिफिशियलीज हैं, उन पर विचार भले किया जा सकता है । सुप्रीम कोर्ट का भी आपने हवाला दिया । क्या मोबाईल के संबंध में दिया? अध्यक्ष महोदय, वही मामले तो पेंडिंग है । पैन वाला मामला सुलझ गया क्या ? जिसका उल्लेख तीन में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसमें आपने जिस बात को रखा है, आज तक जो पी.डी.एस. में हो रहा था, क्या हो रहा था ? यही हो रहा था कि कहीं अनिवार्यता नहीं थी । जब तक उनको आधार नहीं मिला, आप राशन नहीं दे रहे थे ।

उनको बकाया हुआ राशन अभी तक आपने नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- जिनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उनका उत्तर आने के बाद ......

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप अनुमति दे रहे हैं, तभी बोल रहा हूँ, वरना मेरा बनता नहीं है। आप बोलने दे रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ । नहीं तो बनता नहीं है । मामला बहुत गंभीर है अध्यक्ष महोदय, वरना मैं हस्तक्षेप नहीं करता । मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी भी भावना को समझा । जगह दिया, स्थान दिया और इश्यू बहुत गंभीर है । अध्यक्ष महोदय, जब पी.डी.एस. का कानून आ रहा था, उस समय भी 35 किलो प्रति व्यक्ति वाली बात आई थी ।

अध्यक्ष महोदय :- इसको रिकार्ड कैसे कराऊं मैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी का विधेयक के बारे में पूरा जवाब आ गया है, अब आप जो बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड कैसे कराऊं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, पुनर्विचार । एक बार विचार कर लें, वरना मुख्यमंत्री जी कह दें कि मैं जो कह चुका हूँ, वह कह चुका हूँ । फिर बहुमत से पास होना ही है। लेकिन मेरा फर्ज एक विपक्ष के जनप्रतिनिधि के नाते बनता है कि इन बातों को रखूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अत्यंत संवेदनशील मामला है । जल्दबाजी में ऐसा कोई कानून नहीं लाया जाना चाहिये, जिसमें ऐसी व्यापकता हो, किसी भी सेवा .....

डॉ.रमन सिंह :- कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है और आप तो ज्ञानी है, सब कुछ पढ़ते-लिखते हैं । आपकी जानकारी है । इसलिए जो एक शंका धारा 3 में आपने किया था, उसको बड़ा स्पष्ट किया । स्कीम में सब्सीडी से वंचित किसी को नहीं रखा जायेगा । ऐसे हितग्राही किसी अन्य पहचान वोटर आई.डी. राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस का उपयोग करके सुविधा प्राप्त कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है । इसमें कहीं शंका करने की जरूरत नहीं है कि आधार नहीं है तो नहीं दिया जायेगा । इस तीन लाईन को पहले से बता दिया गया है । मुझे नहीं लगता कि इसमें नेता जी को शंका होनी चाहिये । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन 2018) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ आधार वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षति परिदान तथा सूचना का संरक्षण विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन 2018) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ आधार वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन 2018) पारित किया जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आधार वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन 2018) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ ।
(मेजों की थपथपाहट)

नीरमणी\05-07-2018\d16\02.00-02.05

(5) <u>छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018)</u>

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पर विचार किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूज लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन फेस्टिलेशन एक्ट 2017 राज्य सरकार को भेजा गया है कि इसको राज्य सरकार एडॉप्ट करे और इसकी 33 धाराओं में हम जो वर्तमान हमारा मण्डी का विधेयक है उसकी 33 धाराओं में हम संशोधन कर रहे हैं और जो 11 धाराएं हैं वह हम नयी जोड़ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ई-मार्केटिंग का सिस्टम भी शुरू हुआ है, इसमें लाइवस्टॉक भी जोड़ा गया है जो केंद्र का मॉडल एक्ट है उसमें 138 धाराएं हैं उस 138 धाराओं में से 94 धाराएं पहले से हमारे यहां प्रभावशील हैं और मॉडल एक्ट की 22 धाराओं को हम एडॉप्ट कर रहे हैं और 22 धाराएं जो हमारे यहां उपयोगी नहीं हैं, उनको हम एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं और इसमें एक नया प्रोवीजन हो रहा है कि डॉयरेक्टर, विपणन एक नया इसमें पद क्रियेट किया जा रहा है क्योंकि ई-मार्केटिंग हो रही है । निजी मार्केट को मण्डी खोलने का परमिशन दिया जा रहा है इसलिये इसको हम पूरा संशोधन करके और छत्तीसगढ़ में भी जो केंद्र सरकार ने मॉडल एक्ट लाया है उसको लागू करने के लिये हमने यह एक्ट लाया है । मैं यह चाहूंगा कि सदन क्योंकि मण्डी आज हमारे किसानों के लिये सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और मण्डी को जितना हम खुला करेंगे उसमें प्राईवेट लोगों को इंवाल्व करेंगे, किसानों को मॉल बेचने की सुविधा देंगे, ई-मार्केटिंग करेंगे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो उससे किसानों को सुविधा होगी और इसलिये यह एक्ट लाया गया है मैं चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से हम सब पारित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पर विचार किया जाये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा परिवर्तन इस विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित है और बेहतर होता कि विपक्ष के साथ भी अगर यह बिल लाना था उसके पहले चर्चा कर ली जाती और उनको भी विश्वास में ले लिया जाता और लोगों को भी इसमें चर्चा करने का मौका दिया जाता तो इसमें गंभीरता से विचार-विमर्श यहां हो सकता था । 22 पन्नों में 44 कंडिकाओं में यहां पर यह बिल नया जो संशोधन विधेयक मण्डी का लाया जा रहा है यह प्रस्तुत है, जो औपचारिक बातें हैं कि आपको डॉयरेक्टर बनाना है और इनकी जगह यह रहेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि पद का आप सृजन कर रहे हैं आपको लगता है कि वह पद उचित है वह सारा आप पास कर लीजिये । कुछ चुनावों के संबंध में आपने कहा है कि चुनाव कैसे होंगे, दो तिहाई वोटिंग जो आधा से ज्यादा उपस्थित होंगे । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कैसे कार्यवाहियां होंगी जो रूटिन बातें हैं उसमें मुझे बहुत ज्यादा आपत्तिजनक कोई बात नहीं लग रही है । दो प्रतिशत तक आप सेस ले सकते हैं उसमें 01 परसेंट को भी आपने इंट्रोड्यूज किया है, पहले था कि नहीं या सिर्फ 02 परसेंट तक का था तो वहां पर आपने एक हिसाब से उसमें रियायत भी दी है । निजी क्षेत्र को इसमें आप जो एंट्री दे रहे हैं, ईकॉमर्स की भी बात आप कर रहे हैं वह भी शायद आज के युग में, इलेक्ट्रानिक युग में जो एक प्लेटफार्म उपलब्ध है उसकी दिशा में आपने एक कदम उठाने का निर्णय लिया है वह भी आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता लेकिन निजी क्षेत्र को भी आप संस्थापन करने के लिये जगह दे रहे हैं इस पर विचार होने की आवश्यकता जरूर थी और अगर गवर्नमेंट इस व्यवस्था को नहीं कर सकती है तो पूरा ही निजी कर दीजिये क्यों पब्लिक का पैसा तनख्वाह से लेकर बाकी चीजों में हम खर्च कर रहे हैं ? अगर निजी माध्यम से ही इसको किया जा सकता है सरकार उस पर बाहर से नियंत्रण जैसे निजी क्षेत्र की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, कर सकती है तो इसको आधा इधर-आधा उधर क्यों करना ? बहुत पैसे बचेंगे.............जारी

...........श्री यादव

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

यादव\05-07-2018\d17\2.05-2.10

............(जारी श्री टी.एस.सिंहदेव) :- तो इसको आधा इधर और आधा उधर क्यों करना? बहुत पैसे बचेंगे, आप उसका दूसरी जगह उपयोग करिए, पूरे स्टाफ का पूरी जगह उपयोग करिए । बिना समय मिले इस पर pros and cons क्या है, इसमें पक्ष, विपक्ष क्या आ सकता है । इतने बड़े परिवर्तन के लिए रूटीन चीजों के लिए कहीं आपत्ति नहीं हैं, वह पद वाली बात भी उसमें है, लेकिन इसमें चर्चा की आवश्यकता है । मुझे लगता है कि उसके बिना इतना बड़ा परिवर्तन एकदम से हां कर देना, फिर एमएसपी की बात आएगी । पिछले बार भी आया था कि कहां कहां किसान 32 लाख हैं, समर्थन मूल्य 12 या 13 लाख किसानों को मिला। यह बाकी किसान जो जहां जा रहे हैं, उनका क्या ? इन मंडियों में भी एमएसपी लागू कर रहे हैं या नहीं ? आप अपनी मंडियों में एमएसपी करेंगे तो वहां निजी क्षेत्र में करेंगे कि नहीं ? यह सारी बातें भी इसमें नहीं है । व्यवस्था का निजीकरण और एमएसपी का लागू होना, अभी दरों के बढ़ोत्तरी की बात आई है । कितने लोग वंचित होंगे ? एक तिहाई को लाभ मिल रहा है । सदन में यह चर्चा आई थी कि मंडियों में भी एमएसपी लागू करेंगे, मगर वह धूमिल सी बात है। जब हमको ऐसी व्यवस्थाएं करना है तो इन स्थानों पर एमएसपी भी लागू हो । उसका उल्लेख भी इस संशोधन में होना चाहिए ।

डॉ.खिलावन साहू (सक्ती) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9, सन् 2018) के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, एक राष्ट्र, एक बाजार, उत्तम फसल, अच्छी फसल, अच्छी कीमती और पादर्शिता के साथ हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। हमारे प्रदेश की 14 मंडियों को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा है जिसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉ.रमन सिंह जी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । आदरणीय सभापति महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- यह आखिरी सत्र है और अभी तक आपको अध्यक्ष और सभापति में अंतर समझ में नहीं आया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.खिलावन साहू :- सॉरी । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा मंडी बोर्ड में प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है और प्रबंध संचालक के अधीन सारे कर्मचारी अधिकारी होते हैं। उनकी शक्तियों, कर्तव्यों को इस संशोधन विधेयक में और अच्छे से बनाने के लिए शामिल किया गया है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी ने जो शंकाएं जाहिर की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है । जो हम प्रायवेट सेक्टर को एलाऊ कर रहे हैं, उस प्रायवेट सेक्टर एलाऊ करने के लिए उसके रेग्युलेटिंग के लिए संचालक, कृषि (विपणन) का एक नया पद सृजन हो रहा है । जो प्रायवेट लोग आएंगे, प्रायवेट मंडियां खुलेंगे तो उसके नियंत्रण करने के लिए, उसके निपटारे के लिए ही इसमें जो अधिकांश धाराएं हैं लगभग उसी के लिए हैं । केंद्र सरकार की यह मंशा है कि किसानों को मार्केट मिले और उस मार्केट के अंतर्गत उनको रेट मिले । कोई भी उनसे मजबूरी में माल न खरीद ले । अभी एमडी, मंडी बोर्ड है, वह रहेगा । हम उसका पद समाप्त नहीं कर रहे हैं, परंतु निजी मंडियों के और जो निजी लोग हैं, वह लोग व्यापार करेंगे, मंडी से बाहर व्यापार करेंगे, उसको रेग्युलेटिंग करने के लिए, उसके विवाद के निपटारे के लिए यह विधेयक लाया गया है । यह एक दिन में लागू नहीं होगा, इसको लागू करने में भी लंबा समय लगेगा, लोगों में इसकी मानसिकता बनानी पड़ेगी । परंतु केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि किसानों के साथ में न्याय हो सके, उनको ठीक से मूल्य मिल सके । इसके लिए यह विधेयक लाया गया है । मैं सोचता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से आने वाले समय में हमारे किसानों के हित की सुरक्षा होगी और यहां का व्यापार भी बढ़ेगा । हमारी मंडियों से देश भर के लोग भी माल को खरीद पाएंगे । इसलिए इसको सर्वसम्मति से पास करना प्रदेश के हित में होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9, सन् 2018) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा । ....(जारी)

श्री मिश्रा

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

मिश्रा\05-07-2018\d18\.-.5

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 44 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 से 44 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, इसमें पुन्नूलाल जी का कोई रोल है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, है। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से लगातार हम सब विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से यहां के छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विस्तार के कारण जब छत्तीसढ़ बना तो इस प्रदेश में पहले उच्च शिक्षा का जी.ई.आर. 3.8 था जो कि आज बढ़कर 16.1 हो गया है। यदि निजी छात्रों को भी हम उसमें जोड़ लें तो शायद वह हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो पैमाना है जो कि 19 है उससे अधिक 22-23 के ऊपर पार हो रहा है। हमारे प्रदेश में आज 08 शासकीय, 11 निजी विश्वविद्यालय हैं। निजी विश्वविद्यालयों का नियमन करने के लिए सन् 2005 में एक स्वायत्तशासी संस्था निजी विश्वविद्यालय नियामक संस्था का इस विधानसभा में कानून बनाकर निर्माण किया गया और उसके पीछे उद्देश्य यह था कि पूर्व में यहां विश्वविद्यालयों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उस समय लोग हंसी मजाक में कहते थे कि कुलपति साहब लूना पर चल रहे हैं, झोलों में विश्वविद्यालयों के पूरे डाक्यूमेंट हुआ करते थे और इस कारण सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और कोर्ट का भी निर्देश आया था तब जाकर एक ऐसी रेग्यूलेटरी कमेटी बनाई गई जिसके तहत विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप रेग्यूलेटरी कमीशन उसका निराकरण करती है, जो प्रायोजक संस्था रहती है उसके आवेदन पर विचार कर फिर हम एल.ओ.आई. देते हैं। एल.ओ.आई. के बाद फिर उसे एक समय सीमा के अंतर्गत निर्माण करना रहता है। हम लोगों ने उनकी जो एन्डोमेंट मनी थी उसको भी बढ़ाया। जो पहले 3 करोड़ रूपये थी उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये किया और जो निर्माण 25 हजार स्क्वेयर फीट था उसको 1 लाख स्क्वेयर फीट किया। आज दो अन्य विश्वविद्यालयों के बाद इसमें जो 11 थे वह बढ़कर 13 हो ...

श्री कुरैशी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

..जारी .. जो 25 हजार स्क्वायर फिट था उसको 1 लाख स्क्वेयर फिट किया । आज 2 अन्य विश्वविद्यालयों का समावेश हो रहा है । ये 11 से बढ़ कर 13 हो रहे हैं । के.के.मोदी विश्वविद्यालय महमरा, दुर्ग में और देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, सांकरा है ।

समय

2.16 बजे **(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए.)**

सभापति महोदय, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में पंडित श्रीराम शर्मा जी के द्वारा गायत्री पीठ संस्था का निर्माण किया गया । देश में उनके करोड़ों अनुयायी हैं । वे पूरे समाज में सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव के लिए, जो शिक्षा का मूल महत्व है । शिक्षा का मूल अर्थ ही यह है कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से स्वयं का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और सम्पूर्ण विश्व के मानव समाज का कैसे उत्थान कर सकते हैं ? सम्पूर्ण मानव समाज के उत्थान में गायत्री पीठ के योगदान से संबंधित संस्था से संबंधित विश्वविद्यालय खोला जा रहा है । मैं समझता हूं कि जो शिक्षा के उद्देश्य और उच्च शिक्षा के विस्तारीकरण में विभिन्न विषयों में जीईआर को बढ़ाने में छात्रों को अधिकतम् इसका लाभ और सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से ये दो नये विश्वविद्यालय खोले गए हैं । इसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है । मैं समझता हूं कि सदन इसको सर्वानुमति से पारित करेगा, यही निवेदन है ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन 2018) पर विचार किया जाए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, 2 अशासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है । लगता है कि सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी स्वयं कुछ नहीं कर पा रही है । निजी क्षेत्रों में 13 विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे हैं । खैर, शिक्षा का क्षेत्र है, उच्च शिक्षा का क्षेत्र है । सभापति महोदय, मोदी का नाम आता है तो कान खड़े हो जाते हैं । बाद में आपने इसमें देव संस्कृति भी जोड़ दिया है । देवों को ध्यान में रखकर तो सहमति बनानी पड़ेगी और कभी गर्मागर्मी हो गई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो 100 प्रतिशत सर्वानुमति की बात रहनी चाहिए । सभापति जी, अगर आप उचित समझेंगे तो सत्यनारायण जी को भी अवसर दे देंगे । इस पर आपत्ति नहीं है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव लाया है और इनको लेकर अभी तक मात्र 13 विश्वविद्यालयों की स्थापना ही कर पाए हैं । आपने नियामक आयोग बनाया, ठीक किया । लेकिन एक दुर्भाग्य यह है कि आप लाइकिंग, डिस्लाइकिंग के आधार पर काम कर रहे हैं । जो विश्वविद्यालय आपको पसंद आए, आप उसी को अनुमति देते हैं । आपकी लाइकिंग जिसमें है, उसे अनुमति देते हैं । आप शंकराचार्य को अनुमति क्यों नहीं देते ? सभापति जी, थोड़ी आपत्तिजनक बात यही दिख रही है कि आपने स्वेच्छाचारिता का भरपूर दुरूपयोग किया है । आप जिसको देना चाहते हैं, उसको देते हैं । आप नियम बनाइए, आप रूल्स बनाइए, आप इसमें एक मापदंड बनाइए और जो मापदंड को पूरा करे उसको अनुमति दीजिए । आप एक-एक करके प्रस्ताव ला रहे हैं। सभापति महोदय, इसकी कोई जरूरत नहीं थी । 3 विश्वविद्यालय के प्रस्ताव हैं जिनको आपने अनुमति नहीं दी है। शंकराचार्य जी के भी फालोवर्स बहुत हैं । आप उनको अनुमति क्यों नहीं देना चाहते ? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे ? लेकिन आप दलगत राजनीति के आधार पर काम करने के आदी हो गए हैं पांडे जी । अपना स्तर थोड़ा ऊपर उठाइए । लाइकिंग, डिस्लाइकिंग को उतार कर फैंक दीजिए, आप भगवा चोला पहनिये, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का भी ध्यान रखिए । जो जेनुइन विश्वविद्यालय आते हैं, उनको आप क्यों रोकना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है ? क्यों उसमें रोड़ा अटका रहे हैं ? आपने इनको अनुमति दी है तो दूसरों को भी अनुमति दीजिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें बिल्कुल भेदभाव न करें पांडे जी । आप समदर्शी बनकर काम करिये । आपकी नजरों.................

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\05-07-2018\e10\2.20-25

जारी....श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप समदर्शी बनकर काम करिए, आपकी नजरों में सभी संस्थाएं अच्छी हैं, जो अच्छी संस्था हैं, उनको अनुमति दीजिए । अगर कुछ खामी दिखती है तो उनको बताइए । आप जान-बुझकर कुछ संस्थाओं को रोकना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की और जो अच्छी संस्थाएं आ रही हैं, आप उनको भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दीजिए । आपको इंडीव्यूजवल अधिनियम में संशाधन लाने की जरूरत नहीं है । आप नार्म्स बना दीजिए, जो नार्म्स फूल-फिल करते हैं, उनको आप दीजिए । जो फूल-फिल नहीं करते हैं, वह अपने आप रूक जाएंगे, लेकिन आप समान भाव से बिना किसी आग्रह, पूर्वाग्रह के काम करने की परम्परा को स्थापित करिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :- मैं डा. रमन सिंह वाला चुन्नीलाल हूं, वे बाबा वाले चुन्नीलाल हैं । (हंसी) हम बाबा वाले नहीं हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वह जो कल चांवल फिरवा रहा था, उसका विश्वविद्यालय तो आप नहीं खुलवा रहे हैं ? तंत्र-मंत्र विश्वविद्यालय । विधान सभा में ये भी होने लग गया है । दुर्भाग्य ये है कि बाबा लोग आकर चांवल और रेखा खींच रहे हैं, रोली डाल रहे हैं । आप लोग तंत्र विद्या का दुरूपयोग करते हो ।

श्री चुन्नीलाल साहू :- हम लोग सेवा वाले हैं, कामदार वाले हैं । माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8, सन् 2018) विचार के लिए लाया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, वैसे भारत पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरू रहा है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वह किसी से छिपा नहीं है और कालांतर में जिस प्रकार से यहां आक्रमण हुआ, जिससे शिक्षा का पतन किया गया, अब छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद निरंतर, लगातार प्रयास किया गया है, जहां 114 शासकीय महाविद्यालय थे, वे 251 हुए और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगातार राज्य के विश्वविद्यालयों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 8 की गयी । किसी भी समाज में शिक्षा के दो लक्ष्य होते हैं-बुद्धिमत्ता और चरित्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि नये-नये महाविद्यालय, नये-नये विश्वविद्यालय की स्थापना हो और उसके लिए निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है । इसी प्रकार से प्रदेश में 11 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है । राज्य की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो 2 विश्वविद्यालय के.के. मोदी विश्वविद्यालय, महमरा, जिला दुर्ग और देव संस्कृति महाविद्यालय, सांकरा, कुम्हारी में स्थापना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किये जाने का प्रस्ताव है । मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें,

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मंत्री बनने के लायक हो गया है, निवेदन कर रहा है। ये निवेदन कर रहा है, पाण्डेय जी, आप क्या कर रहे हो ? निवेदन करने के लिए पाण्डेय जी काहे के लिए हैं ?

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :- आदरणीय शर्मा जी, आप ही तो मुझे रायपुर में पढ़ाने के लिए लाये थे । इसीलिए आपसे शिक्षा ग्रहण किया हूं ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य की स्थापना सन् 2000 में हुई है और छत्तीसगढ़ एक प्रकार से दूरस्थ अंचल खास करके वनवासी क्षेत्र है, बस्तर, सरगुजा ऐसे दूरस्थ अंचलों में जिस प्रकार से शिक्षा के प्रचार-प्रसार विगत 14 सालों में हुई है, लगातार प्रयास हुए हैं । सभापति महोदय, जिस समय हम लोग रायपुर में पढ़ते थे, महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य होने के कारण पेपर में हम लोग पढ़ते थे कि वहां ये निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, इस प्रकार से पॉलीटेक्निक और टेक्निीकल एजुकेशन के सारे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में संचालित होते थे । चूंकि भोपाल यहां से बहुत दूर था इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ खासकर के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर के छात्र वहां जाकर निजी विश्विद्यालय में पढ़ाई करते थे तो बहुत खर्च आता था और छत्तीसगढ़ के जो छात्र थे, वे लगातार उसमें पीड़ित रहे हैं, 14 सालों में निरंतर प्रयास किए गए हैं कि हम कैसे इस दूरस्थ अंचल है, वनवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से कैसे हम इस क्षेत्र को शिक्षित करें, ये निरंतर प्रयास किया गया है । इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि ये जो संशोधन विधेयक विचार के लिए लाया गया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाए ।

श्री देवांगन

देवांगन\05-07-2018\e11\02.25-02.30

डॉ. विमल चोपड़ा (महासमुंद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, इनका मुख्यालय कहां होगा? एक तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने बताया गायत्री पीठ का है, लेकिन दूसरा क्या है और इनके कितने विद्यालय रहेंगे, कुछ शाखायें रहेंगी या एक ही मुख्यालय रहेगा?

उच्च शिक्षामंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पारित किया जाए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और संस्थाओं का ध्यान रखिये।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- दो मिनट, मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्य करने के लिए अभी तक पूरे समाज में स्थापित है। जो बिंदु माननीय सत्यनारायण जी ने उठाया, शंकराचार्य जी के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है। उनके अनुयायियों के प्रति भी हमारी वही भावना है, जो एक सरकार का प्रदेश में अन्य आस्था रखने वाले व्यक्तियों के साथ होना चाहिए। शंकराचार्य विश्वविद्यालय के लिए उनकी सोसायटी के जो भी प्रमुख हैं, जो भी आवेदक हैं, उन्हें उस वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी है कि उनका विश्वविद्यालय किन कारणों से नहीं बन पाया क्योंकि उनका आवेदन बहुत पहले था और यूजीसी की टीम ने आकर के जो सर्वे किया और सर्वे के बाद में उसको रिजेक्ट किया। वर्तमान आयोग के पास में कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं है। न उनके द्वारा कोई एप्लीकेशन हमारे विभाग के पास है। आज के दिन में मैं बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा विभाग के पास आयोग के द्वारा एक भी ऐसा आवेदन लंबित नहीं हैं, जिसने नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए आवेदन किया है। इसलिए सरकार कोई भी लाइकिंग, डिसलाइकिंग के आधार पर कार्य नहीं कर रही है। हमारे नार्म्स बने हुए हैं कि एक लाख स्क्वायर फीट उनको नानशेड्यूल एरिया में बनाना पड़ेगा और 5 करोड़ रुपया एंडोमेंट मनी देना पड़ेगा। दूसरा अगर वह शेड्यूल एरिया में है तो 25 हजार स्क्वायर फीट कम से कम उसका होना चाहिए और 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए तो जो नार्म्स बने हैं, उसका जो पालन करता है, उस आधार पर जो परीक्षण होता है और आयोग का जो रिकमण्डेशन आता है, उसके आधार पर करते हैं। महाराज, हम लोगों का शंकराचार्य जी के प्रति पूरा आदर है और आगे वैसे आयेगा तो सब होगा। आप सब मिलकर के इसे पारित कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय मंत्री जी, मैंने जो पूछा है, उसका भी जवाब थोड़ा सा आ जाए।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- वह तो बिल में ही है कि कहां-कहां खुल रहा है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सर्वसम्मति से करें ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- सर्वसम्मति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्रीमती सविता

सविता\05-07-2018\e12\02.30-02.35

समय

2.30 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए.)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(6) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018)

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, काफी लम्बे अरसे बाद माननीय मंत्री जी ये विधेयक लाये हैं। मंत्री जी, इतने दिनों तक क्या करते रहे ? छत्तीसगढ़ को बने 18 साल हो गए, लेकिन आज तक आप इस तरह का विधेयक नहीं ला पाये। आप देख रहे हैं कि बड़े-बड़े शहरों में कई जगह आग लग जाती है। आपके पास फायर ब्रिगेड नहीं रहता, दूसरी जगह से फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता है, आपके कोई सेवा शर्तें नियम नहीं है तो आप देर आए दुरूस्त आये, आप यह विधेयक लाये जरूर, लेकिन काफी विलम्ब से लाये हैं। दलअसल ये भी बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं क्या करें, ये बाबा आपके काम नहीं आने वाले हैं। आप ठीक से काम करिए, इसमें कुछ विशेष कहने की जरूरत भी नहीं है। आप देर से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लाए, लेकिन दुरूस्त लाये। आप और इसको देख लें कि कहीं त्रुटि तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- पाईप में लिकेज तो नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप इसका अध्ययन कर लें। चूंकि आपने इसे देखा भी नहीं होगा। अधिकारियों ने बना दिया, आपने दस्तखत कर दिये, इतना ही काम आपका रहा है।

डॉ. विमल चोपड़ा :- सत्तू भईया, आपने भी देखा है या नहीं ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अरे भईया, मैं तो बिना देखे बात करता हूँ। लेकिन इनकी देखना जिम्मेदारी है।

डॉ. विमल चोपड़ा :- वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार सबको बता दिया जाए कि ये है क्या विधेयक ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हॉ, मंत्री जी बतायें, मंत्री जी पहले बिल्कुल एक्सप्लेन करिए।

सभापति महोदय :- बतायेंगे। श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे।

श्री चौधरी

चौधरी\05-07-2018\e13\02.35-02.40

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे (अहिवारा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री श्री रामसेवक पैकरा द्वारा छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक लाया गया है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री महोदय को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनायें देता हूं। इस बात की बधाई देता हूं कि अग्नि संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए वर्ष 2016 में नगर सेना के अधीन राज्य में प्रथम बार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का गठन किया गया है। दूसरी बधाई इस बात की देता हूं कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के प्रशिक्षण का केन्द्र परसदा जिला बिलासपुर में स्थापित किया गया है ताकि अग्निशमन विभाग में काम करने वाले जो पेशेवर प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जायेगा। उससे भी बड़ी बात है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि भारत सरकार द्वारा जारी जो आदर्श अग्निशमन एवं आपाताकालीन सेवा विधेयक के अनुरूप यह अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ होगा, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकायों से पृथक करके सेवा बन रही है, मैं भी पूरा देख नहीं पाया हूं। नगरीय निकायों से जो अग्निशमन की व्यवस्था है, उससे पृथक करके एक अलग अभिकरण बना रहे हैं, उसको स्पष्ट कर दें?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय जो शहरों का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसके कारण जनसंख्या भी बढ़ी है। जैसे रायपुर, नया रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर या बिलासपुर हो, अभी हम लोगों ने 10 जिलो में इस अग्निशमन की शुरूआत किया है। चूंकि पहले नगरीय क्षेत्र में इसके माध्यम से रोकथाम का कार्य किया जाता था, लेकिन इस समय हम लोगों ने 10 जिलों को लिया है और 2016 में नगरसेना के अधीन इसको रखा गया है, प्रथम बार अग्निशमन आपातकालीन सेवा का गठन किया गया है। आज जब कोई बड़ी-बड़ी घटनायें घटती हैं तो हमारे पास बड़े संसाधन नहीं होते। लेकिन इस विधेयक के होने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी सुविधायें बढ़ेंगी। जैसे अभी राज्य शासन के माध्यम से अग्निशमन, आपाताकालीन सेवा के लिए 967 पदों का सृजन किया गया है। इससे विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जायेगी। जैसा कि परसदा में इसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया गया है, उसमें सभी प्रकार की कार्यकुशलता और दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण का केन्द्र भी परसदा में खोला गया है। जिस तरह से आबादी बढ़ी है मुझे लगता है कि यह बहुत आवश्यक है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी परसदा कहां है, क्या आपने देखा है?

श्री रामसेवक पैकरा :- परसदा हमारे बिलासपुर में है। बिलासपुर जिले में इसका ट्रेनिंग सेन्टर खुल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय किया है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही इसके बनने से पूरे प्रदेश में एक अच्छा शांति का माहौल बनेगा और जो क्षति होती होगी, जो नुकसान होगा, उसकी हम जल्द से जल्द निराकरण कर पायेंगे। जैसा कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नियंत्रण के लिए टोल-फ्री 101 डायल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह अधिनियम के द्वारा चूंकि प्रदेश में अभी हमारी पहली बार शुरूआत हुआ है, अभी पूरे देश में 18 प्रदेशों में शुरूआत हुआ है जिसमें सबसे पुराना पश्चिम बंगाल है जो 1950 में स्थापित किया था, दूसरा लास्ट में 2014 में बिहार में खुला है। इसके बाद नया हम छत्तीसगढ़ में शुरूआत कर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश में कब बना और उसको आपने दो साल के अंदर एडाप्ट क्यों नहीं किया?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, हमने शुरूआत किया है, अभी 2016 में गठन किया है। वर्ष 2016 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा आदर्श अग्निशमन के रूप में जो आदेशित हुआ है, इस अधिनियम के लिए तैयार किया गया है। यह आदर्श अग्निशमन आपाताकालीन सेवा विधेयक के रूप में राज्यों को दिया गया है, उसमें इसके पारित होने से मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जो इस अधिनियम को लागू कर रहा है। इस तरह आज हम देखते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के कारण जो समस्यायें बढ़ रही हैं, बड़े-बड़े माल, बड़े-बड़े दुकानें और आवासीय बंगले जो बन रहे हैं, कहीं-कहीं जो घटनायें घटती हैं... (जारी)... श्री अरविन्द

अरविंद\05-07-2018\e14\2.40-2.45

...........जारी श्री रामसेवक पैकरा कहीं-कहीं घटनाएं घटती है, तात्कालिक सुविधा के लिए यह विधेयक लाया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश में सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

डॉ0 विमल चोपड़ा :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न है कि अभी नगरीय निकायों के अन्तर्गत जो अग्निशमन योजना है, तो क्या इसकी स्थापना के बाद जो होमगार्ड को दिया जा रहा है, ये सारे नगर निगम या नगरीय संस्थाओं से हटाकर पूरे होमगार्ड को दे दी जायेगी या फिर ये सेवाएं दोनों जगह रहेगी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, अभी गठन किया जा रहा है। यह विधेयक पास होने के बाद नगरीय क्षेत्र से अलग हो जायेगा और नगर सेना के अधिनस्थ होगा। अभी हमने 10 जिलों में शुरूआत किया है। शेष 17 जिलों में क्रमवार करेंगे, अलग हो जायेंगे।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 61 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 61 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पारित किया जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

7. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक-11 सन् 2018)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक-11 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक में पूर्व में जो प्रचलित है, उसमें एक ''शुल्क'' शब्द आया है। हमारे प्रदेश में 13 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिए ही मूल रूप से धारा 49 और 50 में यह व्यवस्था थी कि शुल्क का 50 प्रतिशत उनको जमा करना है। अब इस शुल्क का स्पष्टीकरण करने के लिए कि आजकल शुल्क में बहुत प्रकार के शुल्क हो जाते हैं। बिल्डिंग फण्ड, लायब्रेरी फण्ड, ये सारा, तो शुल्क की जगह शिक्षण शुल्क स्थापित हो, उसको क्लेरीफाइ करने के लिए। क्योंकि शुल्क से अभिप्राय जो पहले भी था, शिक्षण शुल्क का ही था। इसको स्पष्ट करने के बाद उस धारा के 49 और 50 में जो पूर्व से ही निर्धारित, अधिनियमित है, उसमें यह स्पष्ट निर्देश भी है कि सारे कालेज के जो प्रबंधक हैं, वे उस पैसे को कोषालय या उप कोषालय में जमा करेंगे, वहां के प्रिंसिपल की जवाबदारी होगी। तो इसी को क्लेरीफाइ करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूँ इसमें पूरा सदन सहमत होगा। इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

.... श्री श्रीवास

श्रीवास\05-07-2018\e15\02.45-02.50

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापना एवं विनियमन संशोधन विधेयक, 2018 क्रमांक 11 सन 2018 पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- श्री सत्यनारायण शर्मा जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी को बहुत देर बाद समझ में आया कि त्रुटि हो रही है । आप बार-बार संशोधन लाते क्यों है । माननीय सभापति जी, एक बार संशोधन ले आये, जितना लाना है । छोटी-छोटी बातों में बार-बार । शुल्क के बारे में आप ले आये । इतने सालों तक व्यवस्था चल रही थी, इतने देर बार समझ में आया कि गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है । दूसरी बात यह बताईये कि शेष जो 50 प्रतिशत कोषालय में जमा कराया जायेगा, उसका आप क्या सदुपयोग करने वाले हैं । उसका क्या करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करने की बात है कि और संस्थाओं का उसमें अनुदान देंगे । क्या करने वाले हैं, इसके बारे में जरा बतायें । आप स्पष्ट कर देंगे ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- पहले आप क्या करते थे ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम वही करते थे जो आप कहते थे ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय संस्था स्थापना एवं विनियमन संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन 2018) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैंने जो बात कही उसका उपयोग क्या करेंगे ? शेष 50 प्रतिशत का क्या उपयोग करने वाले हैं । क्या और अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अनुदान के रूप में वह राशि देंगे अथवा केवल राजस्व में इसको जमा रखेंगे ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- सभापति महोदय, जो आशय सामने आ रहा है कि अलग-अलग जो शुल्क थे, अलग नामों से कुछ ही शुल्क का हिस्सा राज्य सरकार को आता था । अब समस्त शुल्कों को क्लब कर रहे हैं ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं कि उस अधिनियम में धारा 49 और 50 में शुल्क शब्द लिखा गया था । शुल्क में सारे प्रकार के शुल्क मान लिये जाते थे, इसलिए यह स्पष्ट करने के लिए लाया गया है कि शुल्क का मतलब शिक्षण शुल्क, शिक्षण शुल्क जब होगा तो टयूशन फीस का ही 50 परशेंट वहां पर कोषालय एवं उप कोषालय में जमा होगा । वरना जितने प्रकार के शुल्क लिये जाते थे, उसका पहले 50 परशेंट । इंटरप्रिटेशन में जो व्याख्या करने में जो भ्रम था, उस भ्रम को दूर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए यह विधेयक लाया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, उसका निराकरण हो जा रहा है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- सरकारी पैसा का आप जो उपयोग करते थे, उससे अच्छा हम लोग उपयोग करेंगे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उन पैसों को वापस अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अनुदान के रूप में देंगे क्या ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, सरकार के पास जो पैसा आता है, वह जनता के हित में, जनता के विकास में और उच्च शिक्षा विभाग के पास आयेगा, हम और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को और मजबूत करने में, उनके लैब, लायब्रेरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज और अनुदान में जो भी सहायता होगी, सब करने की कोशिश करेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह यहे कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्रीमती यादव

नीरमणी\05-07-2018\e16\02.20-02.25

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पारित किया जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ । (मेजों की थपथपाहट)

(8) <u>छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018)</u>

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पर विचार किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, आज जो यह विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक लाया गया है पूर्ण रूप से जो दुर्ग विश्वविद्यालय था हम सब जानते हैं इस सदन के शुरूआत में ही, इस सत्र के शुरूआत में हम सबने एक अपने साथी के प्रति पूरा सदन समवेत होकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया । उनके बहुत सारे विशिष्ट गुणों को और आत्मीय संबंधों को सबने देखा, समझा । इस विधानसभा के लगातार 15 वर्षों तक सदस्य रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा विभाग के भी मंत्री रहे और विभिन्न विभागों का जिन्होंने संचालन किया, जिन्होंने एक ऐसे राजनैतिक संस्कृति का अपने अंदर कार्यक्षमता के माध्यम से पूरे समाज में विस्तारित एवं स्थापित करने का कार्य किया । जिनकी सरलता, सहजता लोगों के जुबान पर है आमतौर पर लोग चले जाते हैं उनके कृत्य बड़े -बड़े होते हैं तो भी लोग उनको दिलों से नहीं चाहते हैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे, हम सबके साथी रहे, सदा हंसमुख रहने वाले ऐसे राजनेता स्वर्गीय हेमचंद यादव के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हो रहा है। पिछले दिनों उनके अंतिम, जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी । श्री हेमचंद यादव जी के नाम पर विश्वविद्यालय करने का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय सिर्फ साक्षर व्यक्ति नहीं बनाये, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का मतलब यह सिर्फ नहीं होना चाहिए कि उसने कोई उपाधि प्राप्त कर ली हो बल्कि उसके अंदर वह मानवता के सारे गुण आने चाहिए जो व्यक्ति के अंदर संस्कार को उपजित करके और संस्कारित करते हुए लोग कैसे संघर्ष करके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छोटी इकाई से, एक छोटे परिवार से लेकर के बड़े स्थान तक पहुंचते हैं और उस जीवनकाल के प्रत्येक संघर्ष के बिंदुओं को लोग जानें । किसी भी महान व्यक्ति के बारे में, मैं एक बार आग्या जी की किताब पढ़ रहा था । उसमें आग्या जी ने लिखा कि किसी महान व्यक्ति की महान कृतियों को तो सारे लोग जानते हैं लेकिन किसी महान व्यक्ति के जीवन को यदि जान लिया जाये कि वह जीवन जिया कैसे है तो वह सबसे अच्छा ज्ञान होता है और इसलिये शायद हम किसी व्यक्ति के नाम पर, किन्हीं संस्थाओं का नामकरण करते हैं । दुर्ग विश्वविद्यालय जो था वह स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के नाम पर जब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के रूप में यह सदन समवेत होकर के प्रतिस्थापित करेगा तो आने वाले समय में जो उस विश्वविद्यालय के छात्र निकलेंगे तो उनके सामने ....जारी

.............श्री यादव

यादव\05-07-2018\e17\3.00-3.05

.............(जारी श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- दुर्ग विश्वविद्यालय जो था, वह स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के नाम पर जब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के रूप में यह सदन सम्वेत होकर प्रतिस्थापित करेगा तो आने वाले समय में जो उस विश्वविद्यालय के छात्र निकलेंगे तो उनके सामने हेमचंद यादव जी का संपूर्ण जीवन चरित्र दिखेगा । उनके अंदर यह प्रेरणा जगेगी कि हमें भी इसी तरीके से अपने जीवन को जीना है जो सच्चाई के साथ, संघर्ष और सरलता दोनों का समन्वय करते हुए एवं जिसमें संगठनात्मक, प्रशासनिक क्षमता हो । कहते हैं कि जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, पता न चले, विरोधियों के साथ भी उतने ही सहजता और विनम्रता से मिलने के बावजूद अपनी वैचारिक दृढ़ता का परिचय देने वाले व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने अपना जीवन जीया है, वह सारी चीज इस नामकरण के द्वारा होगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा सदन जो पहले ही उनके प्रति यहां श्रद्धाभाव अर्पित कर चुका है । हम सबके साथी रहे ऐसे व्यक्ति के नाम पर दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम हम सब हेमचंद विश्वविद्यालय के रूप में कर रहे हैं । इसलिए इस संशोधन को लाए हैं । सदन से अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इसको पारित करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13, सन् 2018) पर विचार किया जाये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, नामकरण और फार्मल एज्युकेशन की बात सामने आई । मैंने तो पढ़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं के बराबर फार्मल एज्युकेशन लिये हुए व्यक्ति थे । देश के इतिहास के सर्वोच्च ज्ञानी, उत्कृष्ट व्यक्तियों में, महानतम् पुरूषों में वे थे । ऐसी अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम अवश्य ऐसे पुरूषों के नाम पर होना चाहिए था । हेमचंद जी हम लोगों के बीच के वह मुस्कुराते हुए चेहरे हैं । जो लोग अपने जीवनकाल में उनके संपर्क में आए नि:संदेह वो हमेशा उनको याद रखेंगे ही । उनका नाम साथ में देकर स्मरण भी करेंगे और आने वाली पीढ़ियां जो उनके संपर्क में नहीं आ पाई होंगी, जरूर ऐसे व्यक्ति का नाम देखकर पूछेंगे कि वह कौन था और जानेंगे कि कैसा सुंदर व्यक्तित्व वाला इंसान जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में था । हम सब इस प्रस्ताव से सहमत हैं और अवश्य ही इसको पारित करने पर विचार किया जाये ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदश, आदरणीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव लाया है पूरा सदन इससे सहमत है । हम सब हेमचंद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । माननीय सभापति जी, एक बात की पीढ़ा जरूर है कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं, जिनको हम लोगों ने विस्मृत कर दिया है । महंत लक्ष्मीनारायण दास जी एक ऐसे सख्स थे, आजादी के इतिहास से उनका नाम जुड़ा था । माननीय वीरनारायण सिंह जी के बारे में भी होना चाहिए । महंत लक्ष्मीनारायण दास, शारदाशरण तिवारी जी, बुलाकीनाथ पुजारी जी, यदि सरकार इनके संबंध में विचार करें तो अच्छा होगा । किसी भी संस्था की बात हो, उनके नाम से नामकरण पर विचार हो ताकि लोग यह न कह सकें कि हमने उन पीढ़ी को भुलाया दिया है, जिनको बहुत पहले सम्मानित करना था । इसलिए हम इस प्रस्ताव का समर्थन तो करते ही है, लेकिन मैंने जिन महानुभावों का जिक्र किया, उनके नाम से भी आप कोई ऐसी संस्था का नामकरण कर दें जिससे आप भी अमर हो जाएं और कभी न कभी आपका भी नाम इस तरह से हम सब लेंगे ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सत्यनारायण जी के सुझाव को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमारी कोशिश होगी कि देश के ऐसे नामी, धामी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो व्यक्तित्व हम सबके बीच में रहे हैं, जिनके जीवन से आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेने का अवसर मिल सके । हमारी सरकार के द्वारा अधिकतम जो भी किया जा सकेगा, उन संस्थानों का नामकरण करने की जरूर कोशिश करेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13, सन् 2018) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत हुआ ।

.............(जारी)

मिश्रा\05-07-2018\e18\.-.5

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(मेजों की थपथपाहट)

(9) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018)

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ये संशोधन भू-राजस्व संहिता में जो निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टरों के अधिकार हैं उसमें जो लगभग क से लेकर ट तक 12-13 जो उनको अधिकार हैं जिसमें गोठान के लिए शब्द है उसके आगे और गौशाला तथा एनीमल होल्डिंग प्रीमेसिस की स्थापना के लिए अंत:स्थापित करना है। बड़ा छोटा सा संशोधन है।गाय के महत्व को पूरा समाज स्वीकारता है। गाय की पवित्रता, गाय के गोबर के महत्व से लेकर गाय जहां हमारे यहां लोगों की आस्था का केन्द्र है वहीं हमारे स्वस्थ जीवन के लिए सर्वाधिक जिसको अमृत के बराबर कहा गया कि गाय का दूध अमृतपान के बराबर होता है। जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर सब जगह गाय के दूध से लेकर गाय के प्रत्येक चीज की जो महत्ता है और इसलिए सरकार ने वर्तमान में जो एक परिवेश बनता जा रहा है जिसमें गायों की सुरक्षा करने के लिए हम सब गौशालाओं का भी निर्माण कर रहे हैं लेकिन जमीन आदि की कमियों के कारण बहुत सारे उसके एलॉटमेंट और सबके अधिकार दूसरे आधार पर होते हैं तो ऐसी भी कई हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो पशुधन के रूप में जिसका न सिर्फ हम आदर करते हैं, उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग उनका दूध निकल जाए, उनका कोई देख-रेख नहीं करने वाला, छोंड़ दे रहे हैं, तो इस चीज के लिए सरकार को गौठान के साथ-साथ जो निस्तार पत्र में कलेक्टर को अधिकार है कि एक और एनीमल होल्डिंग प्रीमाईसेस तैयार करने के लिए उनको रखने के लिए और जमीन का वह आवंटन कर सकता है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में दिया जा रहा है जिसमें धूप, छांव, गर्मी आदि से बचने के लिए वह शेड भी बना सके। तो गौठान के साथ उसमें इतना ही एक जोड़ा गया है। मैं समझता हूं कि गौठान शब्द को और कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए उसका एक विस्तारीकरण किया गया है, यही इस संशोधन के पीछे भाव है।

श्री कुरैशी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कुरैशी\05-07-2018\e19\03.05-03.10

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, भू-राजस्व संहिता की धारा 237(1) में निहित उपखंडों में जो प्रावधानित है - इमारती लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए, चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, गोठान के लिए, शिविर भूमि के लिए, खलिहान के लिए, बाजार के लिए, खाल निकालने के लिए, खाद के गड्ढों के लिए, पाठशालाओं, खेल मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों के लिए और किन्हीं प्रयोजनों के विस्तार के लिए। इसके उपखंड घ में "गोठान" की जगह यह प्रस्तावित है कि "और गौशाला तथा एनीमल होल्डिंग प्रेमिसेस की स्थापना के लिए " "एनीमल होल्डिंग प्रेमिसेस" व्यापक हो जाता है । क्या हमारा विचार गौशाला के लिए, चारागाह के लिए, कुछ गांवों के समूह के बीच 5 से 10 एकड़ भूमि सुरक्षित करने के लिए है या इसमें हमारा विचार व्यापक है, गौशाला के अलावा, क्योंकि इसमें जो शब्द आया है कि गौ के अतिरिक्त, गौशाला तथा एनीमल होल्डिंग, एनीमल तो बहुत से हो जाएंगे । इसलिए स्पष्ट करने की बात है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- मैं समझता हूं कि गाय के साथ-साथ, गांव में कहीं कोई भैंस या अन्य पशु की सुरक्षा के लिए भी वहां निर्माण होता है तो इस दृष्टि से भी । गौशाला प्रमुख है लेकिन अगर बैल वगैरह कहीं घूम रहे हैं तो उनके लिए शेड बनाने के लिए । वह एक एनीमल होल्डिंग होगा । गाय प्रमुख है, बाद यदि किसी पशु के रखने की बात आई तो फिर कानून आएगा । इसलिए उसको थोड़ा व्यापक किया गया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- एनीमल व्यापक है, मुझे आपत्ति नहीं है । केवल समझने के लिए मैंने पूछा कि केवल पशु यानी गौ के अतिरिक्त भी ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पारित किया जाय ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर पारित किया जाय ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

-- श्री अग्रवाल -

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अग्रवाल\05-07-2018\f10\3.10-15

समय : **घोषणा**

3:30 बजे **प्रतिमा अनावरण एवं उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह**

सभापति महोदय :- आज छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर में स्वामी विवेकानंद जी एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी जी की प्रतिमा का अनावरण श्री बलरामजी दास टण्डन, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ द्वारा सायं 06:30 बजे किया जायेगा ।

पश्चात् सायं 07:00 बजे से वर्ष 2017 हेतु चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एवं चतुर्थ विधान सभा की कालावधि हेतु चयनित जागरूक विधायक को पुरस्कृत किये जाने हेतु उत्कृष्ठता अलंकरण समारोह एवं चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्यों हेतु सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ विधान सभा स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित है ।

कृपया कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें । पश्चात् आयोजित 'रात्रिभोज' में समस्त माननीय सदस्य, पत्रकार एवं आमंत्रितगण सादर आमंत्रित हैं ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित ।

अपराह्न 3:11 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 06 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 15, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

रायपुर
दिनांक 05 जुलाई, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं